सामाजिक समाघात आकलन (एस.आई.ए.) अध्ययन

सालावास रेलवे स्टेशन के पास मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक पार्क का विकास एवं रेलवे लाइन से लिंक लाइन निर्माण परियोजना

(राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम, 2016)

(Rajasthan Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition Rehabilitation &

अंतिम प्रतिवेदन (Final Report)

प्रस्तुतः

सक्षम अधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी, जिलाः जोधपुर
द्वारा संयुक्त शासन सचिव, उद्योग एवं वाणिज्य (ग्रुप–1) विभाग
राजस्थान सरकार

एस.आई.ए. एजेन्सी

सेन्टर फॉर डवलपमेंट कम्यूनिकेशन एण्ड स्टडीज (सीडेक्स), जयपुर

133, नन्नू मार्ग, देवी नगर, न्यू सांगानेर रोड, सोडाला,जयपुर
सम्पर्क सूत्रः 0141-2294988, 4004967,9950124028
Email ID: cdecsjpr@yahoo.in, cdecsjpr@gmail.com

आमुख

सामाजिक समाघात आकलन का अध्ययन (एस.आई.ए.) किसी भी ढ़ाँचागत विकास से प्रभावित होने वाले परिवार/गांव व क्षेत्र का किया जाता है। अध्ययन के माध्यम से यह प्रयास किया जाता है कि क्षेत्र में रह रहे परिवार एवं जनसंख्या पर विकास कार्य के सकारात्मक या नकारात्मक पहलू क्या हैं। साथ साथ यह भी अध्ययन किया जाता है कि इस भूमि अवाप्ति से उन पर सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभाव किस प्रकार के होंगे। एस.आई.ए. अध्ययन के अन्तर्गत प्रभावित लोगों की भागीदारी एवं उनसे चर्चाएँ कर उन पर पड़ने वाले प्रभाव व उनके विचार जानने के प्रयास किये जाते हैं। ताकि नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए आवश्यक कदम उठाये जा सकें या उनको समय पर ही कम किया जा सके। एस.आई.ए. अध्ययन के दौरान ग्राम बैठकों के माध्यम से स्थानीय लोगों के सुझाव एवं राय जानने का प्रयास किया जाता है। सामाजिक समाघात अध्ययन से प्राप्त सूचनाएँ एवं सुझाव प्रभावित परिवारों के लिए राहत या शमन योजना बनाने में सहायता प्रदान करते हैं।

सामाजिक समाघात आकलन (एसआईए) अध्ययन ऐसे सुधारों को बढ़ावा देता है, जो प्रभावित परिवारों के बेहतर विकास एवं आधारभूत सुविधाओं का किया जाता है ताकि क्षेत्र के परियोजना से प्रभावित परिवारों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति पहले की तरह पुनः बहाल किया जा सके। निर्माण सामाजिक समाघात प्रभाव अध्ययन के द्वारा हम विकास परियोजनाओं के निर्माण के पहले, निर्माण के दौरान व निर्माण के पश्चात् विभिन्न वर्गों पर पड़ने वाले प्रभाव का सूक्ष्म अध्ययन करते हैं। सामाजिक समाघात शमन योजना (SIMP) बनाकर प्रभावित लोगों के लिए समाघात निवारण योजना बनाते हैं। सामाजिक प्रभाव का आकलन विभागों को बेहतर योजना बनाने, और उन्हें प्रभावी ढंग से लागू करने और उचित पैमाने पर कार्य करने हेतु पहल करने में सहायता करता है एवं उनमें स्थानीय जनता/लोगों की भी सहमति होती है।

एक अच्छा ''इन्फ्रास्ट्रक्चर'' किसी भी क्षेत्र के लिए महत्त्वपूर्ण है। मल्टी लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण रेलवे का एक हिस्सा है जिसका निर्माण कराया जाना आवश्यक है। कॉनकॉर ने ऐसा एक स्ट्रेटेजिक स्थान काफी सर्वेक्षण के पश्चात् चयन किया गया जो कि राजस्थान के जोधपुर जिले के सालावास रेलवे स्टेशन से जुड़ा है। यह स्थान न केवल बंदरगाहों एवं आईसीडी के कंटेनरों के शीघ्र रेल परिवहन में मदद करेगा बल्कि राजस्थान के कई जिला के व्यापार एवं उद्योगों को लॉजिस्टिक सुविधाएँ प्रदान करेगा एवं रोजगार के नये अवसर प्रदान करेगा।

चूँकि जोधपुर एवं आसपास के जिलों से प्रत्येक माह हजारों कंटेनरों का हैंडलिंग एवं रेल परिवहन होता है इसलिए इस प्रकार के प्रस्तावित मेगा लॉजिस्टिक हब के निर्माण के लिए कुल 19.8474 हेक्टेयर जमीन का प्रथम चरण में प्रावधान करना आवश्यक है। (इस परियोजना हेतु प्रथम चरण में रेल लाइन की लम्बाई के लिए लगभग 1400 मीटर एवं 175 मीटर यार्ड में कंटेनर/कार्गो की ढुलाई एवं स्टोरेज के कार्यों के लिए प्रस्तावित है।) प्राथमिक सर्वेक्षण के अनुसार इस प्रोजेक्ट की प्रस्तावित जमीन मुख्य रुप से निजी खेती की एवं सरकारी जमीनें है जो कि मल्टी लॉजिस्टिक पार्क सालावास के निर्माण एवं विकास हेतु भूमि अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित है।

राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम, 2016 के दिशा निर्देशों के अध्याय 4 व 5 के अनुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारित मूल्यांकन का संचालन करना है, जो विभाग द्वारा जारी भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन नियम, 2016 में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार है। राजस्व विभाग (राजस्थान सरकार) का पत्रांक No. F. 1(3) Rev. 6/2011/pt./02 dated 12/01/2016. द्वारा इसे लागू किया गया है।

कार्यालय संयुक्त शासन सचिव, उद्योग एवं वाणिज्य (ग्रुप–1) विभाग द्वारा एस.आई.ए कार्य के लिए सेंटर फॉर डवलपमेंट कम्यूनिकेशन एण्ड स्टडीज, (सीडेक्स) का चयन कर कार्य करने की जिम्मेदारी दी। संस्था द्वारा सामाजिक समाघात अध्ययन (एस.आई.ए.) का कार्य पूर्ण विधा से किया गया है। सामाजिक समाघात अध्ययन पश्चात् ड्राफ्ट प्रतिवेदन तैयार कर प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत ड्राफ्ट प्रतिवेदन पर दिनांक 21 अप्रेल, 2023 को राजस्व विभाग, भू–अवाप्ति अधिकारी, लूणी, जिला जोधपुर की अध्यक्षता में जनसुनवाई आयोजित की गई। जनसुनवाई में भू–स्वामियों द्वारा दिये गये सुझाव/राय/मांगों को शामिल करते हुए अंतिम प्रतिवेदन तैयार कर

लिया गया है। यह एस.आई.ए. रिपोर्ट पूर्ण रुप से भू–स्वामियों जिनकी भूमि इस परियोजना के लिए अधिग्रहण की जानी है उन पर होने वाले सामाजिक समाघात प्रभाव का वर्णन है ताकि उनको योजनबद्ध तरीके से राजस्थान भूमि अर्जन, पुर्नवास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम 2016 के दिशा निर्देशों अनुसार प्रभावित खातेदारों का पुर्नवास और पुनर्व्यवस्थापन किया जा सके व उनको उचित मुआवजा मिल सके।

दिनांक 21 अप्रेल, 2023 को सामूहिक रुप से जनसुनवाई का आयोजन भू–अवाप्ति अधिकारी (सक्षम अधिकारी), लूणी की अध्यक्षता में आयोजित हुई। जनसुनवाई में सभी भू–स्वामियों को अपनी बात रखने का मौका मिला जिसमें उपस्थित सभी भू–स्वामियों द्वारा अपनी राय/सुझाव/बात रखी गई जिन्हें शामिल करते हुए अंतिम प्रतिवेदन तैयार किया गया है।

24 अप्रेल, 2023

दिलीप शर्मा
एस.आई.ए., विशेषज्ञ, सीडेक्स

विषय सूची

अध्याय	विवरण	पृष्ठ संख्या
	आमुख	2-3
	विषय सूची	4
	तालिकाओं की सूची	5
1.	कार्यकारी सारांश	6-14
2.	परियोजना विवरण	15-25
3.	टीम की संरचना, दृष्टिकोण, विधियां	26-38
4.	भूमि की आवश्यकता एवं आकलन	39-41
5.	प्रभावित परिवारों एवं परिसम्पत्तियों का आकलन	42-44
6.	प्रभावित क्षेत्र की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्थिति	45-47
7.	सामाजिक समाघात आकलन	48-50
8.	अधिग्रहण पर लाभ और सिफारिश	51-54
9.	सामाजिक समाघात शमन योजना (एस.आई.एम.पी.)	55-60
10.	जन सुनवाई प्रतिवेदन	61-75
	संलग्नक	76
	प्रपत्र 1 (प्रभावित भू–स्वामियों की सूची)	77-81
	(क) एस.आई.ए. बैठक कार्यवाही	82-86
	(ख) एस.आई.ए. कार्यवाही छायाचित्र	87-88
	भूमि अवाप्ति हेतु चिन्हित खसरा वार अद्यतन सूची	89—92
	(ग) गांव का प्रोफाइल	93-95
	(घ) टी.ओ.आर अनुसार सूची विवरण	96
	(ङ) पी.आर.ए. गतिविधि रिपोर्ट	97-104
	प्रपत्र–2 प्रभावित होने वाले क्षेत्र में रोजगार योग्य युवाओं की सूची	105
	(च) कार्यालय आदेश – उद्योग एवं वाणिज्य (ग्रुप–1) विभाग पत्र अधिसूचना	106-107

तालिकाओं की सूची

तालिका न.	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.1	भूमि का विस्तृत विवरण	14
2.1	लूणी तहसील (प्रभावित गांव का जनसंख्या प्रारुप एवं क्षेत्र का विवरण)	21
3.1	भू–अवाप्ति की तीव्रता प्रभाव का वर्गीकरण	36
3.2	परिवार की आर्थिक स्थिति पर प्रभाव	36
3.3	ग्राम स्तर पर एस.आई.ए. अध्ययन के अन्तर्गत गतिविधियों की अनुसूची	38
4.1	परियोजना प्रभावित गांव के भूस्वामियों का विवरण	40
4.2	भूमि का आकलन	40
5.1	परिवार के सदस्यों का वर्गीकरण	42
5.2	वैवाहिक स्थिति	42
5.3	शैक्षिक स्तर	43
5.4	रोजगार की स्थिति	43
5.5	मुख्य व्यवसाय	43
5.6	आयु के अनुसार वर्गीकरण	43
5.7	सामाजिक समूह के अनुसार परिवारों का वर्गीकरण	44
6.7	परियोजना क्षेत्र के गांव की जन संख्या प्रारुप तहसील–लूणी (जनगणना 2011 के अनुसार)	47
7.1	परियोजना के विभिन्न चरणों में सामाजिक प्रभावों का आकलन	50
8.1	परियोजना के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव	51-52
8.2	संभावित प्रभावों की सूची	52
9.1	विभिन्न संभावित सामाजिक प्रभावों का विश्लेषण और उनके प्रस्तावित उपाय	57-58
10.0	उपस्थित प्रतिभागी / सहभागी	64
10.1	जन सुनवाई के दौरान प्रभावित खातेदार / हिस्सेदारों द्वारा दिये गये सुझाव / विचार / मांग / राय	65-69

अध्याय –1

कार्यकारी सारांश

1.1 पृष्ठभूमि

भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड (कॉनकॉर), रेल मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत भारत सरकार का एक नवरत्न उपक्रम है। कॉनकॉर देश भर में आईसीडी, सीएफएस लॉजिस्टिक पार्क, पत्तन एवं एयर कार्गो कॉम्पलेक्स से आयात–निर्यात एवं घरेलू कंटेनरों का हैंडलिंग एवं परिवहन करके देश के विभिन्न उद्योगों को प्रभावी (Efficient) लॉजिस्टिक सेवाएँ प्रदान करता आया है और भारत में रेल आधारित कंटेनरों के प्रमुख यातायात के लिए सेवा प्रदाता है। कॉनकॉर की स्थापना के बाद से कॉनकॉर ने विभिन्न शहरों/औद्योगिक क्षेत्रों में कैपिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर में निवेश करके विविध लॉजिस्टिक सुविधाओं में बढ़ावा दिया है।

भारतीय रेल ने उत्तर–पश्चिम क्षेत्र में दादरी से मुंबई बन्दरगाह को जोड़ने के लिए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरीडोर कॉरपोरेशन (डीएफसीसी) के द्वारा फ्रेट (कार्गो) के लिए बुनियादी सेवाएँ एवं साथ–साथ बहुबिध (Multi-Modal) लॉजिस्टिक पार्क के विकास के लिए पहल की है। कॉनकॉर ने भी डीएफसीसी पर विभिन्न जगहों पर राज्य सरकारों के साथ मल्टी–मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के विकास के लिए MOU किये हैं और काफी जगहों पर विकास कार्य प्रगति में है। पिछले कई सालों से भारत में अभूतपूर्व औद्योगिक एवं आर्थिक वृद्धि हुई है और उसमें उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्रों में आईसीडी एवं बंदरगाहों का बड़ा हिस्सा रहा है।

अर्थव्यवस्था का मूल उद्देश्य लॉजिस्टिक की कुल लागत को घटाना है। यह उद्देश्य तभी सफल हो पायेगा जब नये इन्फ्रास्ट्रक्चर का निर्माण एवं उसका सही उपयोग किया जायेगा। दूसरे शब्दों में कंटेनरों का आवागमन की दक्षता तभी महत्तम हो पायेगी जब आईसीडी एवं बंदरगाहों से निकले हुए ट्रैफिक का एकत्रीकरण स्ट्रेटेजिक स्थान पर होने के बाद आगे अनुकूल वितरण हो। कॉनकॉर ने सर्वेक्षण के पश्चात् एक स्ट्रेटेजिक स्थान का चयन किया गया जो कि राजस्थान के जोधपुर जिले में लूणी तहसील के सालावास रेलवे स्टेशन से जुड़ा है। यह स्थान न केवल बंदरगाहों एवं आईसीडी के कंटेनरों के शीघ्र रेल परिवहन में मदद करेगा बल्कि राजस्थान के कई जिला के व्यापार एवं उद्योगों को लॉजिस्टिक सुविधाएँ प्रदान करेगा एवं रोजगार के नये अवसर प्रदान करेगा।

चूँकि जोधपुर एवं आसपास के जिलों से प्रत्येक माह हजारों कंटेनरों का हैंडलिंग एवं रेल परिवहन होता है इसलिए प्रस्तावित मल्टी–मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के विकास एवं रेलवे लाइन से लिंक लाइन निर्माण के लिए कुल 19.8474 हेक्टेयर जमीन का प्रावधान करना आवश्यक है। इस परियोजना हेतु प्रथम चरण में रेल लाइन की लम्बाई के लिए लगभग 1400 मीटर एवं 175 मीटर यार्ड कंटेनर/कार्गो की ढुलाई एवं स्टोरेज के कार्यों के लिए प्रस्तावित है। प्राथमिक सर्वेक्षण के अनुसार इस प्रोजेक्ट की प्रस्तावित जमीन

मुख्य रुप से निजी खातेदारी की एवं सरकारी जमीनें हैं। यह स्थान मुख्य डीएफसीसी यार्ड मारवाड़ जंक्शन से 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित होगा।

यह प्रोजेक्ट भारत में एक कंटेनरीकृत एवं कंटेनरीकृत कार्गो के लिए अद्वितीय एवं पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होगा जिसमें आंतरिक एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के एकीकरण के लिए एक आम मंच का कार्य करेगा। कॉनकॉर ने इस प्रोजेक्ट के लिए लगभग 175 करोड़ तक का निवेश के लिए प्रावधान किया है।

मल्टी–मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के विकास एवं रेलवे लाइन से लिंक लाइन निर्माण कार्य ग्राम सालावास, तहसील लूणी जोधपुर में नेटवर्क की स्थापना को दृष्टिगत रखते हुए सही स्थान चयन इसका मूल उद्देश्य है। प्रस्तावित परियोजना हेतु भूमि अधिग्रहण के कारण कुछ किसानों/भू–स्वामियों को नुकसान होने की संभावना है। चूँकि जोधपुर एवं आसपास के जिलों से प्रत्येक माह हजारों कंटेनरों का हैंडलिंग एवं रेल परिवहन होता है इसलिए निगम की आवश्यकता एवं जरुरत को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावित मेगा लॉजिस्टिक हब का निर्माण करना अतिआवश्यक है।

क्षेत्र में छोटे एवं बड़े दोनों ही प्रकार के भू–स्वामी हैं। छोटे आकार के खेत भारतीय कृषि की विशिष्ट विशेषताएँ हैं। इस क्षेत्र में किसानों को कृषि से होने वाली आय सामान्य ही है। क्षेत्र में बड़े एवं संयुक्त परिवार निवास कर रहे हैं। सालावास गांव में कुछ भू–स्वामियों द्वारा भूमि का विभाजन/बंटवारा मौखिक

एस.आई.ए. के दौरान ग्राम बैठक में स्थानीय प्रभावित लोगों की बात/राय पढ़कर सुनाते हुए

किया हुआ है वहीं कुछ भू–स्वामियों द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में कर लिया है। क्षेत्र में कुछ परिवार सामूहिक एवं कुछ एकाकी रुप में निवास करते हैं। प्रभावित परिवारों ने एक सामूहिक बैठक का प्रस्ताव रखा एवं अपनी समस्याओं/सुझावों लिखित रुप में प्रस्तुत किया।

सालावास ग्राम में भू–स्वामी अपनी जमीन में ज्वार, बाजरा, मूंग, मौठ, गेंहूँ, तिल, गंवार, रायड़ा/सरसों आदि की पैदावार करते हैं, वहीं अवाप्ति हेतु प्रस्तावित भूमि क्षेत्र में अधिकतम भू–स्वामी एक ही फसल ले पाते हैं।

उपरोक्त परिपेक्ष्य में मल्टी–मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के विकास एवं रेलवे लाइन से लिंक लाइन निर्माण कार्य कराया जाना आवश्यक है ताकि जोधपुर शहर में यातायात भार एवं सड़क दुर्घटनाओं से निजात मिल सके। जैसा कि जोधपुर शहर के विस्तार एवं विकास के कारण सड़क जाम एवं दुर्घटनाओं की संख्या में भी वृद्धि हुई जिसे ध्यान में रखते हुए एक नये स्थान का चयन करना जरुरी हो गया है। यह सड़क मार्ग जोधपुर शहर की मुख्य सड़कों में से एक है जिसके कारण यातायात साधनों का भारी दबाव भी रहने लगा है। सालावास रेलवे स्टेशन को परियोजना के लिए बहु उपयोगी एवं उपयुक्त स्थान मानते हुए मल्टी–मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के विकास एवं रेलवे लाइन से लिंक लाइन निर्माण का चयन किया है जिसमें लगभग 49 खातेदार /हिस्सेदार की 19.7697 एवं 3 सरकारी खसरा की 0.0777 हेक्टेयर भूमि विकास एवं निर्माण कार्य हेतु अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित है।

एस.आई.ए. (सामाजिक समाघात प्रभाव आंकलन) के अनुसार परियोजना क्षेत्र में प्रभावित होने वाले परिवारों में अन्य पिछड़ा वर्ग, सामान्य एवं अनुसूचित जाति के परिवार हैं।

1.2 भूमि अधिग्रहण का उद्देश्य

भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड (कॉनकॉर), रेल मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत सुविधा एवं जरुरत को समझते हुए सेवाओं का विस्तार करना है। चूँकि जोधपुर एवं आसपास के जिलों से प्रत्येक माह हजारों कंटेनरों का हैंडलिंग एवं रेल परिवहन होता है तथा भारतीय रेल ने उत्तर–पश्चिम क्षेत्र में दादरी से मुंबई बन्दरगाह को जोड़ने के लिए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरीडोर कॉरपोरेशन (डीएफसीसी) के द्वारा फ्रेट (कार्गो) के लिए बुनियादी सेवाएँ एवं साथ–साथ बहुबिध (Multi-Modal) लॉजिस्टिक पार्क के विकास के उद्देश्य से पहल की है।

सालावास में मल्टी–मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के विकास का उद्देश्यः–

1. सालावास में मल्टी–मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के विकास होने के साथ ही मुन्द्रा एवं पीपावा बंदरगाह के लिए सीधे तौर पर डबल डेकर कंटेनर रैकों का परिचालन प्रारम्भ करवाया जायेगा, जिसका सीधा आर्थिक फायदा स्थानीय निर्यातकों को मिलेगा और परिचालन में आने वाली लागत में कमी आयेगी।
2. एक साथ एक रैक के तहत कुल 180 कंटेनरों का परिचालन करवाया जा सकेगा जो कि वर्तमान में केवल 90 कंटेनरों का परिचालन हो रहा है। न्यूनतम समय में इन कंटेनरों को सम्बन्धित बंदरगाहों पर पहुँचाया जा सकेगा। इससे कंटेनर भेजने की क्षमता में लगभग दो गुणा हो जायेगी जिससे कंटेनर लोड करने सहित अन्य समस्या जो लम्बे समय से चली आ रही का समाधान हो सकेगा।

3. वर्तमान में जोधपुर एरिया से सड़क मार्ग से परिचालन करवाये जाने वाले निर्यात कंटेनरों की संख्या में कमी आयेगी जिससे हवा में प्रदूषण एवं सड़क दुर्घटनाओं में कमी आयेगी एवं सड़क पर ट्रैफिक की भीड़ एवं ट्रैफिक जाम जैसी समस्याओं से निजात मिलेगी।
4. सभी ट्रेन ऑपरेटरों द्वारा संचालित कंटेनरों का एकीकरण, लॉजिस्टिक को अनुकूल करना।

1.3 परियोजना के लाभ

एक लॉजिस्टिक पार्क को बल्क, ब्रेक बल्क और कंटेनरीकृत ट्रैफिक के लिए एक मल्टी–मॉडल फ्रेट

ग्राम बैठक में लोगों द्वारा बताये गए सुझाव एवं बैठक कार्यवाही पढ़कर सुनाते हुए लगदीश चौधरी

टर्मिनल के रुप में परिभाषित किया जा सकता है, जिससे वेयरहाउसिंग, कोल्ड स्टोरेज, हैंडलिंग, कस्टम जॉच आदि जैसी सुविधाएँ हैं, जो कुशल, लागत प्रभावी और महत्तवपूर्ण सेवाओं जैसे कार्गो, एकत्रीकरण/डिस–एग्रीगेशन, वितरण, इंटर मॉडल ट्रांसफर, सॉर्टिंग पैकिंग, री–पैकिंग, इत्यादि। दूसरे शब्दों में एक लॉजिस्टिक्स पार्क बिल्कुल सीमांकित डोमेन है जिसमें परिवहन, लॉजिस्टिक्स और माल वितरण से जुड़ी गतिविधियॉ शामिल हैं। लागत प्रभावी और निर्बाध लॉजिस्टिक्स सेवाओं की सुविधा के लिए सुविधाओं और उपकरणों के साथ ऑपरेटरों, कार्गो कॉसॉलिडेटर्स और लॉजिस्टिक कम्पनियों के लिए एक कार्य क्षेत्र भी है।

बहुबिध लॉजिस्टिक पार्क के प्रमुख लाभों को इस प्रकार रेखांकित किया जा सकता है–

- ''स्टैंड अलोन'' वितरण केन्द्रों की तुलना में उत्कृष्ट परिवहन लिंक– लम्बी दूरी के रेल नेटवर्क के साथ–साथ ट्रकिंग द्वारा अवाह क्षेत्र में वितरण बिंदुओं के साथ आसान पहुँच।
- कस्टम क्लीयरेंस सुविधाऍ– जहॉ भी आवश्यक हो।
- चौबीस घंटे सेवा–आम तौर पर शहरी बस्ती क्षेत्रों से दूर स्थित है।

- लागत बचत– क्योंकि सभी सुविधाएँ एक ही स्थान पर प्रदान की जाती हैं।
- उन्नत एवं बेहतर सुरक्षा प्रणालियाँ।
- प्रतिस्पर्धी और विश्वसनीय लॉजिस्टिक्स प्रदाताओं के चयन के लिए अधिक विकल्पों की उपलब्धता।
- परिवहन के कम से कम दा साधनों तक पहुँच, विशेष रुप से रेल एवं सड़क।
- तालमेल का उपयोग करने के लिए एक स्थान पर महत्त्वपूर्ण सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करने वाले प्रबन्धन कार्य।

1.4 परियोजना के तहत भू–अवाप्ति से भू–स्वामियों को सम्भावित हानि

- किसान को अपनी भूमि का नुकसान।
- नियोजित जीवन प्रभावित होगा।
- भूमि अधिग्रहण से परिवार के बच्चे एवं बुजुर्ग व्यक्ति भी प्रभावित होंगे।
- अल्प समय के लिए आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है जब तक परिवार कही अन्य स्थान पर जमीन क्रय नहीं कर लेता है।

1.5 सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन के प्रमुख उद्देश्य

(i) प्रस्तावित अधिग्रहण के सम्बन्ध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के प्रावधानानुसार उचित कार्यवाही सुनिश्चित करना।

(ii) प्रस्तावित अधिग्रहण के सम्पूर्ण क्षेत्र का विस्तृत दौरा कर प्रभावित होने वाले परिवारों तथा सम्बंधित ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों से वार्ता करना, उनके विचार लेखबद्ध करना तथा पूर्ण प्रचार–प्रसार के पश्चात् जन सुनवाई करना। जन सुनवाई के दौरान व्यक्त सभी विचार–विमर्श को लेखबद्ध करना।

(iii) प्रस्तावित अधिग्रहण क्षेत्र में प्रभावित होने वाले परिवारों के जीविकोपार्जन पर होने वाले प्रभाव एवं उचित मुआवजे का आकलन करना।

(iv) प्रभावित होने वाले परिवारों पर सम्भावित आर्थिक एवं सामाजिक प्रभाव का आकलन करना करना तथा उनके पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन करने हेतु प्रबन्धन योजना प्रस्तुत करना।

(v) प्रस्तावित अधिग्रहण लोक प्रयोजनार्थ है, यह सुनिश्चित करना।

(vi) प्रस्तावित अधिग्रहण से प्रभावित होने वाले परिवारों की संख्या का सही आकलन करना तथा उनके जीविकोपार्जन के वर्तमान साधनों को ज्ञात करना।

(vii) प्रस्तावित अधिग्रहण से अवस्थित समस्त सार्वजनिक जनसम्पत्तियों यथा सड़क मार्ग, सार्वजनिक एवं निजी मकान, विद्यालय, कार्यालय, स्वास्थ्य इकाईयों, आंगनबाड़ी केन्द्र, पेयजल स्रोत,

उद्यान, श्मशान, प्रार्थना के स्थान यथा मंदिर, मस्जिद इत्यादि को ज्ञात करना तथा उनके विस्थापन के प्रभाव का आकलन करना।

(viii) इस बात का समुचित निर्धारण करना कि प्रस्तावित क्षेत्र से कम क्षेत्र का अधिग्रहण करना उपयुक्त नहीं है तथा प्रस्तावित स्थान ही प्रस्तावित परियोजना के लिए सर्वथा उपयुक्त है। इसके अतिरिक्त कोई अन्य स्थान अधिग्रहण हेतु उपयुक्त नहीं है। साथ ही पूर्व में अधिग्रहित कोई अन्य भूमि आसपास अनुपयोगी स्थिति में उपलब्ध नहीं है।

(ix) इस बात को सुनिश्चित करना कि परियोजना में सामाजिक समाघातों को हल करने हेतु होने वाले व्यय एवं परियोजना पर होने वाले व्यय, दोनों समग्र व्यय से परियोजना से अपेक्षित लाभ अधिक है।

1.6 प्रमुख विशेषताएँ

लॉजिस्टिक्स पार्क की प्रमुख विशेषताएँ इस प्रकार है–

- कंटेनर ऑपरेटरों, कार्गो समेकन कर्ताओं, लॉजिस्टिक्स सेवा प्रदाताओं और लॉजिस्टिक्स व्यापार और उत्पादन उद्‌यम के लिए एक आम उपयोगकर्ता सुविधा
- परिवहन के कम से कम दा साधनों तक पहुँच, विशेष रुप से रेल एवं सड़क
- तालमेल का उपयोग करने के लिए एक स्थान पर महत्त्वपूर्ण सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करने वाले प्रबन्धन कार्य

1.7 एस.आई.ए. अध्ययन की पद्धति/विधियां

एस.आई.ए. अध्ययन में क्रॉस सेक्शनल अध्ययन डिजाईन लागू किया गया है। अध्ययन के उद्देश्य एवं कार्यक्षेत्र को ध्यान में रखकर मिश्रित विधि का उपयोग किया गया जिसमें गुणात्मक एवं संख्यात्मक अनुसंधान विधि दोनों को शामिल किया गया। अध्ययन का समग्र डिजाइन और ढ़ांचा आर.एफ.सी.टी.एल.ए.आर. आर., नियम, 2016 (**R**ight to **F**air **C**ompensation and **T**ransparency in **L**and. **A**cquisition, **R**ehabilitation and **R**esettlement **R**ules, 2016) द्वारा निर्देशित किया गया एवं एस.आई.ए. इकाई के तकनीकी मार्गदर्शन में विकसित और निष्पादित करना है।

प्राथमिक डेटा/आकड़ा संग्रह विधियों में शामिल है।

I. प्रस्तावित परियोजना से प्रत्यक्ष रुप से प्रभावित परिवारों का सूचीकरण एवं उनका पारिवारिक सामाजिक व आर्थिक सर्वेक्षण।
II. अप्रत्यक्ष रुप से प्रभावित परिवारों से चर्चाएँ/साक्षात्कार कर सूचना संकलन करना।
III. प्रस्तावित परियोजना से प्रभावित गांवों के निवासियों से भिन्न –भिन्न समूहों में चर्चाएँ कर परियोजना के प्रभावों की जानकारी लेना एवं लिपिबद्ध करना।

IV. परियोजना क्षेत्र में प्रभावित लोगों के साथ पी.आर.ए. (इतिहास, सामाजिक और संसाधन मानचित्रण, चपाती चित्रण एवं मौसमी कैलेन्डर) के माध्यम से ग्रामवासियों की भागीदारी को बढ़ाना एवं गांव की सूचनाएँ तैयार करना।

1.8 एस.आई.ए. अध्ययन से प्राप्त जानकारी/ निष्कर्ष

एस.आई.ए. के दौरान विभिन्न समूहों के साथ ग्राम बैठक का आयोजन किया गया जिसमें प्रभावित लोगों का कहना है अब हमारी यही मांग है कि जमीन अवाप्ति के एवज में सरकार हमारी परिस्थिति को समझते हुए यह सुनिश्चित करें कि लोगों को उचित मुआवजा दिलाये ताकि प्रभावित लोग भूमि अवाप्ति पश्चात् पूर्व की तरह अपनी सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में पूर्व की तरह बहाल कर सके। एस.आई.ए. के दौरान प्रभावित भू–स्वामियों की भूमि अवाप्ति को लेकर प्रमुख सुझाव/राय/बात रखी गई जो निम्न है।

क्रम संख्या	गांव का नाम	प्रभावित भू–स्वामियों द्वारा दिये गये सुझाव एवं मांग
1	सालावास	• भू–स्वामी जिनकी जमीन अधिग्रहित की जा रही है उन्हें खसरावार तथा व्यक्ति वार भूमि अवाप्ति की जानकारी दी जावे। • प्रभावित भू–स्वामी के परिवार के एक सदस्य को कंटेनर डिपों में रोजगार/नौकरी दी जावे। • भू–स्वामियों को जो मुआवजा दिया जावे वो बाजार भाव से दिया जावे। न कि डी.एल.सी दर से। वर्तमान में बाजार भाव लगभग 60 लाख प्रति बीघा है। • भू–स्वमियों के खेत में बनी समस्त संरचनाओं का आज के बाजार भाव के हिसाब से मुआवजा दिया जावे। जैसे मकान, कुआं, ट्यूबवैल, तारबन्दी, पेड़ आदि। • प्रस्तावित योजना के अन्दर गांव के किसाानों की रेलवे लाईन पार करते हुए डामरीकरण सड़क मार्ग बना है उसको अवरुद्ध न किया जावे। • ग्राम सालावास की सरहद में जे.डी.ए. ने जो भू–खण्ड/ कॉलोनी काटी है जिनकी रेट मीटर/गज से है उसके अनुसार रेट/दर तय की जावे। • रेलवे का गेट नम्बर सी–214 जो किसानों के खेत में जाने का

		रास्ता है उसको बन्द कर दिया गया है उसको पुनः चालू/खोला जावे। • कॉनकॉर डिपो योजना के द्वारा अधिग्रहित की जा रही भूमि के अलावा जो भूमि बच रही है उसको किसी भी प्रकार से रेड जोन/ नो कंस्ट्रक्शन जोन घोषित ना किया जावे। • प्रस्तावित डिपो के आसपास के किसानों के आने जाने का जो मार्ग है उसकों बन्द न किया जावे या उसके स्थान पर नया रास्ता बनाकर दिया जावे। • भू–स्वामी को क्षतिपूर्ति राशि खाते में जमा कराई जावे जो एक मुश्त होनी चाहिये एवं उक्त राशि पर किसी प्रकार का कोई टैक्स कटौती नहीं की जावे। • प्रस्तावित परियोजना में प्रस्तावित सूची में नाम सुधार एवं बंटवारा नामान्तकरण जैसा कार्य में सहयोग कराया जावे। • जो भूमि अवाप्ति हेतु प्रस्तावित है उसकी जानकारी दी जावे। • भू–स्वामियों की फसल को प्रभावित करते है तो उसका भी मुआवजा दिया जावे। • सभी मांगों पर उचित निर्णय किया जावे। • डिपो के विस्तार एव निर्माण कार्य में स्थानीय लोगों को मजदूरी करने, ट्रैक्टर, ट्रक आदि को अवसर दिया जावे एवं कंटेनर डिपो के बाहरी व्यक्तियों द्वारा कार्य में जिन खातेदारों की जमीन जा रही है उनको प्राथमिकता देते हुए अवसर दिया जावे।

राजस्थान और इसके आसपास के इलाकों में गतिशील औद्योगिक विकास देखा गया है। इसने समृद्ध खनिज भण्डार और निर्बाध रेल–सड़क सम्पर्क जैसे क्षेत्र के अंतर्निहित कारकों का लाभ उठाने की अनुमति दी है। आगे की चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए, एमएमएलपी ने अपनी उत्पादकता बढ़ाने और कंटेनरीकृत कार्गो, क्लीन बल्क कार्गो और एलएनजी ट्रैफिक जैसे नए ट्रैफिक को आकर्षित करने के लिए क्षमता विस्तार और मशीनीकरण किया जाना अपेक्षित है। जोधपुर एरिया से सड़क मार्ग से परिचालन करवाये जाने वाले निर्यात कंटेनरों की संख्या में कमी आयेगी जिससे हवा में प्रदूषण एवं सड़क दुर्घटनाओं में कमी आयेगी एवं सड़क पर ट्रैफिक की भीड़ एवं ट्रैफिक जाम जैसी समस्याओं से निजात मिलेगी।

कॉनकॉर ने ऐसा एक स्ट्रेटेजिक स्थान काफी सर्वेक्षण के पश्चात् चयन किया गया जो कि न केवल बंदरगाहों एवं आईसीडी के कंटेनरों के शीघ्र रेल परिवहन में मदद करेगा बल्कि राजस्थान के कई जिला के व्यापार एवं उद्योगों को लॉजिस्टिक सुविधाएँ प्रदान करेगा एवं रोजगार के नये अवसर प्रदान करेगा। चूँकि जोधपुर एवं आसपास के जिलों से प्रत्येक माह हजारों कंटेनरों का हैंडलिंग एवं रेल परिवहन होता है इसलिए इस प्रकार के प्रस्तावित बहुबिध लॉजिस्टिक पार्क के निर्माण के लिए कुल 19.8474 हेक्टेयर जमीन का प्रथम चरण में प्रावधान करना आवश्यक है। इस कार्य हेतु भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्स्थापन की कार्यवाही के क्रम में राज्य सरकार द्वारा गजट प्रकाशन राजपत्र क्रमांक/प 4 (30) उद्योग/1 दिनांक 08 फरवरी 2023 को हो गया है। इस क्रम में ग्राम सालावास तहसील लूणी, जिला जोधपुर में 19.8474 हेक्टेयर कुल भूमि अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित है। इस अवाप्ति के पश्चात् खातेदार/हिस्सेदार परिवार प्रभावित होंगे जो कि खेती में ज्वार, बाजरा, मूंग, मौठ, गेंहूँ, तिल, गंवार, रायड़ा/सरसों एवं आदि की पैदावार करते हैं।

प्रस्तावित स्थान मल्टी–मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के विकास एवं रेलवे लाइन से लिंक लाइन निर्माण के लिए भूमि अवाप्ति कार्य हेतु सालावास गॉव से सम्बन्धित प्रस्तावित खसरा नम्बर एवं राजस्व रेकर्ड अनुसार उनका मालिकाना विवरण, तथा कुल क्षेत्र का ब्यौरा निम्न प्रकार है–

तालिका : 1.1 भूमि का विस्तृत विवरण

क्रम संख्या	ग्राम पंचायत	गांव का नाम	गांव का भूमि कुल क्षेत्रफल भूमि (हे.)	अवाप्ति हेतु प्रस्तावित खसरा की कुल क्षेत्रफल भूमि (हे.)	अवाप्ति हेतु कुल प्रस्तावित भूमि (हे.)	अवाप्ति हेतु प्रस्तावित निजी भूमि (हेक्टयर)	अवाप्ति हेतु प्रस्तावित सरकारी भूमि (हेक्टयर)	कुल अवाप्ति हेतु प्रस्तावित भूमि का प्रतिशत	गांव में प्रभावित निजी खसरा के खातेदार /हिस्सेदार	गांव में प्रभावित सरकारी खसरा के खातेदार / हिस्सेदार
1	सालावास	सलावास रेलवे स्टेशन	619.0	78.9071	19. 8474	19. 7697	0.0777	3.21	49	3
	कुल		**619.0**	**78.9071**	**19. 8474**	**19. 7697**	**0.0777**	**3.21**	**49**	**3**

(नोट–स्रोत तहसील लूणी के पटवार द्वारा सर्वेक्षण रिपोर्ट अनुसार)

ग्राम सालावास रेलवे स्टेशन की कुल भूमि 619.00 हेक्टेयर है। मल्टी–मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के विकास एवं रेलवे लाइन से लिंक लाइन निर्माण के लिए प्रस्तावित भूमि अवाप्ति 19.8474 हेक्टेयर है (3.21 प्रतिशत) जोकि न्यूनतम अवाप्ति है।

अध्याय– 2
परियोजना विवरण

2.1 प्रस्तावित मल्टी–मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के विकास एवं रेलवे लाइन से लिंक लाइन निर्माण कार्य, ग्राम सालावास पृष्टभूमि

लॉजिस्टिक्स पार्क न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए स्थानीय व्यापार और उद्योग के लिए एक आधार प्रदान करते हैं। एक लॉजिस्टिक पार्क को मल्टी–मॉडल फ्रेट टर्मिनल के रुप में परिभाषित किया जा सकता है जो थोक, ब्रेक बल्क और कंटेनरीकृत ट्रैफिक के लिए वेयरहासिंग, कोल्ड स्टोरेज, हैंडलिंग, कस्टम जॉच जैसी सुविधाओं के साथ कुशल, लागत प्रभावी और महत्त्वपूर्ण सेवाओं जैसे कार्गो एकत्रीकरण की सुविधाएँ प्रदान करता है जैसे डी–एग्रीगेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, इंटर मॉडल ट्रांसफर, सॉर्टिंग, पैकिंग, री–पैकिंग इत्यादि। दूसरे शब्दों में कहें तो लॉजिस्टिक पार्क बिल्कुल सीमांकित क्षेत्र/डोमेन है जिसमें परिवहन लॉजिस्टिक और माल वितरण से जुड़ी गतिविधियॉ शामिल हैं। लागत प्रभावी और निर्बाध सुविधा के लिए सुविधाओं और उपकरणों के साथ ऑपरेटरों, कार्गो समेकको और लॉजिस्टिक कम्पनियों के लिए एक कार्य क्षेत्र भी है।

केन्द्र और राज्य सरकार की उद्योग अनुकूल नीतियों के कारण औद्योगिक घरानों के विश्वास को बढ़ावा देने के कारण पिछले दशक के दौरान राजस्थान और इसके आसपास के इलाकों में कार्यात्मक (Functional) औद्योगिक विकास देखा गया है। क्षेत्र की जरुरत एवं उपरोक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए इसके विस्तार की आवश्यकता है। क्षेत्र में समृद्ध खनिज भण्डार और निर्बाध रेल–सड़क सम्पर्क जैसे क्षेत्र के अंतर्निहित कारकों का लाभ उठाने की अनुमति दी है। आगे की चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए, एमएमएलपी ने अपनी उत्पदकता बढ़ाने और कंटेनरीकृत कार्गो, क्लीन बल्क कार्गो और एलएनजी ट्रैफिक जैसे नए ट्रैफिक को आकर्षित करने हेतु क्षमता विस्तार करना अतिआवश्यक है।

2.2 परियोजना विस्तृत विवरण

1. परिचय

लॉजिस्टिक अवसंरचना का निर्माण एक महत्त्वपूर्ण घटक है। संक्षेप में लॉजिस्टिक्स पार्क न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए स्थानीय व्यापार और उद्योग के लिए एक आधारभूत मजबूती प्रदान करता हैं। एक लॉजिस्टिक पार्क को मल्टी–मॉडल फ्रेट टर्मिनल के रुप में परिभाषित किया जा सकता है जो थोक, ब्रेक बल्क और कंटेनरीकृत ट्रैफिक के लिए वेयरहाउसिंग, कोल्ड स्टोरेज, हैंडलिंग, कस्टम जॉच आदि जैसी सुविधाओं के साथ प्रभावी लॉजिस्टिक सेवाओं जैसे कार्गो एकत्रीकरण की सुविधा प्रदान करता है। डी–एग्रीगेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, इंटर मॉडल ट्रांसफर, सॉर्टिंग, पैकिंग, री–पैकिंग इत्यादि शामिल है। दूसरे शब्दों में लॉजिस्टिक पार्क में परिवहन लॉजिस्टिक और माल

वितरण से जुड़ी गतिविधियॉ शामिल हैं। लागत प्रभावी और निर्बाध सुविधा के लिए सुविधाओं और उपकरणों के साथ ऑपरेटरों, कार्गो समेकको और लॉजिस्टिक कम्पनियों के लिए एक कार्य क्षेत्र भी है।

काफी सर्वेक्षण के पश्चात् कॉनकॉर ने ऐसा एक स्ट्रेटेजिक स्थान का चयन किया गया जो कि राजस्थान के जोधपुर जिले के सालावास रेलवे स्टेशन से जुड़ा है। यह स्थान न केवल बंदरगाहों एवं आईसीडी के कंटेनरों के शीघ्र रेल परिवहन में मदद करेगा बल्कि राजस्थान के कई जिला के व्यापार एवं उद्योगों को लॉजिस्टिक सुविधाऍ प्रदान करेगा एवं रोजगार के नये अवसर प्रदान करेगा।

चूँकि जोधपुर एवं आसपास के जिलों से प्रत्येक माह हजारों कंटेनरों का हैंडलिंग एवं रेल परिवहन होता है इसलिए इस प्रकार के प्रस्तावित मेगा लॉजिस्टिक हब के निर्माण के लिए कुल 19.8474 हेक्टेयर जमीन का प्रावधान करना आवश्यक है। इस परियोजना हेतु रेल लाइन की लम्बाई के लिए लगभग 1400 मीटर एवं 175 मीटर यार्ड कंटेनर/कार्गो की ढुलाई एवं स्टोरेज के कार्यों के लिए प्रस्तावित है। प्राथमिक सर्वेक्षण के अनुसार इस प्रोजेक्ट की प्रस्तावित जमीन मुख्य रुप से निजी खेती की एवं सरकारी जमीन है।

2. तकनीकी पक्ष

भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड (कॉनकॉर), रेल मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत भारत सरकार का एक नवरत्न उपक्रम है। कॉनकॉर देश भर में आईसीडी, सीएफएस लॉजिस्टिक पार्क, पत्तन एवं एयर कार्गो कॉम्पलेक्स से आयात–निर्यात एवं घरेलू कंटेनरों का हैंडलिंग एवं परिवहन करके देश के विभिन्न

एस.आई.ए. अध्ययन के दौरान ग्राम बैठक में लोग चर्चा करते हुए

उद्योगों को प्रभावी (Efficient) लॉजिस्टिक सेवाएँ प्रदान करता आया है। कॉनकॉर की स्थापना के बाद से कॉनकॉर ने विभिन्न शहरों/औद्योगिक क्षेत्रों में कैपिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर में निवेश करके विविध लॉजिस्टिक सुविधाओं को बढ़ावा दिया है। भारतीय रेल ने उत्तर–पश्चिम क्षेत्र में दादरी से मुंबई बन्दरगाह को जोड़ने के लिए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरीडोर कॉरपोरेशन (डीएफसीसी) के द्वारा फ्रेट (कार्गो) के लिए बुनियादी सेवाएँ एवं साथ–साथ बहुबिध (Multi-Modal) लॉजिस्टिक पार्क के विकास के लिए पहल की है। पिछले कई सालों से भारत में अभूतपूर्व औद्योगिक एवं आर्थिक वृद्धि हुई है और उसमें उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्रों में आईसीडी एवं बंदरगाहों का बड़ा हिस्सा रहा है। अर्थव्यवस्था का मूल उद्देश्य लॉजिस्टिक की कुल लागत को कम करना है।

3. परियोजना घटक

प्रस्तावित परियोजना मल्टी–मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के विकास एवं रेलवे लाइन से लिंक लाइन निर्माण कार्य राजस्थान के जोधपुर जिले के सालावास रेलवे स्टेशन से जुड़ा है। यह स्थान न केवल बंदरगाहों एवं आईसीडी के कंटेनरों के शीघ्र रेल परिवहन में मदद करेगा बल्कि राजस्थान के कई जिला के व्यापार एवं उद्योगों को लॉजिस्टिक सुविधाएँ प्रदान करेगा एवं रोजगार के नये अवसर प्रदान करेगा।

चूँकि जोधपुर एवं आसपास के जिलों से प्रत्येक माह हजारों कंटेनरों का हैंडलिंग एवं रेल परिवहन होता है इसलिए इस प्रकार के प्रस्तावित बहुबिध लॉजिस्टिक पार्क के निर्माण के लिए कुल 19.8474 हेक्टेयर जमीन का प्रावधान करना आवश्यक है। इस परियोजना हेतु रेल लाइन की लम्बाई के लिए लगभग 1400 मीटर एवं 175 मीटर यार्ड कंटेनर/कार्गो की ढुलाई एवं स्टोरेज के कार्यों के लिए प्रस्तावित है। प्राथमिक

परियोजना (एमएमएलपी) हेतु प्रस्तावित स्थान

सर्वेक्षण के अनुसार इस प्रोजेक्ट की प्रस्तावित जमीन मुख्य रुप से निजी खेती की एवं सरकारी जमीन है।

4. परियोजना का स्थान

प्रस्तावित परियोजना मल्टी–मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के विकास एवं रेलवे लाइन से लिंक लाइन निर्माण कार्य का चयनित स्थान है ग्राम सालावास रेलवे स्टेशन, जिला जोधपुर, राजस्थान। सालावास ग्राम के लगभग 49 खसरा के खातेदार/हिस्सेदार की निजी एवं 3 सरकारी खसरा की 19.8474 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित है। सालावास एक छोटा सा गॉव है और स्थानीय शिल्पकारों द्वारा बनाई गई दरियों के लिए प्रसिद्ध है। इसके पूर्व भाग एन.एच. 62 से जुड़ता है जो जोधपुर एवं पाली जिले से जुड़ा हुआ है।

सालावास का पश्चिम भाग एन. एच. 25 से जुड़ता है जो धवा एवं बोरंडा से जुड़ता है। सालावास गॉव तहसील मुख्यालय लूणी से 22 कि.मी. की दूरी पर है।

5. परियोजना का लक्ष्य

प्रस्तावित मल्टी–मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के विकास एवं रेलवे लाइन से लिंक लाइन निर्माण कार्य को भविष्य में यातायात के नई सुविधा युक्त बनाने लॉजिस्टिक और आपूर्ति श्रृंखला को बेहतर करना है। आधुनिक समय के व्यापार के प्रतिस्पर्धी दबाब से निपटने के तथा लागत में कमी और सेवाओं में वृद्धि का लक्ष्य रखा है। ग्राम सालावास में मल्टी–मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के विकास एवं रेलवे लाइन से लिंक लाइन निर्माण के पश्चात् क्षेत्र में न केवल बंदरगाहों एवं आईसीडी के कंटेनरों के शीघ्र रेल परिवहन में मदद करेगा बल्कि राजस्थान के कई जिला के व्यापार एवं उद्योगों को लॉजिस्टिक सुविधाएॅ प्रदान करेगा एवं रोजगार के नये अवसर प्रदान करेगा। चूॅकि जोधपुर एवं आसपास के जिलों से प्रत्येक माह हजारों कंटेनरों का हैंडलिंग एवं रेल परिवहन होता है जिसे अनवरत बिना किसी व्यवधान के किया जा सकेगा। शहर को यातायात दबाव एवं दुर्घटनाओं से निजात मिल सकेगी।

- सालावास में मल्टी–मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के विकास होने के साथ ही मुन्द्रा एवं पीपावा बंदरगाह के लिए सीधे तौर पर डबल डेकर कंटेनर रैकों का परिचालन प्रारम्भ करवाया जायेगा, जिसका सीधा आर्थिक फायदा स्थानीय निर्यातकों को मिलेगा और परिचालन में आने वाली लागत में कमी आयेगी।
- एक साथ एक रैक के तहत कुल 180 कंटेनरों का परिचालन करवाया जा सकेगा जो कि वर्तमान में केवल 90 कंटेनरों का परिचालन हो रहा है। न्यूनतम समय में इन कंटेनरों को सम्बन्धित बंदरगाहों पर पहुॅचाया जा सकेगा। इससे कंटेनर भेजने की क्षमता में लगभग दो गुणा हो जायेगी जिससे कंटेनर लोड करने सहित अन्य समस्या जो लम्बे समय से चली आ रही का समाधान हो सकेगा।

6. प्रभावित भू–स्वामियों से चर्चा के दौरान मल्टी–मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के विकास एवं रेलवे लाइन से लिंक लाइन निर्माण को लेकर उपस्थित लोगों द्वारा सम्भावनाओं को व्यक्त किया जो इस प्रकार है–

- क्षेत्र में किसान जिनके पास अवाप्ति पश्चात् कम जमीन शेष बचेगी उन्हें अन्य स्थान पर जमीन क्रय करनी पड़ेगी।
- चूँकि प्रस्तावित ग्राम सालावास में वर्तमान डीएलसी दर कम है इसलिए अधिग्रहण पश्चात् मिले हुए मुआवजा से गांव के आसपास जमीन क्रय करना मुश्किल होगा।
- जेडीए स्वीकृत गांव के पास आवासीय योजना काटी जा रही है जिसके कारण भी जमीन के भाव बढ़ गये हैं। इसके कारण जमीन क्रय करना मुश्किल हो गया है।
- अवाप्ति पश्चात् जमीन शेष बचेगी उस पर जाने हेतु रास्ता बंद हो जायेगा। क्योंकि इस परियोजना भूमि में रास्ता/सड़क मार्ग भी अवाप्ति में प्रस्तावित है।

2.3 एस.आई.ए. और प्रबन्धन शमन योजना प्रक्रिया

भू–अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013

ग्राम बैठक में लोग विचार विमर्श एवं चर्चा हुए

एवं राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम, 2016 के दिशा निर्देशों के अन्तर्गत यह उल्लेख किया गया है कि सरकार या निजी क्षेत्र में किसी भी विकास के कार्य हेतु भूमि अवाप्ति अधिनियम के तहत किया जा सकेगा। सरकार का यह भी मानना है कि भूमि अवाप्ति भू–स्वामियों से सलाह मशविरा, उनकी राय/सहमति से किया जाना चाहिये।

इसी क्रम में अधिनियम/नियम के अनुसार विकास परियोजना में प्रभावित हो रहे भू–स्वामी/किसानों के साथ चर्चा कर उनके सामाजिक, आर्थिक स्तर जानना एवं उन्हे प्रस्तावित कार्य/योजना से कितनी एवं

किस प्रकार की क्षति (समाघात) हो रही है का आकलन कर प्रभावित लोगों की सहभागिता से क्षतिपूर्ति /मुआवजा हेतु कार्यवाही कराना है। एस.आई.ए. के अन्तर्गत परियोजना विस्तार कार्य से प्रभावित लोगों, समुदाय से विभिन्न स्तरों पर चर्चाएँ करना एवं प्राप्त सूचनाओं को संकलित कर सरकार/सम्बन्धित विभाग को प्रतिवेदन प्रस्तुत करना है।

प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए एक राहत/शमन योजना बनाना है। एस.आई.ए. अध्ययन का प्रमुख योगदान किसी प्रस्तावित परियोजना के कारण उत्पन्न होने वाले किसी भी नकारात्मक प्रभावों को कम करना एवं किसी भी सकारात्मक चीजों को बढ़ाने की योजना के प्रबन्धन संचालन करने में मदद करना है। प्रभावी एस.आई.ए. और एस. आई. एम. पी. परियोजना के सामाजिक आर्थिक प्रभावों की पहचान सार्वजनिक/सामुदायिक परामर्श, भूमि अधिग्रहण और मुआवजे के लिए कानूनी पात्रता नीति में पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन (आर.एण्ड आर.) (Rehabilitation & Resettlement) का विवरण है।

2.4 अध्ययन का उद्देश्य

राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम, 2016 के दिशा निर्देशों के अध्याय III के धारा 6 और 7 के अनुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारित मूल्यांकन का संचालन करना है, जो विभाग द्वारा जारी भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन नियम, 2016 में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार है। राजस्व विभाग (राजस्थान सरकार) का पत्रांक **No. F. 1(3) Rev. 6/2011/pt./02 dated 12/01/2016.** द्वारा इसे लागू किया गया है।

सामाजिक समाघात आकलन (एस.आई.ए.) अध्ययन के उद्देश्य निम्न हैः

(i) प्रस्तावित अधिग्रहण के सम्बन्ध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के प्रावधानानुसार उचित कार्यवाही सुनिश्चित करना।

(ii) प्रस्तावित अधिग्रहण के सम्पूर्ण क्षेत्र का विस्तृत दौरा कर प्रभावित होने वाले परिवारों तथा सम्बंधित ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों से वार्ता करना, उनके विचार लेखबद्ध करना तथा पूर्ण प्रचार–प्रसार के पश्चात् जन सुनवाई करना। जन सुनवाई के दौरान व्यक्त सभी विचार–विमर्श को लेखबद्ध करना।

(iii) प्रस्तावित अधिग्रहण क्षेत्र में प्रभावित होने वाले परिवारों के जीविकोपार्जन पर होने वाले प्रभाव एवं उचित मुआवजे का आकलन करना।

(iv) प्रभावित होने वाले परिवारों पर सम्भावित आर्थिक एवं सामाजिक प्रभाव का आकलन करना करना तथा उनके पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन करने हेतु प्रबन्धन योजना प्रस्तुत करना।

(v) प्रस्तावित अधिग्रहण लोक प्रयोजनार्थ है, यह सुनिश्चित करना।

(vi) प्रस्तावित अधिग्रहण से प्रभावित होने वाले परिवारों की संख्या का सही आकलन करना तथा उनके जीविकोपार्जन के वर्तमान साधनों को ज्ञात करना।

(vii) प्रस्तावित अधिग्रहण से अवस्थित समस्त सार्वजनिक जनसम्पत्तियों यथा सड़क मार्ग, सार्वजनिक एवं निजी मकान, विद्यालय, कार्यालय, स्वास्थ्य इकाईयों, आंगनबाड़ी केन्द्र, पेयजल स्रोत, उद्यान, श्मशान, प्रार्थना के स्थान यथा मंदिर, मस्जिद इत्यादि को ज्ञात करना तथा उनके विस्थापन के प्रभाव का आकलन करना।

(viii) इस बात का समुचित निर्धारण करना कि प्रस्तावित क्षेत्र से कम क्षेत्र का अधिग्रहण करना उपयुक्त नहीं है तथा प्रस्तावित स्थान ही प्रस्तावित परियोजना के लिए सर्वथा उपयुक्त है। इसके अतिरिक्त कोई अन्य स्थान अधिग्रहण हेतु उपयुक्त नहीं है। साथ ही पूर्व में अधिग्रहित कोई अन्य भूमि आसपास अनुपयोगी स्थिति में उपलब्ध नहीं है।

(ix) इस बात को सुनिश्चित करना कि परियोजना में सामाजिक समाघातों को हल करने हेतु होने वाले व्यय एवं परियोजना पर होने वाले व्यय, दोनों समग्र व्यय से परियोजना से अपेक्षित लाभ अधिक है।

2.5 सामाजिक समाघात आकलन की अध्ययन प्रक्रिया

सामाजिक समाघात का अध्ययन सम्भवतः परियोजना नियोजन चरण में किया जाना चाहिये। यह अध्ययन की प्रक्रिया को समझने में सहयोग प्रदान करता है एवं सामाजिक समाघात आकलन अध्ययन की प्रक्रिया निम्न है:

- सकारात्मक या नकारात्मक रुप से प्रभावित समूह कौन होगा, पर जानकारी।
- परियोजना और उसके प्रभाव के बारे में प्रभावित लोगों की धारणाओं के बारे में जानकारी।
- प्रभाव को कम करने के लिए संभावित उपाय करने की जानकारी।
- परियोजना क्षेत्र में सामाजिक और आर्थिक स्थितियों के बारे में आधारभूत जानकारी।
- परियोजना के सम्भावित प्रभावों, परिणाम, वितरण और उनकी अवधि की विशेषता पर जानकारी।
- राहत उपायों को लागू करने की लिए संस्थागत क्षमता के बारे में जानकारी।

2.6 अध्ययन क्षेत्र

मल्टी–मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के विकास एवं रेलवे लाइन से लिंक लाइन निर्माण हेतु ग्राम सालावास की कुल 19.8474 हेक्टेयर निजी एवं सरकारी भूमि अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित है। प्रस्तावित अधिग्रहण क्षेत्र जिला मुख्यालय से लगभग 22 कि.मी. तथा तहसील मुख्यालय से भी 22 कि.मी. की दूरी पर है।

तालिका 2.1 लूणी तहसील (प्रभावित गांवों का जनसंख्या प्रारुप)

गांव का नाम	जनगणना कोड	गांव की जनसंख्या प्रारुप (जनगणना 2011 के अनुसार)			अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
		कुल श्रमिक	कुल परिवार	कुल जनसंख्या		
सालावास	85544	1986	1067	6592	1193	25
सालावास रेलवे स्टेशन	85542	181	131	670	74	7
नोटः–सूचना स्रोत जनगणना 2011 के अनुसार						

2.7 परियोजना और सामाजिक समाघात आकलन –समूह बैठक में एस.आई.ए. के दौरान लूणी तहसील के ग्राम सालावास में ग्राम स्तर पर समुदाय एवं प्रभावित लोगों के साथ बैठक आयोजित की गई। ग्राम बैठक

ग्राम बैठक में प्रभावित लोग खसरों के बारे में जानकारी लेते हुए

कर किसानों/ भू–स्वामी एवं गांव के अन्य लोगों के विचार जानने का प्रयास किया गया। बैठक में यह भी प्रयास किया गया कि गांव के पंचायत जन प्रतिनिधी जैसे सरपंच व पंच, आंगनवाडी कार्यकर्ता, ग्राम सेवक व पटवारी भी मौजूद रहे।

बैठक में किसान/ भू–स्वामी एवं गांव के अन्य लोग भी उपस्थित रहे। बैठक में गांव के विकास एवं विकास के मुद्दों पर चर्चा की गई। ग्राम बैठक में उपस्थित लोगों/भू– स्वामियों ने गांव के विकास को लेकर अपने अपने मत प्रस्तुत किये। चर्चा के दौरान उपस्थित लोगों ने अपनी बात रखते हुए बताया कि किसान/भू–स्वामी को जो भी क्षति होने वाली है उसकी क्षतिपूर्ति के लिए सरकार द्वारा मुआवजे की कार्यवाही करते हुए लोगों को आश्वस्त किया जाना चाहिये। लोगों को आश्वस्त करने से प्रस्तावित परियोजना क्षेत्र में निर्माण कार्य करना सहज हो जाता है।

क्षेत्र में प्रस्तावित योजना का फायदा भी लोगों को मिलेगा एवं सरकार जो भी भूमि अवाप्त करती है एवं मुआवजा की कार्यवाही शीघ्र होती है एवं प्रभावित लोगों द्वारा दिये गये सुझावों के निराकरण शामिल कर

लिये जाते हैं तो अधिकांश लोगों की सहमति भी मिल जाती है जिससे परियोजना कार्य के क्रियान्वयन की राह आसान हो जाती है। –

क्रम संख्या	गांव का नाम	प्रभावित भू–स्वामियों द्वारा दिये गये सुझाव एवं मांग
1	सालावास	• भू–स्वामी जिनकी जमीन अधिग्रहित की जा रही है उन्हें खसरावार तथा व्यक्ति वार भूमि अवाप्ति की जानकारी दी जावे। • प्रभावित भू–स्वामी के परिवार के एक सदस्य को कंटेनर डिपों में रोजगार/नौकरी दी जावे। • भू–स्वामियों को जो मुआवजा दिया जावे वो बाजार भाव से दिया जावे। न कि डी.एल.सी दर से। वर्तमान में बाजार भाव लगभग 60 लाख प्रति बीघा है। • भू–स्वमियों के खेत में बनी समस्त संरचनाओं का आज के बाजार भाव के हिसाब से मुआवजा दिया जावे। जैसे मकान, कुआं, ट्यूबवैल, तारबन्दी, पेड़ आदि। • प्रस्तावित योजना के अन्दर गांव के किसाानों की रेलवे लाईन पार करते हुए डामरीकरण सड़क मार्ग बना है उसको अवरुद्ध न किया जावे। • ग्राम सालावास की सरहद में जे.डी.ए. ने जो भू–खण्ड/ कॉलोनी काटी है जिनकी रेट मीटर/गज से है उसके अनुसार रेट/दर तय की जावे। • रेलवे का गेट नम्बर सी–214 जो किसानों के खेत में जाने का रास्ता है उसको बन्द कर रखा गया है उसको पुनः चालू/खोला जावे। • कॉनकॉर डिपो योजना के द्वारा अधिग्रहित की जा रही भूमि के अलावा जो भूमि बच रही है उसको किसी भी प्रकार से रेड जोन/ नो कंस्ट्रक्शन जोन घोषित ना किया जावे। • प्रस्तावित डिपो के आसपास के किसानों के आने जाने का जो मार्ग है उसकों बन्द न किया जावे या उसके स्थान पर नया रास्ता बनाकर दिया जावे।

		• भू–स्वामी को क्षतिपूर्ति राशि खाते में जमा कराई जावे जो एक मुश्त होनी चाहिये एवं उक्त राशि पर किसी प्रकार का कोई टैक्स कटौती नहीं की जावे। • प्रस्तावित परियोजना में प्रस्तावित सूची में नाम सुधार एवं बंटवारा नामान्तकरण जैसा कार्य में सहयोग कराया जावे। • जो भूमि अवाप्ति हेतु प्रस्तावित है उसकी जानकारी दी जावे। • भू–स्वामियों की फसल को प्रभावित करते है तो उसका भी मुआवजा दिया जावे। • सभी मांगों पर उचित निर्णय किया जावे। • डिपो के विस्तार एव निर्माण कार्य में स्थानीय लोगों को मजदूरी करने, ट्रैक्टर, ट्रक आदि को अवसर दिया जावे एवं कंटेनर डिपो के बाहरी व्यक्ति द्वारा कार्य में जिन खातेदारों की जमीन जा रही है उनको प्राथमिकता देते हुए अवसर दिया जावे।

प्रभावित भू–स्वामियों के साथ मल्टी–मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के विकास एवं रेलवे लाइन से लिंक लाइन निर्माण हेतु प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण के बारे में लूणी तहसील के ग्राम सालावास में लोगों के साथ फोकस ग्रुप चर्चा की गई। चर्चा में यह समझने के प्रयास किये गये कि गांव के लोगों की आय एवं जीवन यापन के मुख्य आधार क्या हैं साथ ही यह भी प्रयास किये गये कि गांव/मोहल्लों में कहीं कोई विवादास्पद स्थिति तो नहीं है। मल्टी–मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के विकास एवं रेलवे लाइन से लिंक लाइन निर्माण हेतु भू अवाप्ति के प्रभावों को जानने के लिए छोटे समूह में बैठक करने का निर्णय लिया गया जो समाज/गांव में किसी भी प्रकार के होने वाले विवाद या बाधा को समझने में सहायक होते हैं। गांव एवं लोगों के विचारों को जानकर उनके अनुसार रणनीति बनाकर चरणबद्ध तरीके से कार्य नीति निर्माण कर सकें। छोटे समूहों में चर्चा कर उन्हें अपनी बात कहने का अवसर भी दिया गया ताकि वे अपनी बात कह पाये। प्रभावित लोगों के विचार उनकी राय परियोजना कार्य के क्रियान्वयन के लिए सहायक होते हैं। लोंगों को उनकी समस्याओं को समझने का एक अवसर भी है।

2.8 कानून और नीतियाँ

सामाजिक समाघात आकलन अध्ययन (एस.आई.ए.) ढ़ांचागत परियोजना (Infrastructural project) एवं अन्य विकास कार्यों से होने वाले सामाजिक प्रभावों की समीक्षा करने की एक पद्धति है। सामाजिक समाघात आकलन अध्ययन (एस.आई.ए.) ढ़ांचागत परियोजना (Infrastructural project) एवं अन्य विकास

कार्यों से प्रभावित होने वाले लोगों/भू–स्वामियों के बारे में सकारात्मक एवं नकारात्मक पहलुओं को जानना है। प्रभावित लोगों/भू–स्वामियों को भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार के अन्तर्गत राहत योजना तैयार कर राहत दिलाना है जिसके लिए भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का कानून प्रभावी है जिसके तहत् एस.आई.ए. का अध्ययन किया गया।

एस.आइ.ए. दल सदस्य परिवार स्तर पर लोगों से चर्चा करते हुए

- भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013।
- राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम, 2016।

अध्याय –3
सामाजिक समाघात प्रभाव अध्ययन टीम की रचना, दृष्टिकोण एवं विधि

3.1 टीम की रचना, दृष्टिकोण एवं विधि

सामाजिक समाघात प्रभाव अध्ययन में प्रथम दृष्टया यह भी ध्यान रखा गया कि प्रस्तावित मल्टी–मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के विकास एवं रेलवे लाइन से लिंक लाइन निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहण कार्य का ध्यान रखा गया कि गांव की कुल कितनी भूमि अवाप्त की जानी है तथा जमीन किस प्रकार की है। भू–स्वामियों को कितनी क्षति हो रही है। मल्टी–मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के विकास एवं रेलवे लाइन से लिंक लाइन निर्माण हेतु लूणी तहसील का ग्राम सालावास हेतु भूमि अधिग्रहण के लिए गांव वालों की आम राय किस प्रकार बन सकती है। यह भी घ्यान रखा गया है कि मल्टी–मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के विकास एवं रेलवे लाइन से लिंक लाइन निर्माण से क्षेत्र में जमीन के अतिरिक्त किस प्रकार की संरचनाएॅ भी प्रभावित हो रही है।

किसी भी परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु योजना निर्माण एवं उसका क्रियान्वयन सबसे महत्त्वपूर्ण माना गया है। उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अध्ययन विशेषज्ञों में सामाजिक विशेषज्ञ, सांख्यिकी विशेषज्ञ, पी.आर.ए. विशेषज्ञ, एवं तकनीकी विशेषज्ञ दल का संस्थान स्तर पर गठन किया गया। मल्टी–मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के विकास एवं रेलवे लाइन से लिंक लाइन निर्माण हेतु लूणी तहसील का ग्राम सालावास में निर्माण की महत्ता को देखते हुए जमीन अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित है। मल्टी–मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के विकास एवं रेलवे लाइन से लिंक लाइन निर्माण हेतु लूणी तहसील का ग्राम सालावास में कार्य हेतु प्रस्तावित गांव में कृषि भूमि अधिग्रहण हेतु संस्थान के विशेषज्ञों द्वारा सामाजिक समाघात आकलन अध्ययन कर कार्य को रणनीतिबद्ध एवं योजनानुसार गति प्रदान की गई।

पी. आर. ए. के माध्यम से लोगों से योजना एवं भू–अवाप्ति के संदर्भ में विचार जानने का प्रयास किया गया। ग्राम विकास को लेकर गांव की समस्या एवं समाधान टूल के माध्यम से एक अभ्यास गांव के कुछ लोगों के साथ आरम्भ किया गया। लोगों की भागीदारी के साथ धीरे–धीरे संख्या भी बढ़ने लगी। पी.आर. ए. अभ्यास के दौरान ग्राम स्तरीय मुद्दों पर लोगों द्वारा विचार रखे गये। स्थानीय लोगों द्वारा बताया गया कि लूणी तहसील के ग्राम सालावास में भूमि अधिग्रहण कर मल्टी–मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के विकास एवं रेलवे लाइन से लिंक लाइन निर्माण होना है। परियोजना के संचालन एवं क्रियान्वयन को लेकर लोगों का रवैया सकारात्मक भी है वहीं कुछ लोग भूमि अधिग्रहण के पक्ष में नहीं हैं।

पी.आर.ए. अभ्यास के दौरान हमारी समस्या हमारे समाधान के अन्तर्गत जन प्रेरणा का प्रयास किया गया। प्रभावित भू–स्वामियों को प्रेरित करते हुए बताया गया कि भूमि अधिग्रहण सभी की समस्या है तो निश्चित ही समाधान भी हमारे पास है। सभी उपस्थित ग्रामीण जन को पी.आर.ए. अभ्यास से जुड़े रहने के लिए उत्प्रेरित किया गया। सभी उपस्थित ग्रामीण जन ने अपने अपने मत सुझाव के रुप में रखे। कॉनकॉर का यह मानना है कि भूमि का अधिग्रहण मल्टी–मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के विकास एवं रेलवे लाइन से लिंक

लाइन निर्माण हेतु जरुरी है। इस परिस्थिति में सरकार द्वारा समाघात प्रभाव निवारण हेतु शमन योजना बनाई जानी चाहिये एवं लोगों के समक्ष खुलासा करना चाहिये। जिससे प्रभावित लोग राहत महसूस कर सके। इसका प्रमुख कारण यह है कि भूमि का अधिग्रहण सूक्ष्म स्तर पर किया जा रहा है। इस भूमि अधिग्रहण से भू–स्वामी प्रभावित होंगे।

पी.आर.ए विधा :

1- ग्राम इतिहास (Village History)
2. सामाजिक मानचित्रण (Social Mapping)
3. मौसमी चित्रण (Seasonality)
4. बदलाव विश्लेषण (Trend Analysis)
5. चपाती डायग्राम (Venn Diagram)
6. समस्या और समाधान (Problem & solutions)
7. तालिका क्रम (Matrix Ranking)

3.2 जानकारी एकत्रीकरण की प्रक्रिया

मल्टी–मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के विकास एवं रेलवे लाइन से लिंक लाइन निर्माण हेतु लूणी तहसील का ग्राम सालावास में जमीन अधिग्रहण हेतु सामाजिक समाघात आकलन के दौरान ग्राम स्तरीय जानकारी एकत्र करने हेतु बैठक के लिए लोगों को सूचित किया गया। लोगों की राय से बैठक आयोजन हेतु स्थान चयन किया गया ताकि लोग बिना किसी रुकावट या आवरोध के एक स्थान पर एकत्र हो सके। परियोजना कार्य को लेकर किस प्रकार की बाधाएँ हैं सभी का बैठक में आकलन किया गया। बैठक में मल्टी–मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के विकास एवं रेलवे लाइन से लिंक लाइन निर्माण हेतु ग्राम सालावास में निर्माण के सफल क्रियान्वयन हेतु बुनियादी सवालों के सन्दर्भ में समुदाय की राय, सुझावों को साझा कर लिपिबद्ध किया गया।

(क) परिचय सत्र : बैठक का आरम्भ परिचय से हुआ जिसमें सर्वप्रथम एस.आई.ए. दल के सदस्यों द्वारा परिचय दिया गया। ग्राम बैठक में उपस्थित ग्राम के लोगों ने अपना अपना परिचय दिया एवं मल्टी–मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के विकास एवं रेलवे लाइन से लिंक लाइन निर्माण कार्य हेतु अवाप्त की जाने वाली भूमि के बारे बताते हुए कहा कि कुछ किसान/ भू–स्वामी ऐसे भी हैं जिनकी 20 प्रतिशत से लेकर 60 प्रतिशत तक जमीन अवाप्त की जा रही है। लोगों की समस्या निवारण हेतु समाघात योजना निर्माण कर प्रभावित भू–स्वामियों को राहत दी जानी चाहिये।

(ख) खुला संवाद एवं सुझाव सत्र : बैठक में उपस्थित भू–स्वामी/लोगों को अपने मत रखने का अवसर प्रदान किया गया जो परियोजना कार्य से सबसे अधिक प्रभावित हो रहे हैं। इस सत्र का सीधा सीधा फायदा यह हुआ कि बिना किसी दबाव के एवं स्वेच्छा से अपने मन की बात रखी। उपस्थित किसानों/भू–स्वामियों ने प्रस्तावित योजना हेतु प्रत्येक खसरा अनुसार अर्जन की जाने वाली भूमि का

क्षेत्रफल खुलासा करने, मुआवजा राशि विवरण एवं मुआवजा राशि वितरण के तरीके के बारे में जानना चाहा। सभी प्रकार की जानकारी की मांग प्रभावित भू–स्वामियों द्वारा किया गया एवं कार्य में सहयोग करने का आश्वासन भी दिलाया गया। कुछ गांवों के लोग मुआवजा राशि को लेकर असमंजस में हैं। प्रभावित भू स्वामियों का कहना है कि मुआवजा राशि कितनी मिलेगी, कितने दिनों में मिलेगी जैसे बहुत सारे सवाल उनके द्वारा किये गये। लोगों के विचारों को जानते हुए बताया गया कि यह (एस.आई.ए.) वर्तमान में कानूनी प्रक्रिया का भाग है। इस प्रक्रिया के पूर्ण होने के पश्चात् लोगों को समय पर एवं नियमानुसार उचित मुआवजा राशि दिया जा सकेगा।

(ग) परियोजना क्रियान्वयन पर जनमत : कॉनकॉर द्वारा मल्टी–मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के विकास एवं रेलवे लाइन से लिंक लाइन निर्माण हेतु लूणी तहसील का ग्राम सालावास में प्रस्तावित जगह को कार्य के लिए जरुरी एवं उपयोगी बताया। कुछ ऐसे भी परिवार हैं जिनकी अधिक जमीन अवाप्त की जा रही है वे सहमत तो हैं लेकिन भू अवाप्ति को लेकर कहीं ना कहीं मन में पीड़ा (तकलीफ) भी है ऐसा लोगों से चर्चा के दौरान महसूस किया गया। जन समुदाय से हुई बैठक व चर्चानुसार उपरोक्त मांग/शर्तों पर सभी की सहमति महसूस की गई।

एस.आइ.ए. दल सदस्य जगदीश चौधरी लोगों को बैठक कार्यवाही पढ़कर सुनाते हुए

सामाजिक समाघात आकलन की अध्ययन (एस.आइ.ए) प्रक्रिया

सामाजिक समाघात आकलन अध्ययन के दौरान विषय विशेषज्ञों ने जन समुदाय/ ग्रामीण जन को प्रेरित कर मल्टी–मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के विकास एवं रेलवे लाइन से लिंक लाइन निर्माण हेतु लूणी तहसील का ग्राम सालावास में प्रभावित भू–स्वामियों से राय जानी एवं सामाजिक तौर पर भू–स्वामी इस योजना से किस प्रकार एवं कितना प्रभावित होगा का भी आकलन किया। (जैसाकि राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम, 2016।)

उपरोक्त भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन नियमानुसार उचित कार्यवाही करना चाहिये ताकि परियोजना कार्य को गति प्रदान की जा सके। प्रभावित किसान/भू–स्वामियों को उचित मुआवजा राशि मिल सके जिस पर लगभग सभी किसान/भू–स्वामी सहमत हैं।

(घ) भू–स्वामी/ किसान और ग्रामीणों की भागीदारी एवं भूमिका : सामाजिक समाधात अध्ययन के दौरान गांव के लोगों, महिलाओं, गणमान्य व्यक्तियों सभी से अलग अलग समूह में खुली चर्चा एवं संवाद किया गया। जैसा विदित है कि जिस किसी व्यक्ति, समाज, धरोहर को कितना क्षति हो रही है एवं किस स्तर तक क्षति का वहन किया जा सकता है या फिर इसकी भरपाई कितना किया जाना चाहिये जिससे कि प्रभावित भू–स्वामी को राहत/क्षतिपूर्ति की जा सके एवं उस पर वह कार्य करने की रजामन्दी प्रदान कर दे। बैठक में सभी उपस्थित किसानों, भू–स्वामियों और ग्रामीणों का सामाजिक व आर्थिक भावनाओं का पूरा सम्मान किया गया। भूमि अधिग्रहण को लेकर लोगों ने लिखित में अपनी राय प्रस्तुत की है एवं गांव के एक व्यक्ति ने सभी के बीच पढ़ कर बताया जिसे लोगों की मांग/राय में सम्मिलित किया गया है।

3.3 एस.आई.ए एजेंसी का चयन

राजस्थान सरकार उद्योग एवं वाणिज्य (ग्रुप–1) विभाग के पत्र क्रमांक प.4(3.) उद्योग/1/2022 दिनांक 08 फरवरी 2023 के अनुसार परियोजना प्रभावित क्षेत्र में एस.आई.ए कार्य के लिए एजेंसी सेंटर फॉर डवलपमेंट कम्यूनिकेशन एण्ड स्ट्डीज, (सीडेक्स) को चयन कर कार्य की जिम्मेदारी दी। चयनित एजेंसी द्वारा जिम्मेदार, विषय के जानकार एवं विषय विशेषज्ञ व्यक्तियों की एक टीम बनाई गई । उन्हें सूचनाओं के संग्रह का कार्य दिया गया। निम्न व्यक्तियों की सूची है जो सूचनाओं के संग्रह, सारणीकरण और तैयारी रिपोर्टो में शामिल थे। एस.आई.ए की आवश्यकता के मुताबिक, टीम के प्रत्येक सदस्य का अपने क्षेत्र में अच्छी पकड़ है के साथ साथ विषय विशेषज्ञ भी हैं, विभिन्न प्रकार के सामाजिक शोध अध्ययनों के अनुभव है और इससे पहले कई ऐसे अध्ययन भी इनके द्वारा किए जा चुके हैं।

क्र.सं	सदस्य का नाम	शैक्षणिक योग्यता	लिंग	विशेषता
1.	डॉ. उपेन्द्र सिंह	• ग्रामीण विकास एवं प्रबन्धन में स्नातकोत्तर • पी.एच.डी.(विकास के संदर्भ में प्रभावी सम्प्रेषण, एवं सम्प्रेषण विधाएँ	पुरूष	• प्रभावी सम्प्रेषण, एवं सम्प्रेषण विधाएँ • पी.आर.ए./पी.एल.ए. विशेषज्ञ • परियोजना निर्माण प्रबन्धन कार्य • प्रभावी पर्यवेक्षण एवं प्रबन्धन कार्य
2.	डॉ. राजीव गुप्ता	• समाजशास्त्र में स्नातकोत्तर एवं पी.एच.डी.	पुरुष	• प्रोफेसर एवं हैड – समाजशास्त्र विभाग, राजस्थान विश्व विद्यालय, जयपुर, राजस्थान • प्रभावी सम्प्रेषण, एवं सम्प्रेषण विधाएँ • प्रभावी पर्यवेक्षण एवं प्रबन्धन कार्य

3.	श्री पेमाराम	भू–अवाप्ति विशेषज्ञ, रिटायर्ड तहसीलदार, राजस्थान सरकार	पुरुष	• एस.आई.ए. व भूमि रिकॉर्ड अनुभव • सामाजिक समाघात प्रभाव, फ्रेम वर्क एवं आकलन
4.	डॉ. अल्पना सिंह	• ग्रामीण विकास एवं प्रबन्धन में स्नातकोत्तर • पी.एच.डी. – (**"Poverty, Gender & Social Development: Sociological construction of a Paradigm",**	महिला	• सामाजिक समाघात प्रभाव, फ्रेम वर्क एवं आकलन रिपोर्ट सम्पादन कार्य • ग्रामीण विकास में महिलाओं की भागीदारी, व समाज निर्माण के प्रतिमान
5.	कैलाश कुमावत	सामाजिक एवं आर्थिक विशेषज्ञ	पुरूष	• एस.आई.ए. व भूमि रिकॉर्ड अनुभव
6.	मांगीलाल	स्नातकोत्तर	पुरूष	सर्वेक्षण एवं सूचना संकलन विश्लेषक
7.	जगदीश चौधरी	एम०ए० (सामाजिक विज्ञान)	पुरूष	• पी.आर.ए. विशेषज्ञ • सूचना संकलन • कम्यूनिटी मोबीलाजर
8.	दिलीप शर्मा	एम०ए० (सामाजिक विज्ञान)	पुरूष	• पी.आर.ए. विशेषज्ञ • सूचना संकलन एवं विश्लेषक
9.	पूजा जैन	एम०ए० (सामाजिक विज्ञान)	पुरूष	• सूचना संकलन • कम्यूनिटी मोबीलाजर
10.	मेहित शर्मा	तकनीकी एवं डाटा विशेषज्ञ,	पुरूष	• सूचना संकलन एवं विश्लेषक
11.	मुकेश राठी	तकनीकी एवं डाटा विशेषज्ञ,	पुरूष	• सूचना संकलन एवं विश्लेषक
12.	उमाकांत वाजपेयी	बी.टेक कम्प्यू. साईंस	पुरूष	सूचना संकलन एवं डाटा विश्लेषक
13.	हंसराज राठौड़	स्नातकोत्तर	पुरूष	सर्वेक्षण एवं सूचना संकलन विश्लेषक
14.	अमीषा गुज्जर	एम.एस.डब्ल्यू	महिला	• पी.आर.ए. विशेषज्ञ • सूचना संकलन एवं विश्लेषक

3.4 सामाजिक समाघात आकलन अध्ययन

सामाजिक समाघात आकलन अध्ययन (एसआईए) एक ऐसी कार्य प्रणाली है जो ऐसे सुधारों को बढ़ावा देती है, जो लोगों के बेहतर विकास एवं कार्यक्रम निर्माण में मदद करते हैं। सामाजिक समाघात प्रभाव का आकलन संगठनों को बेहतर योजना बनाने, और प्रभावी ढंग से लागू करने और उचित पैमाने पर कार्य करने लिए सफलतापूर्वक पहल करने में सहायता करता है। आकलन जवाबदेही की सुविधा देता है, हितधारक संचार का समर्थन करता है, और विशेषकर सामाजिक प्रभाव राहत योजना की तैयारी के लिए एस.आई.ए. संबंधित पंचायत के परामर्श दुर्लभ संसाधनों के आवंटन को मार्गदर्शन करने में सहायता करता है। गांव स्तर पर प्रभावित क्षेत्रों में वार्ड स्तर पर पर्याप्त प्रचार के द्वारा प्रभावित क्षेत्रों में सार्वजनिक सुनवाई के बाद तिथि और समय के बारे में और प्रभावित परिवारों के विचारों का पता लगाने के लिए सार्वजनिक सुनवाई के लिए स्थल लिखित में दर्ज किया गया। एस.आई.ए. को परियोजना प्रभावित

परिवारों (पी.ए.एफ.) के साथ सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण, पी.आर.ए., एफ.जी.डी. के रुप में किया गया था जो कि परियोजना प्रेरित विस्थापन का सामना करने वाले लोगों और समुदायों पर सामाजिक और आर्थिक प्रभावों की पहचान करता है। इसके अतिरिक्त, इस तरह प्राप्त डेटा का उपयोग कार्य योजना तैयार करने के साथ साथ राहत कार्य क्रियान्वयन को भी सरकार की निगरानी में किया जाता है। अध्ययन के आंकड़ों को संकलित करने के लिए कई प्राथमिक और सैकेन्डरी स्रोतों की सहायता ली गई है। परियोजना के अन्तर्गत विस्थापन का सामना करने वाले लोग/किसान/परिवार और समुदायों पर सामाजिक और आर्थिक प्रभावों की पहचान की गई जिसमें उपस्थित लोगों ने जमीन, तारबंदी, ट्यूबवैल, मकान, पेड़, रास्ते, जैसी संरचनाओं को प्रभावित होना बताया गया। जिन किसानों की ज्यादा भूमि अवाप्ति में जाने वाली है वे आर्थिक, सामाजिक तौर पर ज्यादा प्रभावित होगें। भविष्य में उनके सामने जीवन यापन करना एवं अपने आप को तैयार करना एक चुनौती के रुप में होगा।

3.5 एस.आई.ए. के लिए जानकारी संग्रहण करने के लिए उपयोगी टूल एस.आई.ए. सैकेन्डरी और प्राथमिक आंकड़ों पर निर्भर करता है।

(ए) सैकेन्डरी स्रोत– डेटा के निम्नांकित स्रोतों में शामिल है।

- सरकारी /जनगणना डेटा (2011)
- भूमि लेनदेन के रिकॉर्ड सहित भूमि रिकॉर्ड
- जिला गजेट्र्स
- अन्य प्रशासनिक रिकॉर्ड

(बी) प्राथमिक स्रोत –

- ग्राम पंचायत
- आंगनवाडी केन्द्र
- उपस्वास्थ्य केन्द्र
- विद्यालय

3.6 समाघात प्रभाव आकलन विधा/तरीके

सामाजिक समाघात आकलन अध्ययन में आम तौर पर डेटा/आंकड़ा संग्रह पद्धतियों, संख्यात्मक और गुणात्मक सारणी का उपयोग शामिल है। सामाजिक अध्ययन करने के लिए कारणों के संयोजन की आवश्यकता होती है। मूल विश्लेषणात्मक उपकरणों के अलावा एस.आई.ए. सहभागिता के तरीकों का उपयोग करता है। जो परियोजना कार्य की बेहतर समझ में योगदान करते हैं। परियोजना के स्वामित्व को बढ़ाने में भी मदद कर सकते हैं। मल्टी–मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के विकास एवं रेलवे लाइन से लिंक लाइन निर्माण से लोगों की जमीन, पाईप लाईन, मकान, तारबन्दी, सामान्य पेड़ या कोई अन्य प्रकार की संरचना प्रभावित होगी जोकि व्यक्ति या परिवार के लिए उपयोगी है या उपयोग में ली जा रही है।

सामाजिक समाघात अध्ययन की पद्धति की स्पष्टता महत्त्वपूर्ण है। एस.आई.ए. में कई इकाईयां विश्लेषण, जैसे परिवारों, घरों में व्यक्तियों, शिक्षा, रोजगार एवं आय के बारे में जानकारी संकलित करते हैं। घरेलू इकाई का उपयोग आमतौर पर पुनर्वास योजना के प्रयोजनों के लिए किया जाता है। (एकल परिवार, संयुक्त परिवार या गैर सम्बन्धित सदस्यों सहित एक इकाई शामिल हो सकती है।) प्रभावों की लिंगीय प्रकृति पर हमेशा विचार करना महत्त्वपूर्ण है।

एस.आई.ए. टीम ने साईट पर नक्शे को सत्यापित करने और प्रभावित क्षेत्रों की पहचान करने के लिए साईट का दौरा किया। क्षेत्र की पहचान करने के बाद, सर्वेक्षण दल ने परियोजना स्थल पर मुखिया और स्थानीय संसाधन व्यक्ति से परामर्श किया एवं भूमि अधिग्रहण पर उनके दृष्टिकोण और विचारों को जानने के लिए ग्रामीणों के साथ एफ.जी.डी. बैठक आयोजित की। सर्वेक्षण दल ने उन हितधारकों के साथ बैठक भी आयोजित की है जो प्रभावित है उनकी गणना करते हुए प्रस्तावित प्रभावित भू–स्वामियों की सूची का प्रमाणीकरण किया गया। प्रस्तावित प्रभावित भू–स्वामियों से परियोजना के बारे में जानकारी और सर्वेक्षण प्रक्रिया साझा की गई।

3.7 अध्ययन की सीमाऍ

संख्यात्मक डेटा संग्रह पद्धति की भी सीमाऍ हैं, जैसे नमूने की पर्याप्तता, उत्तरदाताओं का सहयोग, टीम का अनुभव और क्षेत्र में टीम के द्वारा पर्याप्त सूचनाओं का संग्रहण किया जाता है। कई बार क्षेत्र में परिस्थितियां विपरीत होने की स्थिति एवं कुछ हितधारकों के अनुपस्थिति के कारण उनके विचारों एवं सूचनाओं का संग्रहण नहीं किया जा सकता है।

3.8 सर्वेक्षण पद्धति

सामाजिक समाघात आकलन अध्ययन करने के उद्देश्य के लिए सामाजिक आर्थिक सूचनाएँ एकत्र करने के कई तरीके हैं। आमतौर पर इस प्रयोजन के लिए उपयोग की जाने वाली विधियाँ इसमें शामिल है।

संख्यात्मक विधियाँ (Quantitative Method)

- भूमि अधिग्रहण सर्वेक्षण (अधिसूचना अनुसार)
- जनगणना आंकड़ों को एकत्र करना
- परिवार सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण
- अन्य प्रशासनिक राजस्व रिकॉर्ड

गुणात्मक तरीके (Qualitative Method)

- साक्षात्कार
- फोकस ग्रुप डिस्कशन (एफ.जी.डी.)
- रैपिड मूल्यांकन

- ग्राम बैठक/जन सुनवाई
- महिला बैठक/सम्पर्क
- सार्वजनिक ग्राम बैठक

सामाजिक समाघात हेतु प्राथमिक स्तरीय सूचना संकलन विधा

I. गुणात्मक तरीके

(क) साक्षात्कार—एक प्रश्नावली जो परियोजना शुरु करने से पहले आधारभूत स्थितियों को जानने एवं समझने में सहायता करती है। प्रश्नों में सामाजिक आर्थिक स्थिति (धर्म, जाति, परिवार आकार, शिक्षा, कौशल, व्यवसाय और आय) के सभी पहलुओं को शामिल किया गया था। यह प्रश्नावली सरल भाषा में एवं महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर केन्द्रित है।

(ख) फोकस्ड ग्रुप डिस्कशन्स (एफजीडी) : एफजीडी में एक या एक से अधिक शोधकर्ता जांच के जरिए एक समूह चर्चा का मार्गदर्शन करते हैं। समूह सदस्यों को विषय पर चर्चा करने के लिए प्रेरित किया जाता है। इस समूह में प्रतिभागियों द्वारा मुद्दों पर चर्चा की जाती है। शोधकर्ता द्वारा समूह कें

ग्राम बैठक में प्रभावित लोगों से सामाजिक आर्थिक मुद्दों पर चर्चा करते हुए

प्रतिभागियों से मुद्दों, मुख्य विषय के बारे में सामान्य चर्चाए की जाती हैं एवं लोगों की सक्रिय एवं सहयोगात्मक भागीदारी हो इसके लिए प्रेरित किया जाता है एवं उन्हें प्रतिनिधित्व करने का अवसर भी प्रदान किया जाता है। एफजीडी के माध्यम से आवश्यक सूचनाए भी संकलित की जाती है ताकि लोगों की स्थिति, सामाजिक एवं आर्थिक प्रभावों आदि का आकलन किया जा सके।

(ग) रैपिड़ मूल्यांकन : कभी–कभी 'रैपिड मूल्यांकन' (कई अलग–अलग नामों से ज्ञात) के रूप में जाना जाने वाला दृष्टिकोण मूल्यवान हो सकता है। यह कम लागत वाली विधि महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ गहराई से साक्षात्कार पर आधारित हैं, जिसमें पता लगाने वाले मुदद्ों के बारे में ज्ञात होना है। समुदाय में प्रासंगिक समूहों के प्रतिनिधियों के साथ सैकेन्डरी डेटा और समूह साक्षात्कार के विश्लेषण में गहराई में मदद करता है।

(घ) ग्राम बैठक/ सुनवाई : ग्राम बैठक वह स्रोत है जहां पर सूचनाओं के संकलन एवं बाधाओं को ज्ञात करने में आसानी रहती है। कई बार प्रभावित भू–स्वामी अपनी बात को कहने बताने में सक्षम नहीं होता है तब गांव के अन्य समझदार एवं सक्षम व्यक्ति उनकी बातों को अभिव्यक्त करने में मददगार साबित होते हैं। ग्राम स्तरीय समस्याओं का आकलन भी आसानी से हो पाता है क्योंकि सभी लोग सकारात्मक होकर भागीदारी निभाते हैं। कई बार असामान्य स्थिति में ग्राम बैठक कर लोगों की राय जानना परियोजना के हित में होता है।

प्रभावित भू–स्वामियों को भूमि अवाप्ति की प्रक्रिया एवं मुआवजा राशि के बारे में जानकारी देते हुए

(ड़) महिला बैठक/सम्पर्क : किसी भी परिवार के विकास एवं सम्पन्नता में महिलाओं की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता है। महिलाओं की भागीदारी एवं उनके परिवार पर भू अर्जन के प्रभाव किस प्रकार

के होंगे या उनके परिवार को कितना प्रभावित

प्रभावित परिवार सम्पर्क के दौरान महिलाओं से चर्चा कर जानकारी लेते हुए जगदीश चौधरी

करेगा सभी जानना अनिवार्य है। महिला बैठक में उनकी राय लेते हुए उनके सुझावों को भी संकलित किया गया जो कि प्रभावित होने वाले परिवारों के लिए राहत कार्य में मददगार होंगें। आज हमारी मल्टी–मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के विकास एवं रेलवे लाइन से लिंक लाइन निर्माण हेतु अवाप्ति में जा रही है। महिलाओं ने आजीविका के बारे में चर्चा करते हुए बताया कि जमीन किसी की भी जाये एवं कितनी भी जाये प्रभावित किसान की आय में एक बार तो कमी अवश्य होगी । इसका भी कोई उपाय किया जाना चाहिये एवं उनको जमीन के बदले अच्छा मुआवजा दिया जाना चाहिये।

(च) सार्वजनिक जन सुनवाई : भूमि अधिग्रहण से प्रभावित व्यक्तियों के लिए सामुदायिक स्तर पर सार्वजनिक बैठक/जनसुनवाई का आयोजन दिनांक 21.04.2023 को पटवार भवन/भारत निर्माण राजीव गाँधी सेवा केन्द्र, सालावास, तहसील लूणी, जिला जोधपुर में हुआ । टीम पहले परियोजना और इसके संभावित प्रभावों, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों का वर्णन करती है और फिर सभी मुद्दों पर खुली चर्चा की अनुमति देती है। जन सुनवाई के दौरान लोग अपनी समस्याएँ भू–अवाप्ति अधिकारी के सम्मुख रखते है जिन्हे अंतिम प्रतिवेदन में इन मुद्दों को जोड़ा गया है। ताकि सरकार क्षतिपूर्ति/मुआवजे की कार्यवाही करते समय प्रभावित लोगों को राहत प्रदान कर सके। यह माना जाता है कि लोगों को अकसर परियोजना और इसकी प्रभावों के बारे में सही एवं तथ्यात्मक प्रतिक्रिया मिलती है जो किसी भी प्रकार के निर्णय लेने के लिए उपयोगी एवं बेहतर साबित होती है।

राजस्थान सरकार

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी जोधपुर

सतलाना रोड, राजमार्ग-68, तहसील लूणी, Phone: 02931-284003, Email: sdmlu-jod-rj@nic.in

क्रमांक: भूमि अवाप्ति/2073/31 दिनांक:- 27.03.2023

लोक सूचनार्थ

(Public Notice)

भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 धारा-5 एवं इस सम्बन्ध में राज्य सरकार के नियम, 2016 के प्रावधानानुसार एवं नियम 7 के तहत **मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क** (MMLP) के निर्माण हेतु सामाजिक समाघात प्रभाव के अन्तर्गत जन सुनवाई का आयोजन किया जाना है।

आवश्यक सूचना

भूमि अर्जन, पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम, 2016 के प्रावधानानुसार ग्राम सालावास तहसील लूणी, जिला जोधपुर के निम्न प्रभावित गांवों में भूमि **मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क** (MMLP) के निर्माण कार्य हेतु निजी खातेदारी का अधिग्रहण किया जाना है। अतः भूमि अर्जन हेतु निम्न गांवों के प्रभावित व्यक्ति/ हितबद्धधारकों की सुनवाई हेतु जनसुनवाई बैठक आयोजित की जानी है।

क्र.सं.	गांव का नाम	तहसील	दिनांक	स्थान	समय
1	सालावास	लूणी	21.04.2023	पटवार भवन, सालावास	प्रातः 11.00 बजे

अतः इस जनसुनवाई में समस्त प्रभावित व्यक्तियों एवं जन प्रतिनिधियों की उपस्थिति सादर प्रार्थनीय है।

(पुखराज कांसोटिया)
भूमि अवाप्ति अधिकारी
एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी - जोधपुर

DIPR/C/5071/2023

II. संख्यात्मक विधियॉ

(क) भूमि अधिग्रहण सर्वेक्षण : परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण से स्थानीय लोगों के लिए विस्थापन और आजीविका का नुकसान अलग अलग प्रकार से होगा। भूमि अधिग्रहण के मूल्यांकन सर्वेक्षण में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई है कि भूमि अवाप्ति से किस पर और कितना प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। यह भूमि अधिग्रहण के सम्बन्ध में सरकारी भूमि अभिलेख, उपयोग के नक्शे, सांख्यिकीय जानकारी और मौजूदा कानून और प्रशासनिक अभ्यास एकत्रित करके सूचनाएँ तैयार की जाती है। आमतौर पर, भूमि अधिग्रहण सर्वेक्षण में केवल भूमि वाले, कानूनी शीर्षक वाले व्यक्ति शामिल है। गैर–शीर्षक वाले व्यक्ति (शेयर धारक, किरायेदारों, अनौपचारिक निवास) शामिल नहीं है। इसे अकसर प्रभावित व्यक्तियों की ''अधिकारिक'' सूची के रूप में जाना जाता है। जो सरकारी उपलब्ध खातेदारी रिकॉर्ड के आधार पर जमीन का आकलन

किया गया। सर्वेक्षण के दौरान प्रभावित परिवारों की भूमि खातेदारी रिकॉर्ड के अनुसार बताई गई एवं जानकारी संकलित की गई।

(ख) जनगणना सर्वेक्षण : यह सबसे महत्त्वपूर्ण सर्वेक्षण है, क्योंकि यह उन लोगों की सटीक संख्या निर्धारित करने में मदद करता है जिन पर परियोजना के प्रतिकूल प्रभाव होंगे। जनगणना सर्वेक्षण का उद्देश्य सभी प्रभावित व्यक्तियों और संपत्तियों की एक सूची तैयार करना है, जो निम्न हैं:

- परियोजना क्षेत्र में रहने वाले सभी प्रभावित व्यक्तियों का सर्वेक्षण
- सभी प्रभावित संपत्ति की जानकारी
- सभी प्रभावित व्यक्ति के आय का स्तर और स्रोत, और उन पर परियोजना का असर सर्वेक्षण में खातेदारी रिकॉर्ड अनुसार संगठन ने डेटा संग्रहण के लिए घर को मूल इकाई के रूप में माना।

(ग) सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण : यह अध्ययन प्रभावित जनसंख्या के महत्वपूर्ण सामाजिक–आर्थिक पहलुओं पर होने वाले प्रभावों के बारें में जानकारी प्रदान करता है। इसमें शामिल हैं :

जनसांख्यिकीय विवरण (पारिवारिक आकार, लिंग अनुपात, साक्षरता/शिक्षा स्तर, जाति, जनजाति, धर्म, लिंग, आयु वर्ग और कमजोर समूहों की आबादी) सामाजिक आर्थिक उत्पादन प्रणाली, आय के स्रोत, महिलाएं आर्थिक गतिविधियों और आय, पैतृक संपत्ति प्रावधान और कस्टम, स्वास्थ्य और पोषण के स्तर आदि।

तालिका 3.1 भू–अवाप्ति की तीव्रता प्रभाव का वर्गीकरण

ग्राम	कुल प्रभावित खसरा	प्रभावित भू–स्वामियों की तीव्रता का वर्गीकरण				
		0-20 %	**21-40%**	**41-60%**	**61-80%**	**81-100%**
	23	11	4	4	2	2
नोटः–प्रभावित 38 खसरों में भूमि का क्षेत्रफल तो बताया गया है लेकिन भूमि अवाप्ति को 9 जगह सम्मिलित दर्शाया गया है अतः प्रभावित भूमि का औसत विवरण प्रतिशत सम्मिलित दर्शाया गया है।						

कुल प्रभावित भू–स्वामियों में से 48 प्रतिशत परिवारों की 20 प्रतिशत भूमि अवाप्त हो रही है तथा 17.4 प्रतिशत परिवारों की 40 प्रतिशत से कम भूमि अवाप्ति हेतु प्रस्तावित है। वहीं 17.4 प्रतिशत परिवारों की 60 प्रतिशत से अधिक भूमि परियोजना हेतु अवाप्त हो रही है।

तालिका 3.2 परिवार की आर्थिक स्थिति पर प्रभाव

प्रभावित भू–स्वामियों की के स्रोत	प्रभावित परिवार	वर्तमान वार्षिक आय	भू–अवाप्ति पश्चात् अर्जित आय
कृषि, पशुपालन	67	1,00,000 लाख तक	40 प्रतिशत कम आय
मजदूरी/नौकरी	48	1,00,000 लाख तक	30 प्रतिशत कम आय
सरकारी नौकरी	4	2,50,000 लाख से अधिक	30 प्रतिशत कम आय
स्वरोजगार	5	1,50,000 लाख से कम	30 प्रतिशत कम आय

उपरोक्त तालिका परियोजना हेतु भूमि अवाप्ति के कारण प्रभावित परिवारों पर पड़ने वाले आर्थिक स्थिति को दर्शाता है। लगभग सभी वर्ग के परिवार जो विभिन्न प्रकार के रोजगार से जीविकापार्जन कर रहे हैं, प्रस्तावित भूमि अवाप्ति से उनकी आर्थिक स्थिति प्रभावित होगी।

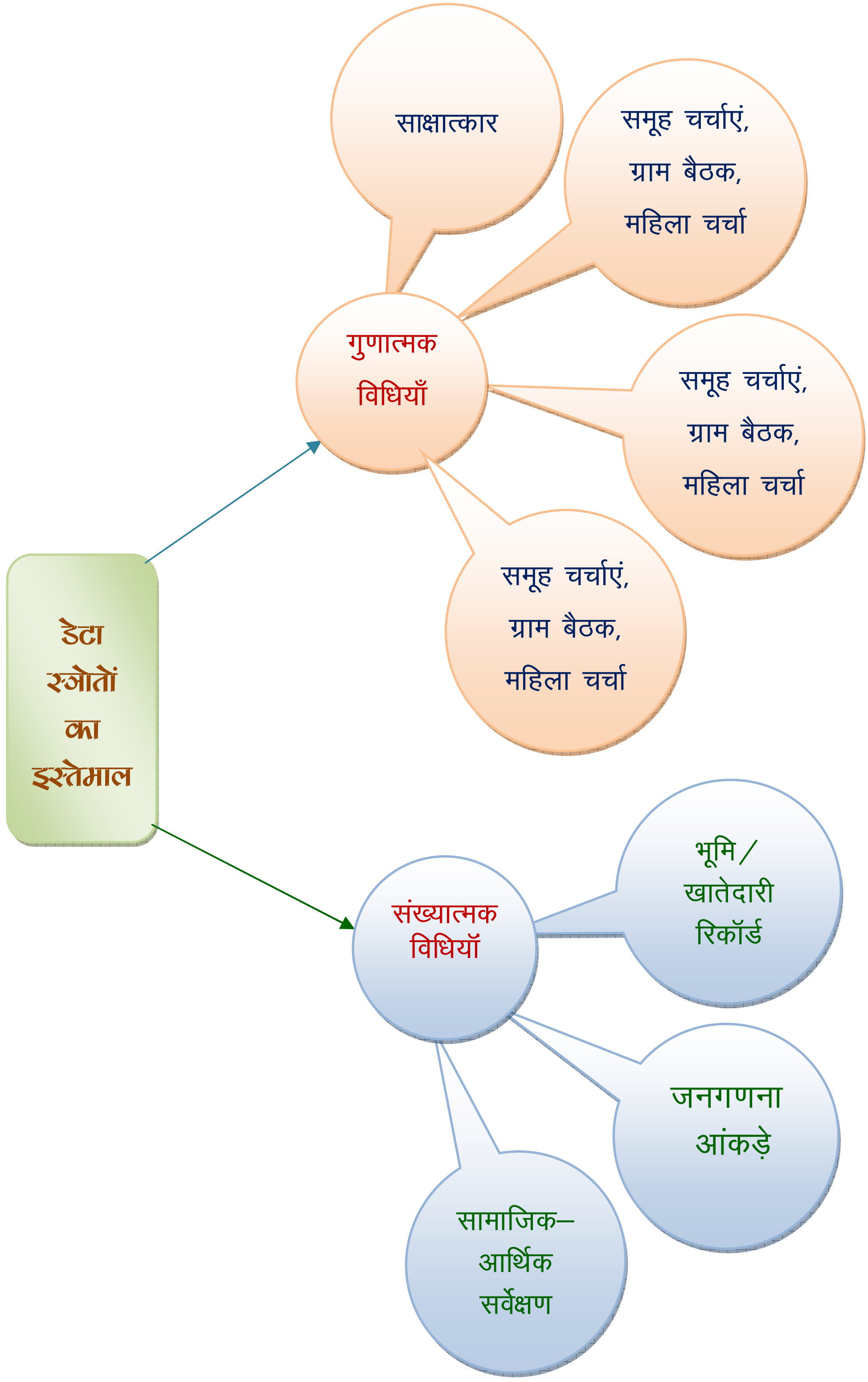

3.9 एस.आई.ए. अनुसूची

तालिका 3.3 : ग्राम स्तर पर एस.आई.ए. अन्तर्गत गतिविधियों की अनुसूची

क्र.सं.	विवरणी	दिनांक
1.	ग्राम चर्चा एवं स्थानीय अधिकारियों से सम्पर्क	18 फरवरी से 10 मार्च, 2023
2.	ग्राम बैठक	
3	सर्वेक्षण / परिवार सम्पर्क	
4	समूह बैठक / चर्चा	
5	पी.आर.ए, एफजीडी,	
6	जनसुनवाई कार्यक्रम	–

नोट : प्रस्तुत ड्राफ्ट रिपोर्ट पर ग्राम पंचायत स्तर पर सार्वजनिक जन सुनवाई आयोजित किया गया है जिसमें प्रतिक्रिया / राय / मांग / सुझावों और परिणाम आदि पर विचार के लिए भू–स्वामियों को अवसर दिया गया। जनसुनवाई में उपस्थित भू–स्वामियों / खातेदार / हिस्सेदारों द्वारा दिये गये प्रतिक्रिया / सुझाव / राय / मांगों को शामिल कर लिया गया है। यह जन सुनवाई सक्षम अधिकारी (भू–आवाप्ति) एवं उपखण्ड, अधिकारी द्वारा अधिसूचना जारी करने के 3 सप्ताह बाद रखी गई। फाईनल प्रतिवेदन में अभी तक के किये गये सर्वेक्षण कार्य के परिणाम एवं उसके बाद के परिणामों एवं जन सुनवाई कार्यक्रम में उपस्थित भू–स्वामियों, ग्राम जन व जन प्रतिनिधियों द्वारा जो बात / माँग रखी गई को शामिल किया गया है।

अध्याय 4
भूमि की आवश्यकता एवं आकलन

4.1 भूमि की आवश्यकता और वर्तमान उपयोग

मल्टी–मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के विकास एवं रेलवे लाइन से लिंक लाइन निर्माण हेतु लूणी तहसील का ग्राम सालावास की जमीन अधिग्रहण किया जाना प्रस्तावित है। इसलिए प्रस्तावित परियोजना से प्रभावित होने वाले परिवारों पर इस परियोजना का सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। सकारात्मक उन कृषक के लिए जिनकी जमीन अवाप्ति में जायेगी और बची हुई जमीन हेतु उचित रास्ता की उपलब्धता

एमएमएलपी परियोजना हेतु प्रस्तावित भूमि का अवलोकन करते हुए

हो सकेगी। जिन भू–स्वामियों की भूमि को रोड़ की उपलब्धता हो सकेगी उन्हे व्यवसाय हेतु बेहतर अवसर मिल सकेंगे। प्रस्तावित परियोजना से क्षेत्र की भूमि की कीमतों में वृद्धि के साथ साथ गांव का विस्तार होना तथा अन्य स्थानीय लोगों को भी रोजगार के अवसर मिल सकेंगे। परियोजना के आने से क्षेत्र में सुविधाओं में भी वृद्धि होगी। नकारात्मक प्रभाव उन कृषकों पर पड़ेगा जिसकी अधिकतम जमीन मल्टी–मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के विकास एवं रेलवे लाइन से लिंक लाइन निर्माण हेतु अवाप्ति में चली जायेगी और उनको कहीं और खेती के लिए जगह तलाश करनी पड़ेगी। प्राथमिक हितधारक किसान/भू–स्वामी हैं जिनकी मल्टी–मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के विकास एवं रेलवे लाइन से लिंक लाइन निर्माण कार्य हेतु भूमि अधिग्रहण किया जाना प्रस्तावित है।

भूमि का विवरण तालिका 4.1 में दिया गया है एवं विस्तृत जानकारी प्रतिवेदन के साथ संलग्न है (प्रपत्र–1)।

तालिका 4.1 : परियोजना प्रभावित गांव की भूमि का विवरण

क्रम संख्या	ग्राम पंचायत	गांव का नाम	गांव की भूमि का कुल क्षेत्रफल (हे.)	अवाप्ति हेतु प्रस्तावित खसरा की कुल क्षेत्रफल (हे.)	अवाप्ति हेतु कुल प्रस्तावित भूमि (हे.)	अवाप्ति हेतु प्रस्तावित निजी भूमि (हेक्टयर)	अवाप्ति हेतु प्रस्तावित सरकारी भूमि (हेक्टयर)	कुल अवाप्ति हेतु प्रस्तावित भूमि का प्रतिशत	गांव में प्रभावित निजी खसरा खातेदार /हिस्से दार	गांव में प्रभावित सरकारी खसरा के खातेदार /हिस्से दार
1	सला वास	सलावास रेलवे स्टेशन	619.0	78.9071	19. 8474	19. 7697	0.0777	3.21	49	3
	कुल		**619.0**	**78.9071**	**19. 8474**	**19. 7697**	**0.0777**	**3.21**	**49**	**3**

(नोट–स्रोत तहसील लूणी के पटवार द्वारा सर्वेक्षण रिपोर्ट अनुसार)

भूमि अवाप्ति की विस्तृत जानकारी खातेदार/हिस्सेदार वार प्रपत्र सं–1 में संलग्न है।

ग्राम सालावास रेलवे स्टेशन की कुल भूमि 619.00 हेक्टेयर है। मल्टी–मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के विकास एवं रेलवे लाइन से लिंक लाइन निर्माण के लिए निजी एवं सरकारी खसरों की 19.8474 हेक्टेयर कुल भूमि अवाप्ति हेतु प्रस्तावित है (3.21 प्रतिशत) जोकि न्यूनतम अवाप्ति है।

तालिका 4.2 : भूमि का आकलन

क्र.सं.	विवरण	वस्तु स्थिति/आज की स्थिति
1.	खसरा नक्शा और स्वामित्व के विवरण के साथ भूमि की सूची का विवरण	हाँ
2.	प्रभाव के क्षेत्र का सीमांकन	हाँ
3.	प्रस्तावित भूमि का स्थान/गांव	सालावास
4.	प्रस्तावित भूमि की मात्रा का अधिग्रहण (निजी)	19.7697 हेक्टेयर (पटवार सर्वे अनुसार हेक्टेयर)
5.	प्रस्तावित भूमि की मात्रा का अधिग्रहण (सरकारी)	0.0777 हेक्टेयर (पटवार सर्वे अनुसार हेक्टेयर)
6.	वर्तमान उपयोग	कृषि कार्य के उपयोग में है।
7.	किसी व्यक्ति ने पहले से ही परियोजना के उद्देश्य के लिए खरीदी, अलगाव, पट्टे या अधिग्रहित किया है।	नहीं
8.	यदि भूमि कृषि भूमि है, किसी भी सिंचाई कवरेज और फसल पैटर्न।	हाँ
9.	प्रकृति और भूमि का वर्तमान उपयोग	रेतीली एवं दोमट मिट्टी है जो कृषिकार्य के लिए उपजाऊ हैं।

प्रस्तावित मल्टी–मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के विकास एवं रेलवे लाइन से लिंक लाइन निर्माण का प्रस्तावित नक्शा, सालावास तहसील– लूणी, जिला– जोधपुर

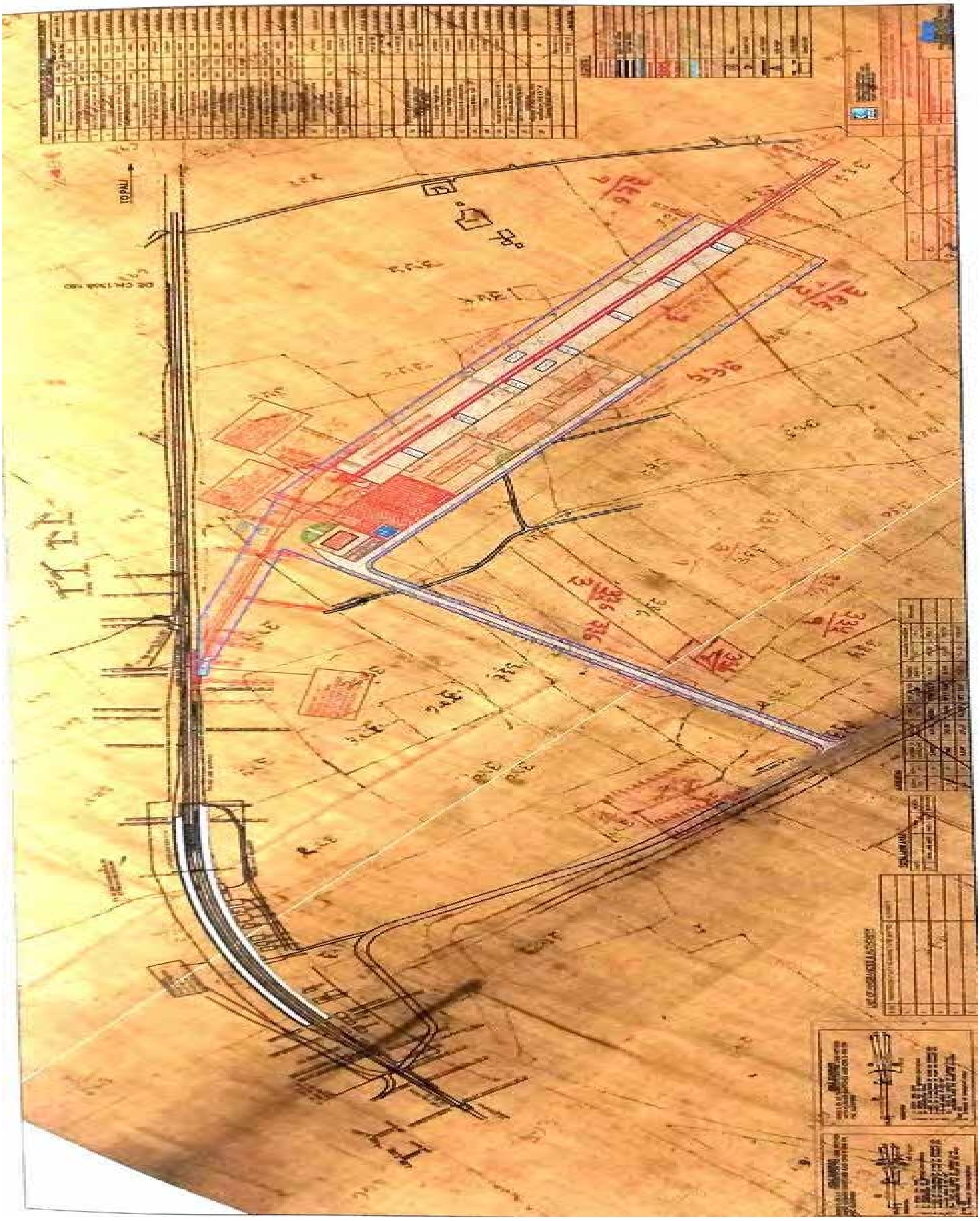

(स्रोत – कॉनकॉर रिपोर्ट अनुसार)

अध्याय–5
प्रभावित परिवारों और परिसम्पत्तियों का आकलन

5.1 प्रभावित परिवारों के विवरण

प्राथमिक हितधारक किसान/भू–स्वामी होंगे जिनकी भूमि का अधिग्रहण किया जाना प्रस्तावित है। प्राथमिक सर्वेक्षण में पाया गया कि मल्टी–मॉडल लॉजिस्टिक पार्क सालावास के विकास एवं रेलवे लाइन से लिंक लाइन निर्माण हेतु भू–अवाप्ति से भू–स्वामी प्रभावित हो रहे हैं।

क्र.सं.	विवरण	विवरण
क.	प्रभावित किसान/भू–स्वामी	ग्राम–सालावास
1	जमाबंदी में नाम के अनुसार भूमि मालिक	हॉं, सूची संलग्न है। (संलग्नक–ख)
2	क्या वहां किरायेदार हैं या अधिग्रहित होने वाली भूमि पर कब्जा कर रहे हैं।	नहीं
3	अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वनवासियों ने अपने वन अधिकारों में से किसी को खो दिया है।	नहीं
4	आम संपत्ति, संसाधन जो उनकी आजीविका के लिए भूमि के अधिग्रहण के कारण प्रभावित होंगे	हॉं (कृषि भूमि, वृक्ष, रास्ता, देव स्थान एवं प्लास्टिक पाईप लाइन, ट्यूबवैल)
5	अपनी किसी भी योजना के तहत भूमि सौंपी गई है और इस तरह की भूमि अधिग्रहण के अधीन है	नहीं
6	अधिग्रहण से 3 साल पहले आजीविका के प्राथमिक स्रोत के रुप में अधिग्रहित होने वाली जमीन पर निर्भर है।	हॉं

5.2 एस.आई.ए. के तहत परिवार सर्वेक्षण

तालिका 5.1 : परिवार के सदस्यों का वर्गीकरण

क्रम संख्या	गांव का नाम	महिला	पुरूष	कुल
1	सालावास	93 (49%)	97 (51%)	190 (100%)

तालिका 5.1 गॉंव के प्रभावित परिवारों के लिंग को प्रदर्शित करता है। प्रभावित गांव में से कुल उपस्थित लोगों में 51 प्रतिशत पुरूष एवं 49 प्रतिशत महिलाएँ हैं।

तालिका 5.2 : वैवाहिक स्थिति

क्रम संख्या	गांव का नाम	विवाहित	अविवाहित	विधवा/ विधुर	कुल
1	सालावास	138 (73%)	52 (27%)	0 (0%)	190 (100%)

तालिका 5.2 में सालावास गाँव के प्रभावित परिवारों की वैवाहिक स्थिति को प्रदर्शित करता है। प्रभावित गांव में से 73 प्रतिशत विवाहित हैं। उपस्थित लोगों में 27 प्रतिशत अविवाहित हैं।

तालिका 5.3 : शैक्षिक स्तर

क्रम संख्या	गांव का नाम	निरक्षर	प्राथमिक	उ. प्राथमिक	सैकेन्डरी	हायर सैकेन्डरी	स्नातक	स्नातकोत्तर	तकनीकी	कुल
1	सालावास	7 (3.7%)	11 (5.9%)	36 (18.9%)	49 (25.8%)	51 (26.8%)	28 (14.7%)	7 (3.7%)	1 (0.5%	190 (100%)

तालिका 5.3 में उत्तरदाता के शैक्षिक स्तर को दर्शाता है। प्रभावित गांव 3.7 निरक्षर हैं, वही 5.9 प्रतिशत प्राथमिक स्तर तक शिक्षित हैं। गांव में उपस्थित लोगों में 18.9 प्रतिशत उच्च प्राथमिक शिक्षा प्राप्त हैं, 25.8 प्रतिशत माध्यमिक स्तर तक शिक्षित हैं एवं 26.8 प्रतिशत उच्च माध्यमिक स्तर तक शिक्षित हैं तथा 14.7 प्रतिशत स्नातक है।

तालिका 5.4 : रोजगार की स्थिति

क्रम संख्या	गांव का नाम	हाँ	नहीं	कुल
1	सालावास	124 (65.3%)	66 (34.7%)	190 (100%)

तालिका 5.4 में प्रभावित गांव में उत्तरदाता के रोजगार की स्थिति को प्रदर्शित करता है। प्रभावित गांव में कुल उपस्थित लोगों में 65.3 प्रतिशत लोग रोजगार से जुड़े हुए हैं वहीं गांव में 34.7 प्रतिशत लोग रोजगार से नहीं जुड़े हैं।

तालिका 5.5 : मुख्य व्यवसाय

क्रम संख्या	गांव का नाम	कृषि	कृषि मजदूरी	दैनिक मजदूरी	वेतनभोगी	राजकीय सेवा	स्व रोजगार	कुल
1	सालावास	67 (54%)	7 (5.7%)	36 (29%)	7 (4.0%)	4 (3.3%)	5 (4.0%)	124 (100%)

तालिका 5.5 में प्रभावित गांव में उत्तरदाता के मुख्य व्यवसाय को दर्शाता है। गांव में उपस्थित लोगों में 54 प्रतिशत उत्तरदाता कृषि में लगे हैं। 29 प्रतिशत लोग दैनिक मजदूरी में लगे हैं वहीं 3.3 प्रतिशत लोग सरकारी नौकरी में लगे हैं। इस प्रकार प्रभावित परिवारों का मुख्य व्यवसाय कृषि है।

तालिका 5.6 : आयु के अनुसार वर्गीकरण

आयु वर्गीकरण (वर्षों में)							
क्रम संख्या	गांव का नाम	5 साल से कम	6 से 18	19 से 30	31 से 60	60 से अधिक	कुल
1	सालावास	24 (12.6%)	23 (12.2 %)	71 (37.3%)	53 (27.9%)	19 (10%)	190 (100%)

तालिका 5.6 में प्रभावित गांव में उत्तरदाता परिवार के सदस्यों के आयु वर्ग को प्रदर्शित करता है। प्रभावित गांव में उपस्थित लोगों में 5 वर्ष से कम आयु के 12.6 प्रतिशत एवं 6 से 18 वर्ष की आयु के 12.2 प्रतिशत व 19 से 30 वर्ष की आयु के 37.3 प्रतिशत, 31 से 60 वर्ष की आयु वाले 27.9 प्रतिशत, व 10 प्रतिशत 60 वर्ष से अधिक की आयु के हैं।

तालिका 5.7 : सामाजिक समूह के अनुसार परिवारों का वर्गीकरण

क्रम संख्या	गांव का नाम	सामान्य	अ.पि.वर्ग	अनुसूचित जाति	अनु. जनजाति	कुल
1	सालावास	5 (13%)	29 (76%)	4 (11 %)	0 (0%)	38 (100%)

तालिका 5.7 में प्रभावित गांव सालावास में उत्तरदाता के जाति वर्ग को दर्शाता है। प्रभावित गांव में से कुल उपस्थित लोगों में अनुसूचित जाति 11 प्रतिशत हैं। वहीं सालावास में 76 प्रतिशत परिवार अ.पि.वर्ग के हैं। इस प्रकार से प्रभावित गांवों में सबसे अधिक उत्तरदाता अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं।

अध्याय–6
प्रभावित क्षेत्र की सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक स्थिति

मल्टी–मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के विकास एवं रेलवे लाइन से लिंक लाइन निर्माण हेतु लूणी तहसील की ग्राम पंचायत व ग्राम सालावास की जमीन अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित है। इस गांव में सभी समुदाय के लोग रहते हैं। परियोजना हेतु प्रस्तावित भूमि अवाप्ति में प्रभावित होने वाले परिवारों में जाट, मेघवाल, साद, पटेल, नाई, माली, जैन, महाजन एवं प्रजापति समाज के लोग हैं। गांव में सक्षम, मध्यम वर्गीय एवं गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले सभी स्तर के परिवार हैं। गांवों के अधिकांश लोग कृषि कार्य पर ही निर्भर हैं। गांव में छोटे एवं बड़े सभी प्रकार के भू–स्वामी हैं।

6.1 राजनीतिक संगठन

अधिग्रहण की जाने वाली भूमि के भीतर कोई राजनीतिक संगठन स्थापित नहीं हुआ और प्रस्तावित भूमि का अधिग्रहण किया जा सकता है।

6.2 समुदाय आधारित या सिविल सोसाइटी संगठन

अधिग्रहण की जाने वाली भूमि के अन्दर कोई भी समुदाय आधारित या सिविल सोसायटी संगठन नहीं है।

6.3 स्थानीय आर्थिक गतिविधियाँ (Local Economic Activities)

प्रभावित गांवो में परंपरागत रुप से लोगों के आजीविका का प्रमुख साधन कृषि है। गांव के लोग मुख्यतः कृषि कार्य पर आधारित हैं, लोग ट्रेक्टर से खेती करते हैं। फसल में बाजरा, ज्वार, मौठ, रायड़ा, गेहूँ, इत्यादि की फसल पैदा करते हैं। यहाँ की मिट्टी दोमट एवं उपजाऊ किश्म की है जिसमें पैदावार सामान्य होती है। गॉव कें लोग पशुपालन में गाय, भैंस, ऊॅट, बकरी, भेड़, बैल तथा घोड़ा भी रखते हैं इसलिए वे इसको अपनी पारिवारिक जरुरत मानते हैं।

लोगों के आजीविका का द्वितीयक माध्यम दैनिक मजदूरी/नौकरी है। गांव रेलवे स्टेशन सालावास में आयल डिपों होने के कारण 50 प्रतिशत से अधिक लोग दैनिक मजदूरी यही पर करते हैं। अधिकांश परिवारों की आर्थिक स्थिति सामान्य है, इसका मुख्य कारण 2/3 भूमि पर किसानों को साल में एक फसल होती है। अगर आर्थिक पक्ष को देखा जाये तो **प्रथम पक्ष** यह है कि लोगों के पास भूमि औसत मात्रा में है एवं इससे होने वाली आय पर पूरी तरह आश्रित हैं। **दूसरा पक्ष** यह है कि भूमि अधिग्रहण के बाद लोगों के पास भूमि कम रह जायेगी और उन्हें कहीं अन्यत्र जमीन खरीदनी पड़ेगी। इस प्रकार परिवार पर भूमि के अधिग्रहण को हम सामाजिक परिपेक्ष्य में देखते हैं तो यह स्पष्ट है कि किसी भी परिवार की आय में कमी होने का तात्पर्य है कि शनैः शनैः उस परिवार की सामाजिक स्थिति भी प्रभावित होने लगती है। सामाजिक समाघात प्रभाव अध्ययन में प्रभावित लोगों से यह जानने का प्रयास किया गया है कि एक परिवार पर भूमि के अधिग्रहण के प्रभाव किस प्रकार के हो सकते हैं।

प्रस्तावित अधिग्रहित की जाने वाली भूमि कृषि भूमि है, प्रस्तावित क्षेत्र में रहने वाले समुदाय के सदस्य कुछ हद अधिग्रहित की जाने वाली भूमि पर आश्रित हैं जिससे लोग भिन्न भिन्न प्रकार से प्रभावित होंगे। प्रस्तावित अधिग्रहित की जाने वाली भूमि के परिधि में कृषि भूमि, पाईप लाईन, मय पोल तार बन्दी, पानी का टांका, मकान एवं वृक्ष, खेजड़ी, आदि हैं।

6.4 सामाजिक स्थिति

ग्राम सालावास ब्लॉक लूणी का एक गांव हैं जो कि जोधपुर जिला में आता हैं। पी.आर.ए. के दौरान प्रभावित 49 खसरों के खातेदार/हिस्सेदार प्रभावित परिवारों से चर्चा की गई हैं। गांव में सभी समुदाय के लोग रहते हैं लेकिन प्रभावित परिवारों अधिकांश मेघवाल, जैन, नाई, प्रजापत, जाट, माली, अग्रवाल समाज के लोग हैं। अधिकतम मकान पक्के ही बने हुए हैं एवं कुछ घर अर्द्ध पक्का बने हुए है।

6.5 सांस्कृतिक गतिविधियॉ

ग्राम सालावास गांव तहसील लूणी व जिला जोधपुर का गांव है। तहसील मुख्यालय से गांव की दूरी लगभग 22 कि.मी है। गांव में बिजली, पेयजल हेतु नल की व्यवस्था है जिससे पानी की आपूर्ति अच्छी प्रकार से हो रही है। ग्रामवासियों के अनुसार गांव मे हनुमान जी, शंकर भगवान, ठाकुर जी, रामदेवजी, वीर तेजाजी महाराज, का मंदिर है। सभी लोग गांव में धार्मिक आस्था वाले हैं। गांव की बसावट कुछ नई एवं पुरानी है। समय के अनुसार कुछ घरों की बनावट बदल भी रही हैं लोग नये तरीके से नक्शा बनाकर भी निर्माण कार्य कराने लगे हैं। गांवों में भी विकास की गतिविधियां शनैः–शनैः जारी है।

परचून सामान के लिए गांव में दुकाने भी हैं। जहां पर रोजमर्रा का सामान मिल जाता है लेकिन अधिक सामान की ज्यादा मात्रा में आवश्यकता होने पर जोधपुर से ही सामान लाना पड़ता है। आने–जाने के लिए स्वयं के साधन, प्राईवेट, सरकारी बस से आवा जाही करते हैं।

गांव के निवासियों के अनुसार गांव मे सुविधाओं के रुप में आंगनवाड़ी केन्द्र, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय है। गांव के सभी बालक–बालिकाऍ शिक्षा के लिए जाते हैं।

- गांव के सभी घरों/परिवारों में मोटर साईकिल एवं चार पहिया वाहन भी उपलब्ध है।
- समाचार एवं मनोरंजन हेतु गांव मे परिवारों के पास टेलीविजन है।
- शादी/ विवाह –लोगों के अनुसार 30 वर्ष पहले कम उम्र में शादी करते थे। आज सही उम्र 18 एवं 21 में शादी में करना पसन्द करते हैं।
- गांव में बीमार होने पर डॉक्टर से ईलाज करवाते है। ईलाज नहीं होने पर बीमार व्यक्ति को जोधपुर लेकर जाते हैं।

<u>त्यौहार</u>– होली, दीपावली नवरात्रा, रक्षाबन्धन, संक्रान्ति सभी त्यौहार मनाते है। त्यौहारों पर लोग पकवान बनाते हैं जैसे कि दाल बाटी, चूरमा, पुड़ी, हलवा, खीर व्यक्ति एवं परिवार की सम्पन्नता के आधार पर लोग घरों में अलग अलग भोजन बनाते हैं।

स्वास्थ्य व पोषण देखभालः—

गॉव में जिला अस्पताल होने के कारण आसपास के गॉवों के लोग भी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए सालावास में ही आते हैं। विशेष परिस्थितियों में कराने एवं इलाज कराने हेतु जोधपुर जाना पड़ता है । आज गांव में चिकित्सा सुविधा अच्छी है छोटी मोटी बीमारी में इलाज यही से ले लेते हैं। गांव सालावास में 2 तथा रेलवे स्टेशन सालावास में 1 आंगनवाड़ी केन्द्र है। इस प्रकार गांव में आंगनवाड़ी केन्द्र से लोगों तक सेवाएँ पहुँचाने में काफी आसानी है। पहले की तुलना में लोगों की जानकारी अवश्य बढ़ी है। सालावास गॉव में लोग जापा कराने हेतु अस्पताल ही जाने लगे हैं। कुछ लोग तो प्राईवेट में भी ईलाज, जापा कराने के लिए जाते हैं।

6.6 पर्यावरण की गुणवत्ता

भूमि अवाप्ति के पश्चात् मल्टी—मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के विकास एवं रेलवे लाइन से लिंक लाइन निर्माण क्षेत्र में विकास की गतिविधियां आरम्भ होगी एवं इस दौरान जो भी बड़े एवं छोटे पेड़ है उनकी कटाई करनी पड़ेगी । पेड़ों की कटाई से पर्यावरण को क्षति होगी अतः उक्त मुद्दों को दृष्टिगत रखते हुए दूसरे पौधे लगाये जाने हेतु योजना का निर्माण भी किया जाना चाहिये। पर्यावरण की क्षति ऐसी क्षति है जिसका निवारण आवश्यक है एवं जितने पेड़ काटे जाते है उससे दो गुणा तक नये पेड़ लगा कर उनकी जिवितता सुनिश्चित किया जाना चाहिये क्योंकि पर्यावरण हेतु कोई मांग करने वाला नहीं है। अर्थात् सरकार को इसके लिए प्रभावी पहल कर नवीन पौधों के लगाये जाने हेतु पहल करते हुए प्रभावी रणनीति अवश्य बनानी चाहिये।

किसानों/भू—स्वामियों ने सशर्त अपनी बात रखते हुए बताया कि— अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित भूमि में निजी एवं सरकारी दोनों ही प्रकार की कुल 19.8474 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण किया जाना प्रस्तावित है। अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का नियमानुसार एवं भू—स्वामियों को भूमि अवाप्ति से हो रही क्षति को ध्यान में रखते हुए खातेदारों को भुगतान कर दिया जाना चाहिए। यहाँ पर रास्तों के रुप में सरकारी भूमि का भी अधिग्रहण हो रहा है। रास्तों की भूमि अधिग्रहण दिखने में सरकारी भूमि है लेकिन एक काश्तकार/भू—स्वामी के लिए इसकी कहीं ज्यादा जरुरत है। जैसाकि ग्राम बैठक में लोगों द्वारा सुझाव/राय के रुप में इसको प्राथमिकता में रखा है। क्योंकि वर्तमान में सभी खेत किसी ना किसी रास्ता/सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है।

6.7: परियोजना क्षेत्र के गांवों की जनसंख्या प्रारुप तहसील— लूणी (जनगणना 2011 के अनुसार)

गांव का नाम	जनगणना कोड	गांव की जनसंख्या प्रारुप (जनगणना 2011 के अनुसार)			अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
		कुल श्रमिक	कुल परिवार	कुल जनसंख्या		
सालावास	85544	1986	1067	6592	1193	25
सालावास रेलवे स्टेशन	85542	181	131	670	74	7
	नोटः—सूचना स्रोत जनगणना 2011 के अनुसार					

अध्याय–7
सामाजिक समाघात व आकलन

7.1 परिचय

क्षेत्र में प्रस्तावित मल्टी–मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के विकास एवं रेलवे लाइन से लिंक लाइन निर्माण में ग्राम एवं ग्राम पंचायत सालावास की भू–अवाप्ति हेतु प्रस्तावित है परियोजना के प्रभावों को हम सालावास गांव में किस प्रकार देखते हैं या गांव में भूमि अधिग्रहण के प्रभाव किस प्रकार के होंगे का आकलन करना आवश्यक है। इस अध्याय के अन्तर्गत परियोजना के सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों ही प्रकार के प्रभावों को जानने का प्रयास किया है।

परियोजना के प्रभाव :

जब भी कोई परियोजना किसी क्षेत्र में आरम्भ होती है तो उसके प्रभाव विभिन्न प्रकार से देखे जाते हैं। प्रभावों के बारे में अगर हम समझें तो पता चलता है कि क्षेत्र में प्रभावों को सकारात्मक या नकारात्मक तौर पर देखा जा सकता है। क्षेत्र, व्यक्ति, समुदाय में किसी प्रकार का बदलाव ही सामाजिक प्रभाव को परिभाषित करता है। जैसे किसी भी सार्वजनिक या निजी कार्यों से जहाँ लोग रहते हैं, काम करते हैं, खेलते हैं, एक दूसरे से संबंधित होते हैं, उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए व्यवस्थित करते हैं, सहयोग करते हैं और आम तौर पर समाज के सदस्यों के साथ अच्छे या बुरे कार्यों से सामना करते हैं। इसमें सांस्कृतिक प्रभाव भी शामिल हैं। जिनमें मानदंड़ों, मूल्यों और विश्वासों में परिवर्तन शामिल हैं, जो कि खुद को और उनके समाज की समझ और तर्क संगत तरीके से मार्गदर्शन करते हैं। ''सामाजिक प्रभाव सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही प्रकार के होते हैं जिससे परिवर्तन प्रभावित होते हैं जैसे रोजगार, आय, उत्पादन, जीवनशैली, संस्कृति, समुदाय, राजनीतिक व्यवस्था, पर्यावरण, स्वास्थ्य और कल्याण, व्यक्तिगत और संपत्ति के अधिकार, भय एवं आकांक्षाएँ आदि सामाजिक प्रभाव लोगों के सामाजिक विकास में एक महत्त्वपूर्ण सुधार या नुकसान दे सकते हैं।

एस.आई.ए. आकलन अध्ययन निर्णय निर्माताओं को अपने कार्यों की संभावित नकारात्मक प्रभावों की अग्रिम जानकारी या पहचान करने में सहायता करता है। किसी भी बात/मुद्दे को समझने निर्णय लेने सहायता के रूप में, एस.आई.ए. सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों पर जानकारी प्रदान करता है ताकि उनके प्रभावों को रोकने या कम करने के लिए समय पर आवश्यक कदम उठाये जा सकें या कम से कम समय में निर्णय लिया जा सके। एस.आई.ए. आकलन अध्ययन से प्राप्त एवं संकलित सूचनाओं के आधार पर ही प्रभावों के निवारण कर प्रभावित लोगों को पूर्व की स्थिति में बहाल करना होता है।

सामाजिक समाघात आकलन के संचालन की प्रक्रिया को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है जिसमें प्रस्तावित अधिग्रहण के समाघात का आकलन करने के लिए व्यवस्थित तरीके से सभी हितधारकों को शामिल किया गया है।

प्रभावों की पहचान करने के लिए ढ़ांचा और दृष्टिकोण निम्नलिखित चरणों में दिखाया गया है।

चरण 1 : एस.आई.ए. टीम का निर्माण

चरण 2 : साहित्य समीक्षा

चरण 3 : विभिन्न हितधारकों के साथ बैठक

चरण 4 : डाटा संग्रह (उपकरण : परिवार सम्पर्क, प्रश्नावली, एफजीडी, अनुसूची)

चरण 5 : डाटा प्रोसेसिंग

चरण 6 : रिपोर्टिंग

भूमि अधिग्रहण से हितधारक (भू–स्वामी) प्रभावित होगा। चूंकि प्रस्तावित भूमि पर वर्तमान में खेती होती है इसलिए भू–स्वामियों को कृषि भूमि के अतिरिक्त खेजड़ी, व अन्य वृक्षों का भी नुकसान हो रहा है।

7.2 परियोजना चक्र के विभिन्न चरणों में प्रभाव

मल्टी–मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के विकास एवं रेलवे लाइन से लिंक लाइन निर्माण के तहत भूमि के अधिग्रहण के विभिन्न चरणों में सामाजिक प्रभाव निम्नानुसार होंगेः

(i) परियोजना पूर्व चरण के दौरान प्रभाव

(ii) परियोजना चरण के दौरान प्रभाव

परियोजना के अनुसार ग्रामीण परिवारों की खेती की जमीन का अधिग्रहण होना बताया गया है कि इस परियोजना के लक्ष्य अनुसार गांव सालावास के भू–स्वामियों की जमीन अधिग्रहण हेतु चिन्हित की गई है।

सामाजिक समाघात शमन योजना (एस.आई.एम.पी.) का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विभिन्न प्रतिकूल प्रभावों को कम किया गया है और सकारात्मक प्रभाव बढ़े हैं। सामाजिक समाघात शमन हेतु उपाय परियोजना के विभिन्न चरणों के दौरान कार्यान्वित किए जाएंगे।

(i) परियोजना पूर्व चरण के दौरान प्रभाव

इस चरण में भूमि अधिग्रहण करने सम्बन्धी गतिविधियां आयोजित की जायेगी। यहां पर भू–स्वामी किसी भी प्रकार की खेती सम्बन्धी कोई गतिविधि करने की स्थिति में नहीं होता है। अर्थात् हितधारक को इस समय में आर्थिक क्षति का सामना करना पड़ता है। जिससे भू–स्वामी/खातेदार हिस्सेदार/परिवार पर कुछ समय के लिए नकारात्मक प्रभाव होते हैं। लोगों के सामने आजीविका की चुनौती रहेगी। भूमि अधिग्रहण से लोगों की आय प्रभावित होगी एवं कृषि मजदूरी भी नहीं मिल पायेगी। रोजगार के अभाव में भूमि अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों की आय में कमी आयेगी। जमीन की अवाप्ति को लेकर मन में संशय बना रहेगा एवं कृषि कार्य भी बाधित होगा।

परियोजना चरण के दौरान प्रभाव

परियोजना चरण के दौरान ग्रामीणों से चर्चाएँ कर इसके विभिन्न प्रभावों को पहचाना गया है इस चरण में भूमि अधिग्रहण सम्बन्धी समस्त कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। प्रस्तावित तकमीना अनुसार जो भूमि अधिग्रहण की जाती है कई बार भू–अवाप्ति के कारण हितधारक कृषि करने की स्थिति में नहीं रह पाते

हैं। अर्थात् हितधारक को इस समय में केवल मानसिक पीड़ा का सामना करना पड़ता है एवं असमंजस की स्थिति में रहता है। लोगों का यह मानना है कि यहां पर भूमि अधिग्रहण के बाद जो शेष भूमि है उस पर ही गुजर बसर करना होगा एवं खेती की जमीन कहीं दूसरे गांव में लेनी पड़ेगी जिसमें समय लगेगा। काश्तकार को इस समय में कृषि नहीं कर पाने से फसल के रुप में नुकसान का लोगों द्वारा अनुमान लगाया जा रहा है।

तालिका 7.1 : परियोजना के विभिन्न चरणों में सामाजिक प्रभावों का आकलन

विभिन्न चरणों में सामाजिक प्रभाव	सकारात्मक प्रभाव	नकारात्मक प्रभाव
परियोजना पूर्व चरण	• जमीनों के भाव/कीमत में अभिवृद्धि होना। • नये लोगों के आवागमन को प्रेरणा मिलना। • गांव का विस्तार योजना बनना अर्थात् आवासीय योजना का प्रस्ताव बनना • व्यवसायिक भू–खण्ड योजना प्रस्ताव	• भूमि अधिग्रहण की समस्या एवं मन में संशय रहना। • उत्पादन के निवेश मे कमी तथा उत्पादन में भी कमी होना। • कम भूमि का बचना जिससे जीवनयापन कर पाने की चुनौती रहना।
परियोजना चरण	• व्यवसाय के नये रास्ते खुलेंगे। • प्राप्त मुआवजा राशि से अधिक कृषि भूमि क्रय कर उत्पादन के अवसर प्राप्त होना। • रोजगार के अवसर मिलना। • आय में अभिवृद्धि से सामाजिक स्तर में सुधार होना। • भूमि की बाजार कीमत में अभिवृद्धि होना।	• भूमि अधिग्रहण के बाद भूमि की मात्रा कम होना। • गांव में खेती हेतु भूमि कम होने की स्थिति में भूमि लेना। • जमीनों के भाव/कीमत में अभिवृद्धि का सामना करना। • प्रभावित परिवार को अन्यत्र स्थान पर जमीन लेनी होगी।

अध्याय–8
भूमि अधिग्रहण पर लाभ एवं सिफारिश

8.1 परियोजना पृष्ठभूमि

क्षेत्र में मल्टी–मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के विकास एवं रेलवे लाइन से लिंक लाइन निर्माण में ग्राम पंचायत एवं ग्राम सालावास की भूमि अवाप्ति हेतु प्रस्तावित है। जब कभी कोई परियोजना का क्रियान्वयन होता है तो उसे एक नजर से नहीं देखा जाना चाहिये। एस.आई.ए. के अनुसार हम देखें तो ज्ञात होगा कि प्रभावों को सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों ही ओर से देखा जाना चाहिये। सामान्यतः किसी भी प्रभाव को देखने का तार्किक आधार यह है कि नकारात्मक प्रभाव सामाजिक/क्षेत्र के लिए कितना नुकसान दे सकते है एवं नकारात्मक प्रभाव कहीं सकारात्मक से अधिक तो नहीं हैं।

क्षेत्र में प्रस्तावित मल्टी–मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के विकास एवं रेलवे लाइन से लिंक लाइन निर्माण में ग्राम पंचायत एवं ग्राम सालावास की भूमि अवाप्ति हेतु प्रस्तावित है के प्रभावित भू–स्वामियों से एस.आई.ए. में चर्चा के दौरान बताये गये सम्भावित लाभ निम्नानुसार होंगे–

बहुविध लॉजिस्टिक पार्क के प्रमुख लाभों को इस प्रकार रेखांकित किया जा सकता है–

- ''स्टैंड अलोन'' वितरण केन्द्रों की तुलना में उत्कृष्ट परिवहन लिंक– लम्बी दूरी के रेल नेटवर्क के साथ–साथ ट्रकिंग द्वारा अवाह क्षेत्र में वितरण बिंदुओं के साथ आसान पहुँच
- कस्टम क्लीयरेंस सुविधाएँ– जहॉ भी आवश्यक हो।
- चौबीस घंटे सेवा–आम तौर पर शहरी बस्ती क्षेत्रों से दूर स्थित है।
- लागत बचत– क्योंकि सभी सुविधाएँ एक ही स्थान पर प्रदान की जाती हैं।
- उन्नत एवं बेहतर सुरक्षा प्रणालियॉ
- प्रतिस्पर्धी और विश्वसनीय लॉजिस्टिक्स प्रदाताओं के चयन के लिए अधिक विकल्पों की उपलब्धता
- परिवहन के कम से कम दा साधनों तक पहुँच, विशेष रुप से रेल एवं सड़क
- तालमेल का उपयोग करने के लिए एक स्थान पर महत्त्वपूर्ण सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करने वाले प्रबन्धन कार्य

तालिका 8.1 : परियोजना के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव

क्र.सं.	सकारात्मक प्रभाव	नकारात्मक प्रभाव	टिप्पणी
1.	परियोजना (एमएमएलपी) के बाद भू–स्वामियों को व्यवसाय के बेहतर अवसर मिलेंगे।	भूमि के अधिग्रहण खेती योग्य भूमि में कमी आयेगी।	एफ.जी.डी. के दौरान सूचना संकलन करते समय लोगों द्वारा

2.	परियोजना (एमएमएलपी) के बाद जमीन की कीमतों में वृद्धि होगी	सामान्य वृक्षों का नष्ट होना ।	बताया गया है।
3.	स्थानीय निवासियों/लोगों को छोटे–मोटे व्यवसाय के व्यापक अवसर मिलेंगे।	आंशिक तौर पर लोगों की आजीविका प्रभावित होना।	
4.	आवागमन की सुविधाओं में वृद्धि होगी		

तालिका 8.2 संभावित प्रभावों की सूची

कारक	प्राथमिक हितधारकों पर प्रभाव	द्वितीयक हितधारकों पर प्रभाव
गांव	क्षेत्र में मल्टी–मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के विकास एवं रेलवे लाइन से लिंक लाइन निर्माण में ग्राम पंचायत एवं ग्राम सालावास के भू–स्वामियों की खेती योग्य भूमि में कमी ।	• पर्याप्त सुविधा के कारण अन्य किसानों की शेष जमीन का मूल्य बढ़ जाना।
भूमि	क्षेत्र में प्रस्तावित मल्टी–मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के विकास एवं रेलवे लाइन से लिंक लाइन निर्माण में ग्राम पंचायत एवं ग्राम सालावास के भू–स्वामियों की खेती योग्य भूमि कम होना।	• द्वितीयक हितधारकों पर अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ना। • जमीन का मूल्य बढ़ जाना।
मकान	–	–
आजीविका और आय	• क्षेत्र में मल्टी–मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के विकास एवं रेलवे लाइन से लिंक लाइन निर्माण में ग्राम पंचायत एवं ग्राम सालावास के भू–स्वामियों की सालाना आय में कमी होना। • कुछ समय के लिए आजीविका की चुनौती।	• भूमि कम होने से आय में कमी होना। • किसानों की वार्षिक आय में कमी होना। • कुछ भू–स्वामियों की भू–अवाप्ति के कारण जमीन कम रह जाना
निजी सम्पत्ति	हॉं	–
सार्वजनिक सम्पत्ति	रास्ते प्रभावित होने से लोगों को अपने खेतों में जाने हेतु समस्या आयेगी।	रास्ते प्रभावित होने से लोगों को अपने खेतों में जाने हेतु समस्या आयेगी।
स्वास्थ्य	नहीं	–
सांस्कृतिक और सामाजिक एकजुटता का प्रभावित होना	नहीं	–

8.2 प्रस्तावित भूमि अवाप्ति के कारण परिवार पर पड़ने वाले सामाजिक व आर्थिक भार

मल्टी–मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के विकास एवं रेलवे लाइन से लिंक लाइन निर्माण में ग्राम पंचायत एवं ग्राम सालावास के लगभग 49 खातेदार हिस्सेदार परिवारों की भूमि अवाप्ति हेतु प्रस्तावित है। उपरोक्त गांव जिला मुख्यालय से लगभग 22 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। सभी सम्भावित प्रभावित परिवार जिनकी जमीन अवाप्ति हेतु प्रस्तावित है वे सामाजिक एवं आर्थिक तौर पर प्रभावित होंगे। जिन लोगों की जमीन अधिक जायेगी उनके आर्थिक रुप से प्रभावित होने की सम्भावना ज्यादा है। लेकिन भू–स्वामी मिले हुए मुआवजा राशि से आने वाले समय में जमीन क्रय कर लेंगे।

8.3 सामाजिक प्रभावों की प्रकृति और तीव्रता (The Nature and Intensity of Social Impacts)

मल्टी–मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के विकास एवं रेलवे लाइन से लिंक लाइन निर्माण में ग्राम पंचायत एवं ग्राम सालावास के भू–स्वामियों की भूमि अवाप्ति का प्रस्ताव है। भूमि अधिग्रहण के दौरान प्रभावित परिवारों के प्रभावों की गणना, घरेलू सर्वेक्षण, स्वयं रिपोर्ट सूचना, सामूहिक चर्चा, शोधकर्ता के अवलोकन, स्थानीय मुख्य हितधारी व्यक्तियों जैसे–सरपंच, पटवारी व ग्राम सेवक आदि तथा अधिग्रहणकर्ता विभाग से प्राप्त सूचना के आधार पर सामाजिक प्रभावों का आकलन किया गया। सामाजिक समाघात प्रभाव आकलन अनुसंधान दो भाग में बांट कर किया गया है– पहले भाग में प्रभावित क्षेत्र की पृष्टभूमि जैसे जनसांख्यिकीय और सामाजिक संकेतों से संबंधित सूचनाओं को लिया गया तथा दूसरे भाग में लोगों के जीवन स्तर में प्रभाव से संबंधित विभिन्न तरह की सूचनाओं को भी लिया गया। जनसांख्यिकीय संकेतो के अंतर्गत आय व्यय, नौकरी, आय के स्त्रोत, पलायन, स्थानीय सरकारी सुविधाओं आदि से सम्बंधित सूचना प्राप्त की गई तथा प्रभाव के अंतर्गत शिक्षा एवं स्वास्थ्य पर प्रभाव, स्थानीय एवं भौतिक संसाधनों पर प्रभाव, आजीविका प्रभाव तथा भूमि पर प्रभाव के बारे में सूचनाओं का संकलन किया गया। प्रभावों की गणना दोनों पहलुओं (सकारात्मक तथा नकारात्मक) के आधार पर की गई है। इसके साथ–साथ नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए सामाजिक समाघात शमन योजना की भी चर्चा की गई। इस परियोजना से संबंधित प्रभावित व्यक्तियों द्वारा की गई मांगों पर भी चर्चा की गई। भूमि अधिग्रहण के नकारात्मक प्रभावों को सामाजिक समाघात शमन योजना से कम किया जा सकता है।

मल्टी–मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के विकास एवं रेलवे लाइन से लिंक लाइन निर्माण हेतु ग्राम पंचायत एवं ग्राम सालावास भूमि अधिग्रहण पर निष्कर्ष एवं अनुशंसा

क्षेत्र में मल्टी–मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के विकास एवं रेलवे लाइन से लिंक लाइन निर्माण में ग्राम पंचायत एवं ग्राम सालावास के भू–स्वामियों की भूमि अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित है वे सभी अपनी भूमि पर काश्त करते हैं। क्षेत्र की कृषि भूमि कम उपजाऊ है लेकिन अधिकांश भू–स्वामी वर्षा वाली फसल ही ले पाते हैं एवं 90 प्रतिशत परिवार कृषि पर निर्भर हैं। इस भूमि अधिग्रहण से 49 खसरों खातेदार/हिस्सेदार लोगों के प्रभावित होंगे। प्रभावित किसानों का यह भी कहना है कि अगर क्षेत्र में मल्टी–मॉडल लॉजिस्टिक

पार्क के विकास एवं रेलवे लाइन से लिंक लाइन निर्माण के लिए प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण करना अनिवार्य है तो मुआवजा स्वरुप इतनी राशि दी जावे कि हम पुनः उसी स्थिति में कायम हो सके। जमीनों के भाव अधिक होने के कारण प्रभावित परिवारों को निकटतम क्षेत्र में जमीन खरीदना लगभग मुश्किल होगा। अतः प्रभावित लोगों का मानना है कि हमें अच्छा मुआवजा (3 से 4 गुना) नहीं मिलेगा तब तक उनका जीवन–यापन प्रभावित रहेगा।

इस प्रकार भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 एवं राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम, 2016 में भूमि अर्जन के तहत पुनर्वास की प्रक्रिया को भूमि अधिग्रहण के कारण प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास कि लिए इस तरीके से बनाया गया है कि वे प्रतिकूल प्रभावों से प्रभावित नहीं हो और उनकी स्थिति बेहतर हो या कम से कम वे अपने पिछले जीवन स्तर और आय एवं उत्पादन के स्तर को बनाये रखें। यह आरआरएफसीटीएलएआरआर, नियम, 2016 के तहत प्रयास भी है कि पुनर्वास से निर्भरता कम हो एवं सामाजिक, आर्थिक और संस्थागत रुप से लोग आत्मनिर्भर हो।

क्षेत्र में मल्टी–मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के विकास एवं रेलवे लाइन से लिंक लाइन निर्माण हेतु आवश्यकतानुसार एवं मौजूद विभिन्न फेक्टर को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम भूमि अधिग्रहण करने का प्रस्ताव रखा गया है। सामाजिक समाघात प्रभाव निर्धारण अध्ययन अन्तर्गत प्रस्तावित मल्टी–मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के विकास एवं रेलवे लाइन से लिंक लाइन निर्माण ग्राम पंचायत एवं ग्राम सालावास हेतु प्रभावित भू–स्वामियों को राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम, 2016 के तहत उनको उचित मुआवजा व सरकार द्वारा विभिन्न परियोजनाओं से सहयोग की सिफारिश की जाती है।

अध्याय–9
सामाजिक समाघात राहत/शमन योजना (एस.आई.एम.पी.)

9.1 दृष्टिकोण

सामाजिक समाघात राहत/शमन योजना (एस.आई.एम.पी.) में राहत, निगरानी और संस्थागत उपाय शामिल है, जिसे परियोजना के विभिन्न चरणों के दौरान कार्यान्वित किया जाएगा। जिससे प्रस्तावित परियोजना मल्टी–मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के विकास एवं रेलवे लाइन से लिंक लाइन निर्माण के प्रतिकूल सामाजिक समाघात को समाप्त करने या स्वीकार्य स्तर तक कम किया जा सके। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विभिन्न प्रतिकूल प्रभावों को कम किया सके और सकारात्मक प्रभावों को बढ़ाना हैं। राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम, 2016 के नकारात्मक सामाजिक प्रभावों को कम करने के लिए यह सामाजिक समाघात शमन योजना (एस.आई.एम.पी.) तैयार की गई है जिससे नकारात्मक (Negative) प्रभाव को खत्म या कम किया जा सके तथा साथ साथ सकारात्मक (Positive) प्रभाव को महसूस किया जा सकता है।

9.2 प्रभाव से बचने, प्रतिकार करने और क्षतिपूर्ति करने के उपाय

(1) सामाजिक उपाय

- राज्य में भूमि विभाजन को लेकर आज भी बंटवारा मौखिक रुप से ही किया जाता है। जिस पर मौखिक रुप से हुए बंटवारे के अनुसार लोग काबिज हो जाते हैं। लेकिन जब कभी सरकार या किसी विकास कार्य हेतु भूमि अवाप्ति करती है तो पारिवारिक, सामाजिक विवाद की समस्या उत्पन्न होती है। इस प्रकार के तमाम मतभेद/विवादास्पद मामलों में जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार उपखण्ड अधिकारी/भू–अवाप्ति अधिकारी को समस्या निवारण हेतु निर्देशित कर विवादों का निवारण कराया जाना चाहिये। अन्त में यह सुनिश्चित किया जाए कि भू–स्वामियों को उचित मुआवजा दिया जावे।

- महिलाओं, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों एवं परियोजना द्वारा प्रभावित परिवारों की स्थिति को बेहतर करने का प्रयास उनकी निर्णय लेने में भागीदारी को सुनिश्चित करके, परम्परागत कौशलता को बेहतर बनाकर एवं नये कौशल का विकास के द्वारा किया जाना चाहिये।

- परियोजना प्रभावित परिवारों को सर्वेक्षण के समय, मुआवजे की राशि, भुगतान की विधि आदि के बारे में स्पष्ट रूप से संवाद करते हुए बताया गया कि बीच में किसी भी मध्य पुरुष/बिचोलियों से पूरी तरह बचाना चाहिए। अधिनियम, 2016 के अनुसार ही सभी प्रभावित भू–स्वामियों की अवाप्त की जाने वाली भूमि का मुआवजा नियमानुसार ही बनाया

जायेगा जिसमें विभाग के अतिरिक्त किसी भी बाहरी व्यक्ति की भूमिका नहीं होगी अतः किसी भी भू–स्वामी को इससे बचना चाहिये।

(2) पुनर्वास उपाय

- परियोजना में भूमि अवाप्ति अन्तर्गत किसी भी परिवार की पूरी (समस्त) भूमि अवाप्त नहीं की जा रही है। अतः पुनर्वास की आवश्यकता नहीं है।

(3) पुनर्व्यवस्थापन उपाय

- भूमि अवाप्ति पश्चात्, परियोजना से प्रभावित परिवारों को कौशल विकास के तहत प्रशिक्षण दिया जावे ताकि वह अपना जीवनयापन कर सके। कौशल विकास प्रशिक्षण के साथ साथ पर्याप्त सहयोग की भी आवश्यकता होगी।
- परियोजना संचालन/निर्माण चरण के दौरान गांवों के श्रमिकों को रोजगार में प्राथमिकता दिया जाना चाहिये क्योंकि परियोजना अन्तर्गत भूमि अधिग्रहण के पश्चात् लोगों के पास भूमि कम हो जायेगी।
- क्षेत्र में खेती को व्यावसायिक रुप में विकसित किया जाना चाहिये ताकि प्रभावित परिवारों की बची हुई जमीन में अधिक आर्थिक लाभ मिल सके।
- प्रभावित परिवार के एक व्यक्ति को रोजगार उपलब्ध करा कर भूमि अधिग्रहण से पड़ने वाले प्रभावों को कम किया जा सकता है।

(4) आर्थिक उपाय

- प्रभावित परिवार के नौकरी योग्य युवक/वयस्कों को मल्टी–मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के विकास एवं रेलवे लाइन से लिंक लाइन निर्माण में रोजगार की प्राथमिकता देनी होगी।
- परियोजना द्वारा कृषि भूमि की अवाप्ति से प्रभावित परिवारों को राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में पारदर्शिता का अधिकार नियम, 2016 (RFCTLAR&R) के तहत उचित मुआवजा दिया जावे।

(5) पर्यावरणीय उपाय

- परियोजना निर्माण के दौरान पेड़ों की कटाई होगी है अतः उसके निवारण हेतु पेड़ लगाये जाने की योजना निर्माण कर क्रियान्वित कराया जाना चाहिये।
- परियोजना के निर्माण चरण के दौरान कम से कम प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए भी निर्णय लिया जाना चाहिए।

पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना (**Rehabilitation & Resettlement Planning-RP/R & R)**

पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना के तहत मल्टी–मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के विकास एवं रेलवे लाइन से लिंक लाइन निर्माण में ग्राम पंचायत एवं ग्राम सालावास हेतु भू अवाप्ति अन्तर्गत जिन भू स्वामियों की कृषि भूमि अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित है उनसे होने वाली क्षति के बारे में चर्चाएँ की गई। इस भू–अवाप्ति से लूणी तहसील की ग्राम पंचायत एवं ग्राम सालावास की मुख्य खातेदारी के खातेदार/हिस्सेदार भिन्न भिन्न प्रकार से प्रभावित हो रहे हैं। प्रभावित खातेदारी पर जो लोग कृषि पर निर्भर हैं उसमें अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य वर्ग के लोग प्रभावित हो रहे हैं। प्रभावित खातेदारों को राजस्थान भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार नियम, 2016 के अन्तर्गत भूमि अधिग्रहण से होने वाली क्षति पूर्ति हेतु लोगों से चर्चा करते हुए एक राहत योजना/प्रबन्धन योजना भी तैयार की गई।

इस प्रकार खातेदारों को भूमि अधिग्रहण से होने वाले नुकसान/क्षति को कम करने के लिए पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना में शामिल किया गया है। प्रतिकूल प्रभावों के निवारण हेतु रणनीति प्रस्तुत की गई है। यह बहुत स्पष्ट है कि वर्ग अनुसार खातेदारों के पुनर्व्यवस्थापन की योजना की अनुपालना आवश्यक है। पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में छोटी सी चूक कालान्तर में नकारात्मक परिणाम भी दे सकती है। कई बार भूमि विभाजन को लेकर परिवारों में मौखिक रुप से बंटवारे कर दिये जाते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ परिवारों में विवादास्पद स्थितियां बन जाती हैं। नियम व अधिनियम अनुसार लोगों का पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन (Rehabilitation & Resettlement (R&R) इस प्रकार हो कि भूमि अवाप्ति के सकारात्मक प्रभाव (Positive Impact) परिवार/लोगों पर हो।

पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन के अन्तर्गत प्रभावित लोगों से चर्चा कर उनके विचार अनुसार एस.आइ.एम.पी तैयार किया गया है जो लोगों के पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में मददगार हो सकता है।

तालिका 9.1 : विभिन्न संभावित सामाजिक प्रभावों का विश्लेषण और उनके प्रस्तावित उपाय

क्र.सं.	प्रभाव का प्रकार	प्रभावित परिवार का विवरण	प्रभाव की स्थिति	प्रस्तावित शमन योजना
1	भूमि का नुकसान	सालावास गांव के 49 खसरों के खातेदार / हिस्सेदार	खसरा से 20 से 60 प्रतिशत तक भूमि अवाप्ति	• राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम, 2016 के तहत उचित मुआवजे की राशि। • समय पर एवं एक मुश्त मुआवजा राशि उपलब्ध कराना।
2	बिल्ट–अप प्रोपर्टी का नुकसान	1 परिवार	हाँ	• राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम, 2016 के तहत उचित मुआवजे की राशि।

3	उत्पादक सम्पत्ति का नुकसान	भू–अवाप्ति क्षेत्र में किसी प्रकार का कोई व्यवसाय/यूनिट प्रभावित नहीं	नहीं	• राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम, 2016 के तहत उचित मुआवजे की राशि।
4	आजीविका का नुकसान	कृषि भूमि अधिग्रहण से कुछ समय के लिए आय प्रभावित होना	हाँ	• कृषि भूमि अधिग्रहण से कुछ समय के लिए आय नहीं होने पर खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ देना। • कॉनकॉर में प्रति प्रभावित परिवार में से एक व्यक्ति को रोजगार के अवसर प्रदान करना।
5	सार्वजनिक उपयोगिता की चीजों की हानि (रास्तों का प्रभावित होना।)	पक्का रोड़/सड़क	हॉ	खेतों में जाने हेतु रास्ता का प्रावधान करना।
6	सार्वजनिक संपत्ति संसाधनों की हानि	कोई नहीं	नहीं	–
7	सांस्कृतिक गुणों में नुकसान	कोई नहीं	नहीं	–

सामाजिक समाघात राहत/शमन योजना (एस.आई.एम.पी) हेतु ग्राम स्तरीय बैठक

सामाजिक समाघात प्रभाव अध्ययन (एस.आई.ए.) के दौरान ग्राम स्तरीय बैठक में प्रभावित भू–स्वामियों से चर्चा की गई। मल्टी–मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के विकास एवं रेलवे लाइन से लिंक लाइन निर्माण में ग्राम पंचायत एवं ग्राम सालावास हेतु भूमि अवाप्त किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित परियोजना में खातेदार/हिस्सेदार परिवार प्रभावित हो रहे हैं। प्रभावित भू–स्वामियों से की गई चर्चानुसार सभी ने अपने विचार बताये। प्रभावित भू–स्वामियों के विचारों/सुझावों को सम्मिलित करते हुए सामाजिक समाघात प्रभाव योजना तैयार की गई।

सामाजिक समाघात राहत/शमन योजना (एस.आई.एम.पी)

क्रम संख्या	सामाजिक समाघात आकलन बिन्दु	राहत/शमन योजना	विशेष विवरण
सामान्य व अन्य पिछड़े जाति के प्रभावित परिवार हेतु प्रबन्धन योजना			
1	कृषि भूमि का अधिग्रहण	• नियम के तहत उचित मुआवजा राशि दिलवाना। • वर्तमान में क्षेत्र में बाजार भाव अर्थात् 60 लाख बीघा की दर से मुआवजा दिया जावे।	–
2	पुनर्स्थापना का कार्य	• प्रभावित परिवारों से इच्छुक युवक/वयस्क को कार्य/रोजगार हेतु लोन/ऋण दिलाना। • रोजगार के अवसर प्रदान कराना। (सरकारी योजना–मनरेगा, श्रमिक योजना इत्यादि)।	• परिवार की आय, सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति प्रभावित होगी।
3	आजीविका/जीवन यापन की चुनौती होना	• प्राथमिकता से रोजगार के अवसर प्रदान कराना। (सरकारी योजना –मनरेगा, श्रमिक योजना इत्यादि)। • स्वास्थ्य योजनाओं से जोड़ने की सुनिश्चितता कराना। • प्रत्येक प्रभावित परिवार से एक युवक/वयस्क को कॉनकॉर में कार्य/रोजगार दिलाना।	–
4	भू–अधिग्रहण पश्चात् कुछ परिवारों के सामने पलायन की स्थिति ।	• किसी भी भू–स्वामी की सम्पूर्ण भूमि अवाप्त नहीं की अतः पलायन की जरुरत नहीं होगी।	–
5.	पशु–पालन प्रभावित होना	• कम कीमत पर चारा उपलब्ध कराना। • डेयरी योजना से जोड़ना। • प्रभावित परिवारों में से इच्छुक व्यक्तियों को पशुपालन हेतु को प्रोत्साहन एवं सहयोग देना।	–
6.	परिवार के युवाक/वयस्क के सामने रोजगार की चुनौती	• युवाओं को रोजगार से जोड़ना एवं क्षेत्र में प्रशिक्षण करा कर रोजगार के अवसर प्रदान करना। • किसी भी योजना/संगठन/एजेन्सी से जोड़ते हुए रोजगार के अवसर दिलानौ • प्रभावित परिवारों में से एक युवक/वयस्क को निर्माण कार्य के	–

		दौरान प्राथमिकता से रोजगार दिलवाना। ● एमएमएलपी आरम्भ, पश्चात् प्रत्येक प्रभावित परिवार के एक सदस्य को रोजगार दिलाना।	
अनुसूचित जाति एवं जनजाति के प्रभावित परिवार हेतु प्रबन्धन योजना			
1.	अनुसूचित जाति के परिवारों की जमीन का अधिग्रहण	● आरएफसीटीएनएआरआर, नियम 2016 के तहत उचित मुआवजा राशि दिलवाना। ● प्रत्येक प्रभावित परिवार से एक युवक/वयस्क को कॉनकॉर में कार्य/रोजगार दिलवाना।	—
2.	आजीविका प्रभावित होना	● प्रभावित परिवार को एक वर्ष तक 3000 से 5000 रुपया प्रतिमाह दिलवाया जाना चाहिये। ● SC प्रभावित परिवार (सरकारी योजना–मनरेगा,श्रमिक योजना इत्यादि) को 1.5 लाख रुपये दिलवाया जाना चाहिये। ● प्रभावित भू स्वामी को बी.पी.एल से जोड़ा जा सकता है। ● खाद्य सुरक्षा योजना से लाभान्वित कराना। रोजगार के अवसर प्रदान कराना। (सरकारी योजना–मनरेगा,श्रमिक योजना इत्यादि) ● स्वास्थ्य योजनाओं से जोड़ने की सुनिश्चितता कराना।	—
3.	पुनर्व्यवस्थापन की चुनौती	● प्रभावित परिवारों को प्राथमिकता से बी.पी.एल से जोड़ना। ● खाद्य सुरक्षा योजना से लाभान्वित कराना। रोजगार के अवसर प्रदान कराना। (सरकारी योजना– मनरेगा, श्रमिक योजना इत्यादि)	—
4.	पशु–पालन प्रभावित होना	● कम कीमत पर चारा उपलब्ध कराना। ● डेयरी योजना से जोड़ना।	—
5.	परिवार के युवाओं के सामने रोजगार की चुनौती	● युवाओं/वयस्कों को रोजगार से जोड़ना एवं क्षेत्र में प्रशिक्षण करा कर रोजगार के अवसर प्रदान करना।	—

अध्याय–10
जन सुनवाई

राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम, 2016 के अन्तर्गत मल्टी–मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के विकास एवं रेलवे लाइन से लिंक लाइन निर्माण हेतु लूणी तहसील, जिला जोधपुर की ग्राम पंचायत सालावास का गांव सालावास रेलवे स्टेशन की भूमि अवाप्ति हेतु प्रस्तावित है। कार्यालय संयुक्त शासन सचिव, उद्योग एवं वाणिज्य ग्रुप (1) विभाग द्वारा राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम, 2016 धारा (5) के अनुसार सामाजिक समाघात प्रभाव अध्ययन सेन्टर फॉर डवलपमेंट कम्यूनिकेशन एण्ड स्ट्डीज द्वारा किया गया है। सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की प्रस्तुत ड्राफ्ट रिपोर्ट पर राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम, 2016 के

राजस्थान सरकार

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी जोधपुर

सतलाना रोड, राजमार्ग-68, तहसील लूणी, Phone: 02931-284003, Email: sdmlu-jod-rj@nic.in

क्रमांक: भूमि अवाप्ति/2023/31 दिनांक:- 27.03.2023

लोक सूचनार्थ

(Public Notice)

भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 धारा-5 एवं इस सम्बन्ध में राज्य सरकार के नियम, 2016 के प्रावधानानुसार एवं नियम 7 के तहत **मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क** (MMLP) के निर्माण हेतु सामाजिक समाघात प्रभाव के अन्तर्गत जन सुनवाई का आयोजन किया जाना है।

आवश्यक सूचना

भूमि अर्जन, पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम, 2016 के प्रावधानासार ग्रम सालावास तहसील लूणी, जिला जोधपुर के निम्न प्रभावित गांवों में भूमि **मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क** (MMLP) के निर्माण कार्य हेतु निजी खातेदारी का अधिग्रहण किया जाना है। अतः भूमि अर्जन हेतु निम्न गांवों के प्रभावित व्यक्ति/ हितबद्धधारकों की सुनवाई हेतु जनसुनवाई बैठक आयोजित की जानी है।

क्र.सं.	गांव का नाम	तहसील	दिनांक	स्थान	समय
1	सालावास	लूणी	21.04.2023	पटवार भवन, सालावास	प्रातः 11.00 बजे

अतः इस जनसुनवाई में समस्त प्रभावित व्यक्तियों एवं जन प्रतिनिधियों की उपस्थिति सादर प्रार्थनीय है।

(पुखराज कांसोटिया)
भूमि अवाप्ति अधिकारी
एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी- जोधपुर

DIPR/C/5071/2023

अन्तर्गत जन सुनवाई आयोजन दिनांक 21.04.2023 को ग्राम पंचायत सालावास, तहसील लूणी, जिला जोधपुर में आयोजित की गई। इस जनसुनवाई कार्यक्रम के आयोजन हेतु लोकसूचना का प्रकाशन हुआ। प्रभावित खातेदार/हिस्सेदार जन सुनवाई में उपस्थित हो इसके लिए सभी प्रभावित लोगों को मोबाईल

पर भी सूचना दी गई। यह लोकसूचना सक्षम अधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी द्वारा दिनांक 27.03.2023 को क्रमांकः–भूमि अवाप्ति/2023/31 द्वारा जारी की गई।

जन सुनवाई कार्यक्रम

जन सुनवाई दिनांक–21 अप्रेल, 2023

स्थानः भारत निर्माण राजीव गाँधी सेवा केन्द्र, सालावास, तहसील लूणी जिला जोधपुर

आज दिनांक 21 अप्रेल, 2023 को सक्षम अधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी श्री पुखराज कांसोटिया आर.ए.एस. के प्रतिनिधि श्री जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में प्रस्तुत सामाजिक

समाधान अध्ययन की ड्राफ्ट प्रतिवेदन (सी.डी.ई.सी.एस., जयपुर–राज्य सरकार द्वारा ईमपैनल संस्था)– मल्टी–मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के विकास एवं रेलवे लाइन से लिंक लाइन निर्माण हेतु अवाप्त की जाने वाली भूमि हेतु भूमि अर्जन, पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 एवं राजस्थान भूमि अर्जन, पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार नियम, 2016 हेतु आयोजित की गई। यह भूमि अवाप्ति ग्राम सालावास रेलवे स्टेशन, तहसील लूणी, जिला– जोधपुर में की जानी है।

इस जन सुनवाई के मुख्य उद्देश्य निम्न हैः–

1. सामाजिक समाधान अध्ययन प्रतिवेदन रिपोर्ट को प्रस्तुत करना व भू–स्वामियों को बताना कि उनसे चर्चा कर उनकी माँग प्रतिवेदन में रखी गई है।
2. भू–स्वामियों की प्रस्तुत माँग (अध्ययन के दौरान) को अध्यक्ष महोदय के सामने प्रस्तुत करना।
3. भूमि अवाप्ति के लाभ व हानि पर चर्चा।
4. मल्टी–मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के विकास एवं रेलवे लाइन से लिंक लाइन निर्माण ग्राम सालावास रेलवे स्टेशन, तहसील लूणी, जिला जोधपुर के निर्माण से स्थानीय जनता को लाभ पर चर्चा।
5. उपस्थित पंचायत प्रतिनिधि, ग्रामीण जन व भू–स्वामियों द्वारा अपनी बात अध्यक्ष के समकक्ष प्रस्तुत करना ताकि जो बातें ड्राफ्ट सामाजिक समाधान अध्ययन रिपोर्ट में अगर रह गई है उन्हें जुड़वाना ताकि उनकी सम्पूर्ण माँग व सुझाव अंतिम प्रतिवेदन में शामिल किया जा सके।
6. स्थानीय ग्राम पंचायत प्रतिनिधि व अन्य ग्रामीण जन से संवाद स्थापित करना ताकि मल्टी–मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के विकास एवं रेलवे लाइन से लिंक लाइन निर्माण से होने वाले लाभ व हानि की जानकारी साझा करना। साथ–साथ ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा सुझाव प्राप्त करना।

जन सुनवाई कार्यक्रम में उपस्थित भू–स्वामियों, ग्राम जन व जन प्रतिनिधियों द्वारा जो सुझाव/बात/माँग रखी गई :–			
क्रम संख्या	**सुझाव/बात/माँग**	**समय अवधि**	**सम्भावित निवारण**
1.	भूमि अवाप्ति क्षेत्र में जो पहले से आम रास्ता है वह मल्टी–मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के विकास एवं रेलवे लाइन से लिंक लाइन निर्माण पश्चात् बंद हो जायेगा उसका ध्यान रखा जावे (श्री नेमाराम एवं श्री हंसराज गहलोत)	परियोजना अवधि में निर्माण कार्य के दौरान	रास्ता निर्माण की गतिविधि परियोजना निर्माण कार्य के दौरान समाधान करके दिया जायेगा।
2	सभी उपस्थित भू–स्वामियों द्वारा यह माँग की गई कि जमीन के बदले में मिलने वाला मुआवजा ज्यादा से ज्यादा एवं बजार भाव से दिया जावे।	अवार्ड के समय	खातेदार/हिस्सेदार के हित में राजस्थान भू अर्जन नियम, 2016 (RFCTLAR&R Rules, 2016) के तहत उचित एवं नियमानुसार मुआवजा कार्यवाही प्रस्तावित है।
3	भू–स्वामियों द्वारा प्रस्ताव रखा गया कि खसरा वार जमीन अवाप्ति के बारे में जानकारी दी जावे जिससे यह पता चल सके कि किस भू–स्वामी की कितनी भूमि अवाप्ति हेतु प्रस्तावित है।	1 माह में किया जा सकेगा	पटवारी, (रेव्येन्यू विभाग) एवं कॉनकॉर के सहयोग से मार्किंग कराया जा सकेगा।
4	प्रस्तावित परियोजना मल्टी–मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के विकास एवं रेलवे लाइन से लिंक लाइन निर्माण के प्रस्तावित स्थान/जगह का मार्किंग कराया जावे जिससे भू स्वामी को भूमि अवाप्ति की स्थिति का पता चल सके।	1 माह में किया जा सकेगा	पटवारी, (रेव्येन्यू विभाग) एवं कॉनकॉर के सहयोग से मार्किंग कराया जा सकेगा।

(भू–स्वामियों द्वारा जो सुझाव/राय/मुद्दे जनसुनवाई में रखे गये हैं उन्हें सम्मिलित करते हुए तालिका 10.1 में प्रस्तुत किया गया है।)

तालिकाः 10.0 उपस्थित प्रतिभागी

क.सं.	नाम	पद	फोन नम्बर
1.	श्री पुखराज कासोटिया	एस.डी.एम. लूणी	
2.	श्री शौकत अली	प्रतिनिधि एस.डी.एम, लूणी	9950534370
3.	श्री ओमाराम पटेल	सरपंच, सालावास	8094980000
4.	श्री बी. प्रसाद	जीजीएम, ईएनजीएस, कॉनकॉर	
5.	श्री जी.एस.पटवाल	ए.ओ. ई.एन.जी एस कॉनकॉर	9172792607
6.	श्री राहुल सिंह	टर्मिनल प्रबन्धक, कॉनकॉर	9560391729
7.	श्री रामनिवास	प्रबन्धक सिविल, राईट्स	9871155773
8.	श्री महेन्द्र डागुर	कॉनकॉर, जोधपुर	
9.	श्री पेमाराम	भूमि अवाप्ति कन्सलटेंट, कॉनकॉर	
10.	श्री सोहनलाल	खातेदार	9950329141
11.	श्री पोलाराम	खातेदार	
12.	श्री ढ़लाराम	खातेदार	8696580671
13.	श्री रमेश	खातेदार	9414916249
14.	श्री जेठाराम	खातेदार	9828265876
15.	मीठालाल	खातेदार	9799622549
16.	श्री बुधाराम	खातेदार	9982879063
17.	श्री गणेशराम चौधरी	खातेदार	
18.	श्री सुरेश सांखला	खातेदार	9166172345
19.	श्री दिनेश सैन	खातेदार	9636080265
20.	श्री नारायणराम सांखला	खातेदार	9602133118
21.	श्री भियांराम जाट	खातेदार	8094873440
22.	श्री बीजाराम	खातेदार	
23.	श्री भूण्डाराम जाट	खातेदार	9660481333
24.	श्री नेमाराम	खातेदार	9950120339
25.	श्री मोहनराम थोरी	खातेदार	9414408607
26.	श्री उमाराम	खातेदार	
27.	श्री हंसराज गहलोत	खातेदार	9829860012
28.	श्री डूंगरराम	खातेदार	8619362874
29.	श्री प्रतापराम	खातेदार	
30.	श्री जगदीश चौधरी	खातेदार	9928620048
31.	श्री जगदीश चौधरी	एस.आई.एस दल सदस्य, साडेक्स	9509524627
32.	श्री दिलीप शर्मा	एस.आई.एस दल सदस्य, साडेक्स	8209528336

तालिका : 10.1

जन सुनवाई के दौरान प्रभावित खातेदार/हिस्सेदारों द्वारा दिये गये सुझाव/विचार/मांग/राय

मल्टी–मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के विकास एवं रेलवे लाइन से लिंक लाइन निर्माण

स्थानः– पटवार भवन/राजीव गॉधी सेवा केन्द्र, सालावास

जनसुनवाई दिनांक 21–04–2023

क्र.स	गांव का नाम	प्रभावित खसरा संख्या	खसरा संख्या से उपस्थित खातेदार/का नाम व मोबाईल नं.	सुझाव/विचार/मांग/राय	खातेदार/ हिस्सेदारों का मत (सहमति–1, असहमत–2)	विशेष टिप्पणी
1.	सालावास रेलवे स्टेशन	337/4, 337, 337/3, 337/1, 337/2	हंसराज गहलोत	• जो भूमि अवाप्त की जा रही है उसमें प्रस्तावित योजना अनुसार खेत के दो हिस्से हो रहे हैं। जो शेष हिस्सा बच रहा है उसमें खेती करना सम्भव नहीं है अतः शेष टुकड़े को भी अवाप्त कर लिया जावे। • अधिनियम, 2013 एवं 2016 का नियम क्या है तथा इसमें किस दर से मुआवजा दिया जावेगा।	1	खातेदार/हिस्सेदार के हित में राजस्थान भू अर्जन नियम, 2016 (RFCTLAR&R Rules, 2016)के तहत उचित मुआवजा कार्यवाही प्रस्तावित है।
2.	सालावास रेलवे स्टेशन	338	दिनेश कुमार	• भूमि अवाप्ति पश्चात् शेष हिस्सा बच रहा है वह हिस्सा मेरे काम नहीं आयेगा अतः शेष टुकड़े को भी अवाप्त कर लिया जावे। • मेरे परिवार से एक व्यक्ति को नौकरी दी जावे।	1	खातेदार/हिस्सेदार के हित में राजस्थान भू अर्जन नियम, 2016 (RFCTLAR&R Rules, 2016)के तहत उचित मुआवजा कार्यवाही प्रस्तावित है।
3.	सालावास	351/3, 351,	बुधाराम, ढ़लाराम	• परियोजना हेतु प्रस्तावित भूमि सभी भाईयों	1	खातेदार/हिस्सेदार के हित में

	रेलवे स्टेशन	351/6, 351/5, 351/4, 351/2, 351/1	माली	की है अतः मुआवजा राशि प्रभावित व्यक्ति को ही दी जावे। ● शेष हिस्सा बच रहा है उसे अवाप्त किया जावे।		राजस्थान भू अर्जन नियम, 2016 (RFCTLAR&R Rules, 2016)के तहत उचित मुआवजा कार्यवाही प्रस्तावित है।
4.	सालावास रेलवे स्टेशन	348	सुरेश माली	● मुआवजा राशि बजार भाव से दिया जावे। ● परियोजना हेतु प्रस्तावित स्थान का मार्किंग किया जावे ताकि हमें शेष जमीन की जानकारी मिल सके।	1	खातेदार/हिस्सेदार के हित में राजस्थान भू अर्जन नियम, 2016 (RFCTLAR&R Rules, 2016)के तहत उचित मुआवजा कार्यवाही प्रस्तावित है। 1 माह में मार्किंग किया जायेगा।
5.	सालावास रेलवे स्टेशन	361/2, 361/5,361/1, 361/3,361/4, 361/6	गजेन्द्र माली	● मुआवजा राशि बजार भाव से दिया जावे।	1	खातेदार/हिस्सेदार के हित में राजस्थान भू अर्जन नियम, 2016 (RFCTLAR&R Rules, 2016)के तहत उचित मुआवजा कार्यवाही प्रस्तावित है।
6.	सालावास रेलवे स्टेशन	353	उमाराम माली	● मुआवजा राशि बजार भाव से दिया जावे। ● जमीन का चिन्हींकरण नहीं होने के कारण मुझे भूमि अवाप्ति की स्थिति स्पष्ट नहीं है। खेत में कुआं, ट्यूबवैल, पानी होद, पाईपलाईन है। प्रभावित होने पर इनका मुआवजा दिया जावे।		खातेदार/हिस्सेदार के हित में राजस्थान भू अर्जन नियम, 2016 (RFCTLAR&R Rules, 2016)के तहत उचित मुआवजा कार्यवाही प्रस्तावित है।
7.	सालावास रेलवे स्टेशन	360	उमाराम माली	● मुआवजा राशि बजार भाव से दिया जावे। ● जमीन का चिन्हींकरण नहीं होने के कारण मुझे भूमि अवाप्ति की स्थिति स्पष्ट नहीं है। खेत में कुआं, ट्यूबवैल, पानी होद,		खातेदार/हिस्सेदार के हित में राजस्थान भू अर्जन नियम, 2016 (RFCTLAR&R Rules, 2016)के तहत उचित मुआवजा कार्यवाही प्रस्तावित है।

				पाईपलाईन है। प्रभावित होने पर इनका मुआवजा दिया जावे।		
8.	सालावास रेलवे स्टेशन	359	बुधाराम, ढ़लाराम माली	• परियोजना हेतु प्रस्तावित भूमि में प्रभावित व्यक्ति को मुआवजा राशि ही दी जावे। • शेष हिस्सा बच रहा है उसे अवाप्त किया जावे।		खातेदार/हिस्सेदार के हित में राजस्थान भू अर्जन नियम, 2016 (RFCTLAR&R Rules, 2016)के तहत उचित मुआवजा कार्यवाही प्रस्तावित है।
9.	सालावास रेलवे स्टेशन	359/1	बुधाराम, ढ़लाराम माली	• परियोजना हेतु प्रस्तावित भूमि में प्रभावित व्यक्ति को मुआवजा राशि ही दी जावे। • शेष हिस्सा बच रहा है उसे अवाप्त किया जावे।		खातेदार/हिस्सेदार के हित में राजस्थान भू अर्जन नियम, 2016 (RFCTLAR&R Rules, 2016)के तहत उचित मुआवजा कार्यवाही प्रस्तावित है।
10.	सालावास रेलवे स्टेशन	357	गणेशराम	• मुआवजा राशि बजार भाव से दिया जावे। • शेष हिस्सा बच रहा है उसे अवाप्त किया जावे।		खातेदार/हिस्सेदार के हित में राजस्थान भू अर्जन नियम, 2016 (RFCTLAR&R Rules, 2016)के तहत उचित मुआवजा कार्यवाही प्रस्तावित है।
11.	सालावास रेलवे स्टेशन	360/1	उमाराम माली	• मुआवजा राशि बजार भाव से दिया जावे। • जमीन का चिन्हींकरण नहीं होने के कारण मुझे भूमि अवाप्ति की स्थिति स्पष्ट नहीं है। खेत में कुआं, ट्यूबवैल, पानी होद, पाईपलाईन है। प्रभावित होने पर इनका मुआवजा दिया जावे।	1	खातेदार/हिस्सेदार के हित में राजस्थान भू अर्जन नियम, 2016 (RFCTLAR&R Rules, 2016)के तहत उचित मुआवजा कार्यवाही प्रस्तावित है। 1 माह में मार्किंग करा दिया जायेगा।
12.	सालावास रेलवे स्टेशन	366/4	जेठाराम	• मुआवजा राशि बजार भाव से दिया जावे।	1	खातेदार/हिस्सेदार के हित में राजस्थान भू अर्जन नियम, 2016

				• शेष हिस्सा बच रहा है उसे अवाप्त किया जावे।		(RFCTLAR&R Rules, 2016)के तहत उचित मुआवजा कार्यवाही प्रस्तावित है।
13.	सालावास रेलवे स्टेशन	366/3	जेठाराम	• मुआवजा राशि बजार भाव से दिया जावे। • शेष हिस्सा बच रहा है उसे अवाप्त किया जावे।	1	खातेदार/हिस्सेदार के हित में राजस्थान भू अर्जन नियम, 2016 (RFCTLAR&R Rules, 2016)के तहत उचित मुआवजा कार्यवाही प्रस्तावित है।
14.	सालावास रेलवे स्टेशन	366/5	रमेश	• उचित मुआवजा राशि दिया जावे। • शेष हिस्सा बच रहा है उसे अवाप्त किया जावे।		खातेदार/हिस्सेदार के हित में राजस्थान भू अर्जन नियम, 2016 (RFCTLAR&R Rules, 2016)के तहत उचित मुआवजा कार्यवाही प्रस्तावित है।
15.	सालावास रेलवे स्टेशन	366	रमेश	• उचित मुआवजा राशि दिया जावे। • शेष हिस्सा बच रहा है उसे अवाप्त किया जावे।		खातेदार/हिस्सेदार के हित में राजस्थान भू अर्जन नियम, 2016 (RFCTLAR&R Rules, 2016)के तहत उचित मुआवजा कार्यवाही प्रस्तावित है।
16.	सालावास रेलवे स्टेशन	366/2	मोहनराम थोरी	• मुआवजा राशि बाजार भाव से दिया जावे। • जो जमीन ली जा रही है उसे एक तरफ से लिया जावे ताकि खेत के दो टुकड़े नहीं हो। • प्रभावित संरचनाओं का मुआवजा दिया जावे।	1	खातेदार/हिस्सेदार के हित में राजस्थान भू अर्जन नियम, 2016 (RFCTLAR&R Rules, 2016)के तहत उचित मुआवजा कार्यवाही प्रस्तावित है।
17.	सालावास रेलवे स्टेशन	367	भीयाराम	• मुआवजा राशि बाजार भाव से दिया जावे।	1	खातेदार/हिस्सेदार के हित में राजस्थान भू अर्जन नियम, 2016 (RFCTLAR&R Rules, 2016)के तहत उचित मुआवजा कार्यवाही प्रस्तावित है।
18.	सालावास	367/2	नेमाराम	• मुआवजा राशि बाजार भाव से दिया जावे।		खातेदार/हिस्सेदार के हित में राजस्थान भू अर्जन नियम, 2016

	रेलवे स्टेशन			• प्रस्तावित स्थान का मौके पर चिन्हींकरण कराया जावे।		(RFCTLAR&R Rules, 2016)के तहत उचित मुआवजा कार्यवाही प्रस्तावित है।
19.	सालावास रेलवे स्टेशन	368	भूण्डाराम	• मुआवजा राशि बाजार भाव से दिया जावे। • एक तरफ से भूमि को लिया जावे। • भूमि सिंचित है खेत के दो टुकड़े हो रहे हैं अतः शेष टुकड़े को अवाप्त कर लिया जावे।		खातेदार/हिस्सेदार के हित में राजस्थान भू अर्जन नियम, 2016 (RFCTLAR&R Rules, 2016)के तहत उचित मुआवजा कार्यवाही प्रस्तावित है।
20.	सालावास रेलवे स्टेशन	369	श्यामलाल	• मुआवजा राशि बाजार भाव से दिया जावे। • जमीन का चिन्हींकरण नहीं होने के कारण मुझे भूमि अवाप्ति की स्थिति स्पष्ट नहीं है। खेत में मेरा मकान बना हुआ है। प्रभावित होने पर इनका मुआवजा दिया जावे। • मेरा परिवार खेती पर ही आश्रित है आजीविका प्रभावित होगी।		खातेदार/हिस्सेदार के हित में राजस्थान भू अर्जन नियम, 2016 (RFCTLAR&R Rules, 2016)के तहत उचित मुआवजा कार्यवाही प्रस्तावित है। 1 माह में मार्किंग करा दिया जायेगा।
21.	सालावास रेलवे स्टेशन	369/1	सोहनलाल	• मुआवजा राशि बाजार भाव से दिया जावे। • मेरे खेत के दो टुकड़े हो रहे हैं अतः उस पर जाने हेतु रास्ता बनाकर दिया जावे।		खातेदार/हिस्सेदार के हित में राजस्थान भू अर्जन नियम, 2016 (RFCTLAR&R Rules, 2016)के तहत उचित मुआवजा कार्यवाही प्रस्तावित है।
22.	सालावास रेलवे स्टेशन	369/2	श्यामलाल	• मुआवजा राशि बाजार भाव से दिया जावे। • जमीन का चिन्हींकरण नहीं होने के कारण मुझे भूमि अवाप्ति की स्थिति स्पष्ट नहीं है। खेत में मेरा मकान बना हुआ है। प्रभावित होने पर इनका मुआवजा दिया जावे। मेरा परिवार खेती पर ही आश्रित है।		खातेदार/हिस्सेदार के हित में राजस्थान भू अर्जन नियम, 2016 (RFCTLAR&R Rules, 2016)के तहत उचित मुआवजा कार्यवाही प्रस्तावित है। 1 माह में मार्किंग करा दिया जायेगा।

सरपंच ग्राम पंचायत, सालावास– श्री ओमाराम जी पटेल

- जनसुनवाई कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को सम्बोधित करते हुए स्थानीय सरपंच श्री ओमाराम जी पटेल द्वारा बताया गया कि सालावास गांव जोधपुर शहर के नजदीक है एवं जेडीए द्वारा अनुमोदित स्कीम है जिसके कारण जमीनों के भाव अधिक हैं। अतः मेरा मत है कि स्थति को ध्यान में रखते हुए तथा प्रभावित खातेदारों के हित को ध्यान में रखते हुए इन्हें अच्छा मुआवजा दिलाया जावे।
- एक अन्य सुझाव यह है कि परियोजना हेतु प्रस्तावित स्थान का मार्किंग कराया जावे जिससे कि लोगों को अवाप्ति हेतु प्रस्तावित भूमि की जानकारी हो सके।
- परियोजना के प्रस्तावित स्थान का नक्शा लोगों को उपलब्ध कराया जावे।

प्रतिनिधि कॉनकॉर

- प्रतिनिधि कॉनकोर द्वारा जनसुनवाई कार्यक्रम में उपस्थित खातेदारों को सम्बोधित करते हुए सभी की उपस्थिति पर आभार एवं धन्यवाद ज्ञापित किया गया।
- प्रस्तावित परियोजना मल्टी–मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के विकास एवं रेलवे लाइन से लिंक लाइन निर्माण के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी गई एवं परियोजना से स्थानीय लोगों को होने वाले लाभ, जमीन की दरों में बढ़ोतरी, लोगों को रोजगार, व्यवसाय के बेहतर अवसर से गांव/क्षेत्र में विकास की प्रबल सम्भावनाओं के बारे विचार रखें।
- प्रतिनिधि कॉनकॉर द्वारा अवगत कराया गया कि संभावित प्रभावित खातेदारों की समस्याओं व सुझावों का निराकरण राज्य सरकार के भूमि अधिग्रहण कानून एवं नियमों के अन्तर्गत किया जाएगा।

भू–अवाप्ति अधिकारी एवं उप जिला कलेक्टर, प्रतिनिधि – शौकतअली तहसील–लूणी जिला–जोधपुर

- श्री शौकतअली, प्रतिनिधि भू–अवाप्ति अधिकारी एवं उप जिला कलेक्टर, लूणी द्वारा जन सुनवाई में उपस्थित लोगों को सम्बोधित करते हुए सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया गया।
- जानकारी देते हुए बताया कि भूमि अधिग्रहण कानून के तहत भूमि अवाप्ति की कार्यवाही की जा रही है। भूमि अधिग्रहण नियम एवं कानून अनुसार दी जाने वाली राहत आपको दी जायेगी। जिन खातेदारों/हितधारियों की भूमि अवाप्त हेतु प्रस्तावित है सभी के लिए भू अर्जन कानून के तहत मुआवजा की कार्यवाही की जायेगी।
- भूमि अवाप्ति के संदर्भ में किसी भी खातेदार को कोई बात करनी है/ कोई सुझाव है तो भू अवाप्ति अधिकारी कार्यालय में आकर अपनी बात रख सकते हैं नियमानुसार एवं कानूनी प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए पूर्ण सहयोग दिया जायेगा।

एस.आई.ए. दल सदस्य, सीडेक्स, जयपुर – दिलीप शर्मा

- जन सुनवाई कार्यक्रम में उपस्थित भू–अवाप्ति अधिकारी प्रतिनिधि, स्थानीय सरपंच, जनप्रतिनिधि, कॉनकॉर के पदाधिकारीगण तथा उपस्थित खातेदार/हिस्सेदारों को सम्बोधित करते हुए दिलीप शर्मा द्वारा सभी का आभार एवं धन्यवाद ज्ञापित किया गया।
- जन सुनवाई कार्यक्रम में उपस्थित भू–अवाप्ति अधिकारी प्रतिनिधि, स्थानीय सरपंच, जनप्रतिनिधि, कॉनकॉर के पदाधिकारीगण तथा उपस्थित खातेदार/हिस्सेदारों को एस.आई.ए. अध्ययन पर तैयार ड्राफ्ट प्रतिवेदन एवं तैयार करने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी गई।
- जनसुनवाई की कार्यवाही आरम्भ करते हुए सभी उपस्थित खातेदारों को खसरा अनुसार बारी बारी से सुना जायेगा एवं अपनी राय/सुझाव/विचार रखने का अवसर सभी को दिया जायेगा।
- सभी आग्रह करते हुए बताया गया कि आप अपनी बात रखने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र हैं आप पर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है अतः बिना किसी भय एवं हिचकिचाहट के अपनी बात रखें।
- उपस्थित खातेदारों को जानकारी देते हुए बताया गया कि आज की जन सुनवाई में आपको आपनी बात रखने हेतु पूर्ण अवसर प्रदान है जिसमें आप व्यक्तिगत रुप से राय/बात को कह सकते हैं एवं कोई व्यक्ति लिखित में देना चाहते हैं तो लिखित में भी दे सकते हैं।
- जनसुनवाई के आरम्भ में जिन खसरों से लोग उपस्थित नहीं हो पाये थे उन्हे एक अवसर और दिया गया एवं उनके खसरा नम्बर को दोबारा पढ़ा गया ताकि कोई आपनी बात/राय रखने से वंचित नहीं रह जाये।
- सभी उपस्थित लोगों की राय/सुझाव को सुनने के बाद अध्यक्ष महोदय की इजाजत से जन सुनवाई कार्यक्रम को समाप्त किया गया।

जनसुनवाई बैठक कार्यवाही

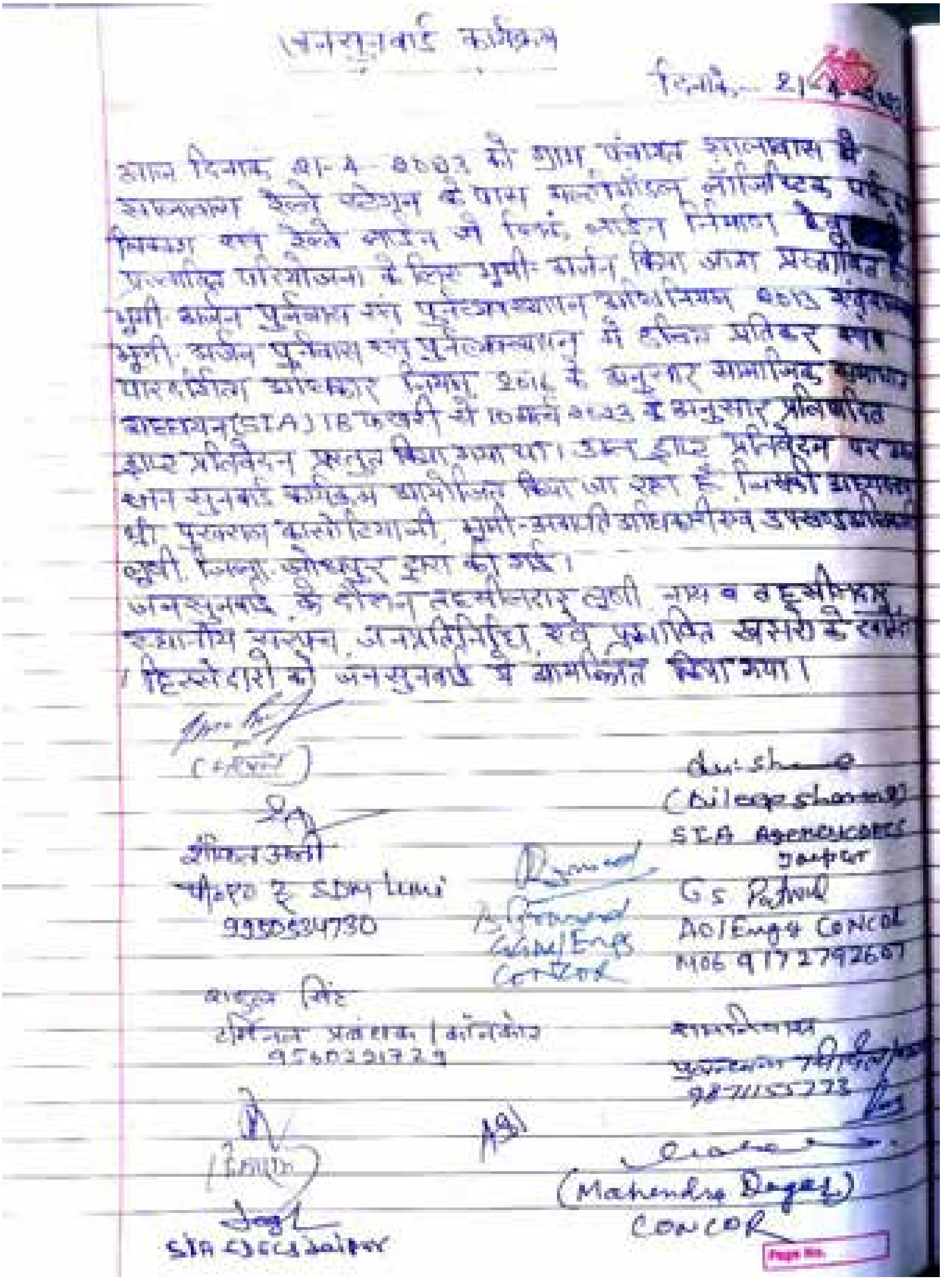

जनसुनवाई कार्यक्रम

दिनांक... 21/[illegible]

आज दिनांक 21-4-2023 को ग्राम पंचायत [illegible] में [illegible] रेलवे स्टेशन के पास कन्टेनर कॉर्पोरेशन लॉजिस्टिक पार्क एवं [illegible] रेलवे लाईन की सिंगल लाईन निर्माण हेतु प्रस्तावित परियोजना के लिए भूमि अर्जन किया जाना प्रस्तावित है। भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम 2013 अनुसार भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार नियम 2016 के अनुसार सामाजिक समाघात अध्ययन (SIA) 18 फरवरी से 10 मार्च 2023 के अनुसार प्रतिवेदित ड्राफ्ट प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था। उक्त ड्राफ्ट प्रतिवेदन पर आज जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है जिसकी अध्यक्षता श्री पुखराज कालोटिया जी, भूमि-अवाप्ति अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी जिला जोधपुर द्वारा की गई।

जनसुनवाई के दौरान तहसीलदार लूणी, ग्राम व [illegible], स्थानीय सरपंच, जनप्रतिनिधि एवं प्रभावित खसरों के खातेदार / हिस्सेदारों को जनसुनवाई में आमंत्रित किया गया।

(तहसीलदार)

(Dileep Sharma)
SIA Agency [illegible]
Jaipur

[illegible] अली
[illegible] SDM Luni
9950534780

Asst General Engg
CONCOR

G S Rathore
AO/Engg CONCOR
Mob 9172792607

[illegible] सिंह
टर्मिनल प्रबंधक | कॉनकोर
9560291729

[illegible]
9871155773

(Mahendra Dagar)
CONCOR

SIA CSECS Jaipur

नाम	मोबाईल नं०	हस्ताक्षर
मोहनलाल	9950329141	मोहन
दोलाराम	-	दोलाराम
ढलाराम	8696580671	ढलाराम
रमेश	9414916249	रमेश
जैताराम	9828265876	जेठाराम
मीराराम [illegible]	9799622569	[illegible]
बुधाराम	9982879065	बुधाराम
जगदीशराम चौधरी		[illegible]
सुरेश [illegible]	9166172345	[illegible]
दिनेश [illegible]	9636080265	Dinesh
नारायणराम [illegible]	9602133118	[illegible]
मीमाराम जाट	8094873440	[illegible]
[illegible]		[illegible]
[illegible] जाट	9460481333	[illegible]
नेमाराम	9950120339	नेमाराम
मोहनराम	9414408607	मोहनराम
[illegible]		[illegible]
[illegible] गहलोत	9829860012	[illegible]
डूंगाराम	8619362874	डूंगाराम
[illegible]		[illegible]
जगदीश चौधरी	9982620048	[illegible]

जनसुनवाई कार्यवाही छायाचित्र – एक नजर में

tulquokbZ d nkSjku mifLFkr Hkh vokf!r vf"kdkjh ifrfuf"k ,o thth,e dkudkj

tulquokbZ dk;ZØe esa %klj ok iHkkfor &k'k dk viuk l>ko j%ku d f&, vkef()r djrs gq,

tulquokbZ dk;ZØe esa iHkkfor %klj Lokeh viuk l>ko j%krs gq,

tulquokbZ dk;ZØe esa iHkkfor %klj Lokeh *h glj kt 'g&kr viuk fo+kj ,jk; j%krs gq,

tulquokbZ dk;ZØe esa iHkkfor %klj Lokeh viuk l>ko ntZ djkrs gq,

tulquokbZ dk;ZØe esa iHkkfor %klj Hk&Lokeh viuk l>ko iLrqr djrs gq,

tu lquokbZ dk;ZØe esa iHkkfor %kljk Lokeh viu l>ko ntZ djkrs gq,

tu lquokbZ esa iHkkfor Hkk&Lokeh *h ekgujke th viu l>ko ntZ djkrs gq,

tu lquokbZ ds nkSjku iHkkfor %kljk Lokeh viu fo+kj ntZ djkrs gq,

tu lquokbZ dk;ZØe vkef=r Hkk&Lokeh ,oa vfrfFk x.k

tu lquokbZ dk;ZØe esa *h .h ilkn th,e/ bZ,uth,l dkudkj &k'k dk viuh .kr j%kr gq,

tu lquokbZ dk;ZØe esa &k'k dk *h 0kkdrv&h ifrfuf"k Hk&vokfLr vf"kdkjh/ &-kh l1.kf"kr djrs gq,

संलग्नक
अवाप्ति हेतु चिन्हित भूमि का विवरण

प्रपत्र–1

	प्रभावित खाताधारक / हिस्सेदार की संख्या एवं विवरण								
	(प्रस्तावित मल्टी–मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के विकास एवं रेलवे लाइन से लिंक लाइन निर्माण, गॉव सालावास का भूमि विवरण) **Details of Land at Proposed MMLP at Salawas**								
क्र. सं.	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खाता संख्या	सर्वेक्षण खसरा संख्या	खसरे का कुल क्षेत्रफल (हे.)	अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षे.(हे.)	अभिलेख के अनुसार अभिलिखित भू–स्वामी का नाम	सामाजिक श्रेणी	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	लूणी	सालावास रेलवे स्टेशन	151	332	1.6026	0.2562	आबादी अचलदास साद आदि	ओबीसी	
2	लूणी	सालावास रेलवे स्टेशन	156	333	2.2743	0.0481	सुरेश पुत्र बी. पारसमल जैन आदि	सामान्य	
3	लूणी	सालावास रेलवे स्टेशन	156	334	2.4848	0.2805	सुरेश पुत्र बी. पारसमल जैन आदि	सामान्य	
4	लूणी	सालावास रेलवे स्टेशन	122	337/4	0.3237	1.0468	नेनी पत्नी गोपाराम मेघवाल	अनुसूचित जाति	
5	लूणी	सालावास रेलवे स्टेशन	92	337	0.4856		डाईबाई पत्नी नारायण मेघवाल आदि	अनुसूचित जाति	
6	लूणी	सालावास रेलवे स्टेशन	274	337/3	1.6187		हीरादेवी पत्नी शंकरलाल मेघवाल आदि	अनुसूचित जाति	
7	लूणी	सालावास रेलवे स्टेशन	155	337/1	0.7770		बीजाराम पुत्र भाखरराम मेघवाल	अनुसूचित जाति	
8	लूणी	सालावास रेलवे स्टेशन	155	337/2	1.4569		बीजाराम पुत्र भाखरराम मेघवाल	अनुसूचित जाति	
9	लूणी	सालावास रेलवे स्टेशन	291	338	3.0999	0.4115	सम्पतराज व दिनेश पुत्रगण मूलाराम नाई	ओबीसी	
10	लूणी	सालावास रेलवे स्टेशन	332	350	0.2023	0.0306	रास्ता ग्राम पंचायत, सालावास स्थानीय निकाय	–	
11	लूणी	सालावास रेलवे स्टेशन	130	351/3	1.1817	2.1377	कुलदीप सांखला पुत्र प्रकाश माली	ओबीसी	
12	लूणी	सालावास रेलवे स्टेशन	158	351	0.4371		बुद्धाराम पुत्र कलाराम माली	ओबीसी	
13	लूणी	सालावास रेलवे स्टेशन	115	351/6	0.2428		धीरज सांखला पुत्र ढ़लाराम माली	ओबीसी	
14	लूणी	सालावास रेलवे स्टेशन	172	351/5	0.3642		भरत सांखला पुत्र ढ़लाराम माली	ओबीसी	
15	लूणी	सालावास रेलवे स्टेशन	127	351/4	0.2428		पारस सांखला पुत्र ढ़लाराम माली	ओबीसी	
16	लूणी	सालावास रेलवे स्टेशन	97	351/2	0.3318		ढ़लाराम पुत्र लिछमणराम माली	ओबीसी	

17	लूणी	सालावास रेलवे स्टेशन	292	351/1	0.4371		तारा पुत्री रघुनाथराम माली आदि	ओबीसी	
18	लूणी	सालावास रेलवे स्टेशन	62	349	0.8094	1.044	गीता देवी पत्नी ओमप्रकाश		
19	लूणी	सालावास रेलवे स्टेशन	300	349/2	0.8094		सीता देवी पत्नी जयप्रकाश अग्रवाल	सामान्य	
20	लूणी	सालावास रेलवे स्टेशन	62	349/3	0.8094		गीता देवी पत्नी ओमप्रकाश अग्रवाल	सामान्य	
21	लूणी	सालावास रेलवे स्टेशन	252	349/4	0.8013		लादूराम अग्रवाल पुत्र रामकिशोर अग्रवाल	सामान्य	
22	लूणी	सालावास रेलवे स्टेशन	168	349/5	0.8094		भगवती देवी पत्नी लादूराम अग्रवाल	सामान्य	
23	लूणी	सालावास रेलवे स्टेशन	64	348	2.5981	0.0046	कुनाराम पुत्र छोटाराम माली आदि	ओबीसी	
24	लूणी	सालावास रेलवे स्टेशन	148	345/2	1.2141	0.0132	फुसी देवी पत्नी जगदीश जाट	ओबीसी	
25	लूणी	सालावास रेलवे स्टेशन	292	361/2	0.7122	1.9603	तारा पुत्री रघुनाथराम माली आदि	ओबीसी	
26	लूणी	सालावास रेलवे स्टेशन	259	361/5	0.5726		लुम्बाराम पुत्र कलाराम माली	ओबीसी	
27	लूणी	सालावास रेलवे स्टेशन	177	361/1	1.1250		भीखाराम पुत्र रामूराम उर्फ रामलाल माली	ओबीसी	
28	लूणी	सालावास रेलवे स्टेशन	150	361/3	0.5726		बाबूलाल पुत्र कलाराम माली	ओबीसी	
29	लूणी	सालावास रेलवे स्टेशन	206	361/4	0.5564		मीठालाल पुत्र कलाराम माली	ओबीसी	
30	लूणी	सालावास रेलवे स्टेशन	206	361/6	0.0162		मीठालाल पुत्र कलाराम माली	ओबीसी	
31	लूणी	सालावास रेलवे स्टेशन	288	362/3	0.0243	0.1973	रास्ता, संतोष पत्नी ओमप्रकाश पटेल	ओबीसी	
32	लूणी	सालावास रेलवे स्टेशन	288	362/2	1.3678		संतोष पत्नी ओमप्रकाश पटेल	ओबीसी	
33	लूणी	सालावास रेलवे स्टेशन	26	353	1.9506	0.367	छैलाराम पुत्र जुगाराम माली	ओबीसी	
34	लूणी	सालावास रेलवे स्टेशन	26	360	2.7276	2.4799	छैलाराम पुत्र जुगाराम माली	ओबीसी	
35	लूणी	सालावास रेलवे स्टेशन	97	359	1.0846	1.6389	ढ़लाराम पुत्र लिछमणराम माली	ओबीसी	
36	लूणी	सालावास रेलवे स्टेशन	130	359/1	1.0840		कुलदीप सांखला पुत्र प्रकाश माली आदि	ओबीसी	
37	लूणी	सालावास रेलवे स्टेशन	60	357	1.0765	0.5397	श्यामलाल पुत्र दुर्गाराम जाट आदि	ओबीसी	
38	लूणी	सालावास रेलवे स्टेशन	26	360/1	0.0243	0.0243	रास्ता, छैलाराम पुत्र जुगाराम माली	ओबीसी	
39	लूणी	सालावास रेलवे स्टेशन	246	366/4	0.8931	5.0762	रेखा पत्नी जेठाराम प्रजापत	ओबीसी	
40	लूणी	सालावास रेलवे स्टेशन	79	366/3	0.8523		जगदीश पुत्र गिरधारीलाल प्रजापत	ओबीसी	

41	लूणी	सालावास रेलवे स्टेशन	146	366/5	2.5900		प्रेमलता पत्नी रणजीत कुमार प्रजापत	ओबीसी	
42	लूणी	सालावास रेलवे स्टेशन	1	366/6	0.0405		रास्ता ग्राम पंचायत, सालावास स्थानीय निकाय	–	
43	लूणी	सालावास रेलवे स्टेशन	306	366	0.8931		सुमन पत्नी रमेश प्रजापत	ओबीसी	
44	लूणी	सालावास रेलवे स्टेशन	147	366/2	5.2285		फुली पत्नी मोहनराम थोरी / जाट	ओबीसी	
45	लूणी	सालावास रेलवे स्टेशन	94	355/1	0.8094	0.1967	डुंगर सिंह पुत्र सूरजमल माली	ओबीसी	
46	लूणी	सालावास रेलवे स्टेशन	285	367	1.0522	1.0974	जानी पत्नी भीयाराम जाट आदि	ओबीसी	
47	लूणी	सालावास रेलवे स्टेशन	77	367/2	0.6232		चिमू देवी पत्नी घमण्डाराम जाट आदि	ओबीसी	
48	लूणी	सालावास रेलवे स्टेशन	180	368	2.8004	0.8201	भूण्डाराम पुत्र नैनाराम जाट	ओबीसी	
49	लूणी	सालावास रेलवे स्टेशन	81	369	1.7240	0.1293	श्यामलाल पुत्र लक्ष्मण उर्फ लिछमणराम जाट आदि	ओबीसी	
50	लूणी	सालावास रेलवे स्टेशन	80	369/1	0.4532		सोहनलाल पुत्र मांगीलाल आदि	ओबीसी	
51	लूणी	सालावास रेलवे स्टेशन	81	369/2	0.0243		रास्ता श्यामलाल पुत्र लक्ष्मण उर्फ लिछमणराम जाट आदि	ओबीसी	
52	लूणी	सालावास रेलवे स्टेशन	1407	421	22.6138	0.0471	जोधपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए)	–	
					78.9071	**19.8474**			

अवाप्ति हेतु चिन्हित प्रमाणित खसरा एवं भूमि का विवरण

DETAILS OF LAND AT PROPOSED MMLP AT SALAWAS

[illegible]	[illegible]	[illegible]	खाता सं0	सर्वेक्षण खसरा सं0	खसरे का कुल क्षे0 (हे0)	अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षे0(हे0)	अभिलेखों के अनुसार अभिलिखित भू स्वामी का नाम	टिप्पणी
[illegible]	[illegible]	[illegible]	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
[illegible]	[illegible]	[illegible]	151	332	1.6026	0.2562	आबादी अचलदास आदि	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	156	333	2.2743	0.0481	सुरेश पुत्र बी0 पारसमल आदि	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	156	334	2.4848	0.2805	सुरेश पुत्र बी0 पारसमल आदि	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	122	337/4	0.3237	1.0468	नेनी पत्नी गोपाराम	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	92	337	0.4856		डाईबाई पत्नी नारायण आदि	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	274	337/3	1.6187		हीरा देवी पत्नी शकरलाल आदि	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	155	337/1	0.7770		बीजाराम पुत्र भाखराम	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	155	337/2	1.4569		बीजाराम पुत्र भाखराम	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	291	338	3.0999	0.4115	सम्पतराज व दिनेश पुत्रगण मूलाराम	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	332	350	0.2023	0.0306	रास्ता ग्राम पंचायत सालावास स्थानीय निकाय	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	130	351/3	1.1817	2.1377	कुलदीप सांखला पुत्र प्रकाश	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	158	351	0.4371		बुद्धाराम पुत्र कलाराम	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	115	351/6	0.2428		धीरज सांखला पुत्र ढलाराम	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	172	351/5	0.3642		भरत सांखला पुत्र ढलाराम	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	127	351/4	0.2428		पारस सांखला पुत्र ढलाराम	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	97	351/2	0.3318		ढलाराम पुत्र लिछमणराम	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	292	351/1	0.4371		तारा पुत्री रूगनाथराम आदि	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	62	349	0.8094	1.0440	गीता देवी पत्नी ओमप्रकाश	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	300	349/2	0.8094		सीता देवी पत्नी जयप्रकाश	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	62	349/3	0.8094		गीता देवी पत्नी ओमप्रकाश	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	252	349/4	0.8013		लादूराम अग्रवाल पुत्र रामकिशोर अग्रवाल	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	168	349/5	0.8094		भगवती देवी पत्नी लादूराम	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	64	348	2.5981	0.0046	कुनाराम आदि	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	148	345/2	1.2141	0.0132	फुसी देवी	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	292	361/2	0.7122	1.9603	तारा पुत्री रूगनाथराम आदि	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	259	361/5	0.5726		लुम्बाराम पुत्र कलाराम	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	177	361/1	1.1250		भीखाराम पुत्र रामूराम	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	150	361/3	0.5726		बाबूलाल पुत्र कलाराम	

29	लूणी	सालावास रेलवे स्टेशन	205	381/4	0.5584		मीठालाल पुत्र कलाराम	
30	लूणी	सालावास रेलवे स्टेशन	205	381/6	0.0162		मीठालाल पुत्र कलाराम	
31	लूणी	सालावास रेलवे स्टेशन	289	362/3	0.0243	0.1973	(रास्ता) संतोष पत्नी ओमप्रकाश	
32	लूणी	सालावास रेलवे स्टेशन	289	362/2	1.3678		संतोष पत्नी ओमप्रकाश	
33	लूणी	सालावास रेलवे स्टेशन	26	353	1.6806	0.3670	छैलाराम पुत्र जुगाराम आदि	
34	लूणी	सालावास रेलवे स्टेशन	26	360	2.7276	2.4799	छैलाराम पुत्र जुगाराम आदि	
35	लूणी	सालावास रेलवे स्टेशन	97	359	1.0846	1.6389	डलाराम पुत्र लिछमणराम	
36	लूणी	सालावास रेलवे स्टेशन	130	359/1	1.0840		कुलदीप सांखला पुत्र प्रकाश आदि	
37	लूणी	सालावास रेलवे स्टेशन	48	357	1.0765	0.5397	श्यामलाल पुत्र दुर्गाराम आदि	
38	लूणी	सालावास रेलवे स्टेशन	28	360/1	0.0243	0.0243	(रास्ता) छैलाराम पुत्र जुगाराम आदि	
39	लूणी	सालावास रेलवे स्टेशन	246	366/4	0.8931	5.0762	रेखा पत्नी जेठाराम	
40	लूणी	सालावास रेलवे स्टेशन	79	366/3	0.8523		जगदीश पुत्र गिरधारीलाल	
41	लूणी	सालावास रेलवे स्टेशन	146	366/5	2.5900		प्रेमलता पत्नी रणजीत कुमार	
[illegible]	लूणी	सालावास रेलवे स्टेशन	1	366/6	0.0405		रास्ता ग्राम पंचायत सालावास	
42	लूणी	सालावास रेलवे स्टेशन	304	366	0.8931		सुमन पत्नी रमेश	
43	लूणी	सालावास रेलवे स्टेशन	147	366/2	5.2285		फुली पत्नी मोहनराम आदि	
44	लूणी	सालावास रेलवे स्टेशन	84	355/1	0.8094	0.1967	डुंगर सिंह पुत्र सूरजमल	
45	लूणी	सालावास रेलवे स्टेशन	265	367	1.0522	1.0974	जानी पत्नी भीयाराम आदि	
46	लूणी	सालावास रेलवे स्टेशन	77	367/2	0.8232		चिमू देवी पत्नी घमण्डाराम आदि	
47	लूणी	सालावास रेलवे स्टेशन	180	368	2.8004	0.8201	मूण्डाराम पुत्र नैनाराम	
48	लूणी	सालावास रेलवे स्टेशन	61	369	1.7240	0.1293	श्यामलाल पुत्र लक्ष्मण उर्फ लिछमणराम आदि	
49	लूणी	सालावास रेलवे स्टेशन	60	369/1	0.4532		सोहनलाल पुत्र मांगीलाल आदि	
50	लूणी	सालावास रेलवे स्टेशन	61	369/2	0.0243		(रास्ता) श्यामलाल पुत्र लक्ष्मण उर्फ लिछमणराम आदि	
51	लूणी	सालावास	1407	421	22.6138	0.0471	JODHPUR VIKAS PRADIHKARAN	
कुल योग						19.8474		

Total Land required for MMLP at Salawas (In Ha.)	19.8474
Total Land required for MMLP at Salawas (In Acres)	49.04

एस.आई.ए. की ग्राम बैठक कार्यवाही

Date ___/___/___

आज दिनांक 25-2-2023 को ग्राम - आलावास ग्रा.प. आलावास तह. लूणी जिला- जोधपुर मे भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (2013 का केन्द्रीय अधिनियम संख्यांक 30) धारा 4 की उपधारा (1) सपठित राजस्थान भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम 2016 के अन्तर्गत ग्राम सालावास मे प्रस्तावित मल्टी-मॉडल लोजिस्टिक पार्क के विकास एव रेलवे लाईन से लिंक लाईन निर्माण के कोरीडोर द्वारा जमीन अवाप्त करने हेतु सरकार का प्रस्ताव है प्रस्तावित परियोजना मे इस लिंक की प्रस्तावित लम्बाई लगभग- मीटर रेल की लम्बाई के लिए एवं 175 मीटर यार्ड मे कंटेनर डिपो दुलाई एव स्टोरेज के सहित समस्त कार्य करवाये जायेगे बैठक मे प्रस्तावित खसरा अनुसार लोगो से खसरा एव भू-स्वामी (खातेदार हिस्सेदार) का प्रमाणीकरण करना है। बैठक मे लोगो की राय उनके सुझाव भी लिपिबद्ध किया जाना है। प्रस्तावित खसरा के भू-स्वामी (खातेदार हिस्सेदार) से बात कर भूमि अवाप्ति हेतु राय जानना भी आवश्यक है। इस बैठक की अध्यक्षता श्री- मोहनलाल चौधरी ने की

बैठक का उद्देश्य

1- खसरा का प्रमाणीकरण करना।

2- खसरा के भू-स्वामी (खातेदार हिस्सेदार) का प्रमाणीकरण करना

3- भूमि अवाप्ति के बारे मे चर्चा करना।

4- प्रस्तावित परियोजना हेतु भूमि अवाप्ति पर लोगो की राय सुझावो को लिपिबद्ध करना।

5- भूमि अवाप्ति एव क्षतिपूर्ति के बारे मे चर्चा एव लोगो की राय।

भू-स्वामियो के सुझाव निम्न है।

1- भू-स्वामियो की जो जमीन इस कंटेनर डिपो के लिए अधिग्रहित की जा रही है। पटवारी के अनुसार नाप-जोख करके खसरा वार / जमिनवार भूमि-अवाप्ति का विवरण ज्ञान कराया जावे।

2 - प्रभावित भू-स्वामी के परिवार के एक सदस्य को रोजगार/ नौकरी दी जावे।

3 - भू-स्वामियो की जमीन का अधिग्रहण इस तरह किया जावे की बीच मे पैच नही छोड़ा जावे।

4 - भू-स्वामियो को जमीन के बदले जो मुआवजा दिया जावे वो बाजार भाव से दिया जावे। न कि डी० एल० सी० दर से।

5 - जिन भू-स्वामीयो के खेत मे बनी समस्त संरचनाओ का आकलन के बाजार भाव के हिसाब से मुआवजा दिया जावे। जैसे - मकान, कुआँ, ट्यूब वैल, तार बन्दी, पेड़ अन्य।

6 - प्रस्तावित योजना के अन्दर गांवो के किसानो की रेल्वे लाईन पार करते हुये डामरीकरण सड़क मार्ग बना है उसको अवरुद्ध न किया जावे।

7 - ग्राम चालाबास की सरहद मे जे.डी.ए. कोई भू-खण्ड/कोलोनी काटी है जिसकी रेट मीटर/गज से है उसके अनुसार रेट तय की जावे।

8 - रेल्वे का गेट नम्बर C-214 जो किसानो के खेत मे जाने का रास्ता है उसको बन्द कर रखा है उसको पुनः चालू/खोला जावे।

9 - कॉनकोर डिपो योजना के द्वारा अधिग्रहित की जा रही भूमि के अलावा जो भूमि बच रही है उसको किसी भी प्रकार से ईको जोन/ नो कन्स्ट्रक्शन जोन घोषित ना किया जावे।

10 - प्रस्तावित डिपो के आस पास के किसानो के आने जाने का जो मार्ग है उसको बन्द न किया जावे। या नया रास्ता बनाकर दिया जावे।

11 भू-स्वामी को प्रतिकर राशि खाते मे जमा कराई जावे जो कि उचित होगी एवं उक्त राशि पर किसी प्रकार का टैक्स कटौती नही की जावे।

12 - प्रस्तावित योजना मे जो खसरे आ रहे है उनकी रेवेन्यू विभाग से मालिकाना हक की पुनः जांच करवाई जावे एवं वास्तविक व्यक्ति को ही मुआवजा बनाया जावे क्योंकि प्रस्तावित खसरों में वास्तविक नामान्तरण [illegible] दूसरी बार हो गया है।

13 - जो भूमि अवाप्ति हेतु प्रस्तावित है उसकी मौका रिपोर्ट स्वीकृत कर भूमि अवाप्ति की सीमा ज्ञान कराया जावे।

14 - भू-स्वामियों की फसल को प्रभावित करते है तो उसका भी मुआवजा दिया जावे।

15 - उपरोक्त भू-स्वामियों द्वारा बताया गया है कि जो हमने 14 मांगे रखी है इनका एवं [illegible] नहीं किया जाता है तो समस्त भू-स्वामी जमीन देने को तैयार नहीं है।

16 - डिपो के विस्तार एवं निर्माण कार्य मे स्थानीय लोगो को मजदूरी करने, टैंकर, ट्रक आदि को रोजगार दिया जावे एवं टेंडर, डिपो के किसी भी प्रकार की निविदा में जिन खातेदारों की जमीन जा रही है उनको प्राथमिकता देते हुये रोजगार दिया जावे।

	नाम	मो० नम्बर	हस्ताक्षर
1 –	मोहन राम चौधरी	9414408607	[illegible]
2 –	[illegible]	9660481333	[illegible]
3.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]
5 –	[illegible]		

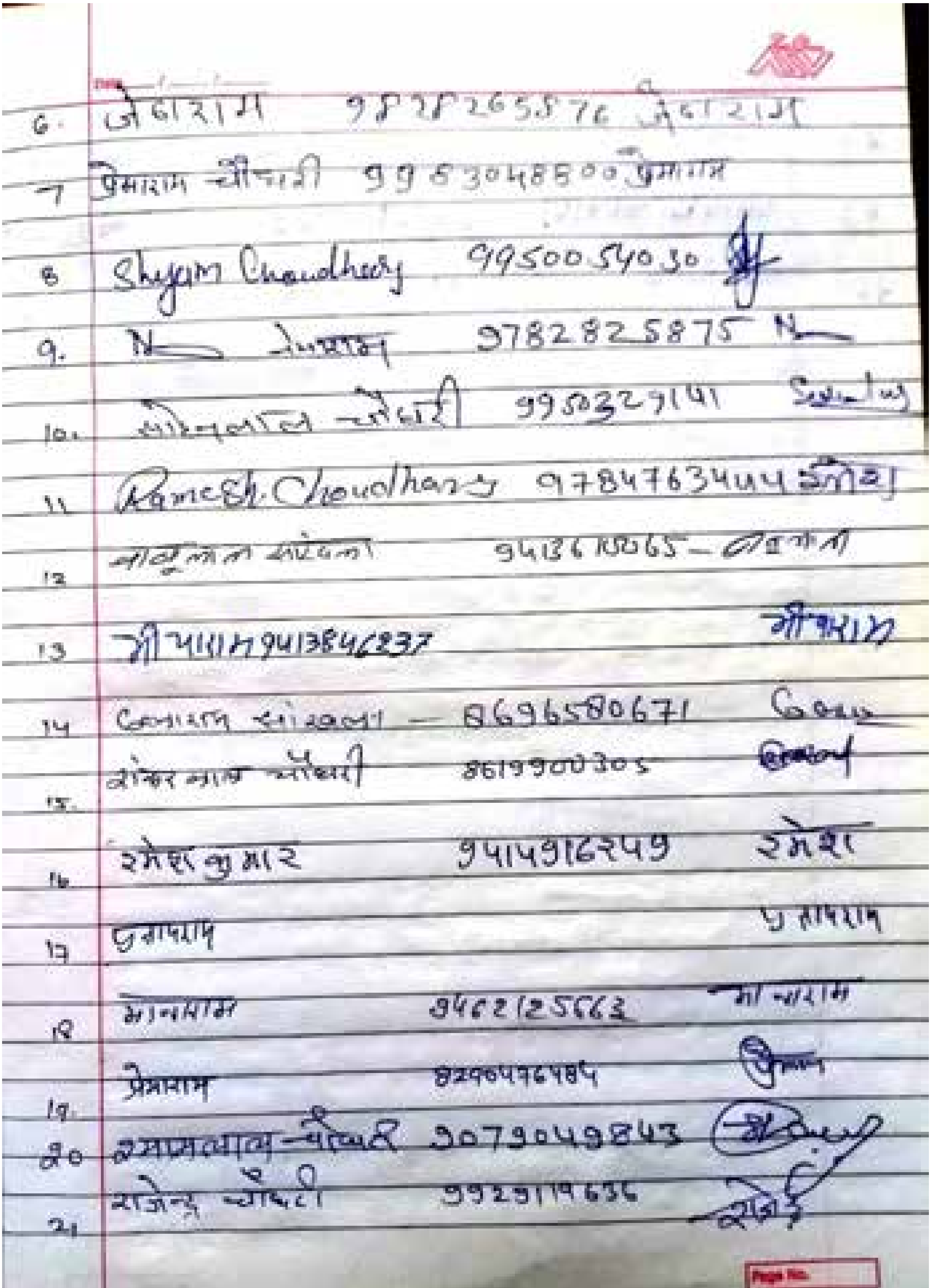

6.	जेठाराम	9828265576	जेठाराम
7	प्रेमाराम चौधरी	9953048500	प्रेमाराम
8	Shyam Choudhary	9950054030	[illegible]
9.	[illegible]	9782825875	[illegible]
10.	[illegible] चौधरी	9950327191	[illegible]
11	Ramesh Choudhary	9784763444	[illegible]
12	[illegible]	9413610065	[illegible]
13	[illegible] 9413846237		[illegible]
14	[illegible]	8696580671	[illegible]
15.	[illegible] चौधरी	8619900305	[illegible]
16	रमेश कुमार	9414916249	रमेश
17	[illegible]		[illegible]
18	[illegible]	9462125663	[illegible]
19.	प्रेमाराम	8290476484	[illegible]
20	[illegible] चौधरी	3079049843	[illegible]
21	राजेन्द्र चौधरी	9929119636	[illegible]

Date ___/___/___

22	दिलीप शर्मा	8209528336	[illegible]
23	जगदीश चौधरी	9509521627	[illegible]
२४	अंजलि[illegible]	9783512565	[illegible]

Page No.

Glimpses of SIA

परियोजना हेतु प्रस्तावित स्थान

एस.आई.ए. अन्तर्गत प्रभावित लोगों के साथ बैठक करते हुए एस.आई.ए. दल के सदस्य दिलीप शर्मा

एस.आई.ए. अन्तर्गत ग्राम बैठक में अपनी राय/सुझाव पढ़का सुनाते हुए

एस.आई.ए. अन्तर्गत प्रभावित भू–स्वामियों को परियोजना की जानकारी देते हुए

एस.आई.ए. अन्तर्गत ग्राम बैठक में लोगों अपनी बात रखते हुए

एस.आई.ए. अन्तर्गत बैठक में लोगों की तरफ से चर्चा करते हुए श्री मोहनराम थोरी

स्थानीय सरपंच सालावास एवं प्रभावित लोगों के साथ चर्चा करते हुए एम एल छीपा

प्रभावित व्यक्ति के साथ चर्चा करते हुए जगदीश चौधरी

प्रभावित व्यक्ति के साथ चर्चा करते हुए जगदीश चौधरी

महिलाओं के साथ चर्चा करते हुए जगदीश चौधरी

स्थानीय पटवारी सालावास के साथ चर्चा करते हुए दिलीप शर्मा

ग्राम पंचायत सालावास में सम्पर्क करते हुए दिलीप शर्मा

भूमि अवाप्ति हेतु चिन्हित खसरा वार अद्यतन सूची

(प्रस्तावित मल्टी–मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के विकास एवं रेलवे लाइन से लिंक लाइन निर्माण, गॉव सालावास की अद्यतन सूची)

Update Details of Land at Proposed MMLP at Salawas

क्र. सं.	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खाता संख्या	सर्वेक्षण खसरा संख्या	खसरे का कुल क्षेत्रफल (हे.)	अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षे.(हे.)	अभिलेख के अनुसार अभिलिखित भू–स्वामी का नाम	सामाजिक श्रेणी	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	लूणी	सालावास रेलवे स्टेशन	151	332	1.6026	0.2562	आबादी अचलदास साद आदि	ओबीसी	
2	लूणी	सालावास रेलवे स्टेशन	156	333	2.2743	0.0481	सुरेश पुत्र बी. पारसमल जैन आदि	सामान्य	
3	लूणी	सालावास रेलवे स्टेशन	156	334	2.4848	0.2805	सुरेश पुत्र बी. पारसमल जैन आदि	सामान्य	
4	लूणी	सालावास रेलवे स्टेशन	122	337/4	0.3237	0.1411	नेनी पत्नी गोपाराम मेघवाल	अनु सूचित जाति	
5	लूणी	सालावास रेलवे स्टेशन	92	337	0.4856	0.4542	डाईबाई पत्नी नारायण मेघवाल आदि	अनु सूचित जाति	
6	लूणी	सालावास रेलवे स्टेशन	274	337/3	1.6187	0.0319	हीरादेवी पत्नी शंकरलाल मेघवाल आदि	अनु सूचित जाति	
7	लूणी	सालावास रेलवे स्टेशन	155	337/1	0.777	0.2552	बीजाराम पुत्र भाखरराम मेघवाल	अनु सूचित जाति	
8	लूणी	सालावास रेलवे स्टेशन	155	337/2	1.4569	0.1645	बीजाराम पुत्र भाखरराम मेघवाल	अनु सूचित जाति	
9	लूणी	सालावास रेलवे स्टेशन	291	338	3.0999	0.4115	सम्पतराज व दिनेश पुत्रगण मूलाराम नाई	ओबीसी	
10	लूणी	सालावास रेलवे स्टेशन	332	350	0.2023	0.0306	रास्ता ग्राम पंचायत, सालावास स्थानीय निकाय	–	
11	लूणी	सालावास रेलवे स्टेशन	130	351/3	1.1817	0.8071	कुलदीप सांखला पुत्र प्रकाश माली	ओबीसी	
12	लूणी	सालावास रेलवे स्टेशन	158	351	0.4371	0.4371	बुद्धाराम पुत्र कलाराम माली	ओबीसी	
13	लूणी	सालावास रेलवे स्टेशन	115	351/6	0.2428	0.0069	धीरज सांखला पुत्र ढ़लाराम माली	ओबीसी	
14	लूणी	सालावास रेलवे स्टेशन	172	351/5	0.3642	0.1178	भरत सांखला पुत्र ढ़लाराम माली	ओबीसी	
15	लूणी	सालावास रेलवे स्टेशन	127	351/4	0.2428	0.2183	पारस सांखला पुत्र ढ़लाराम माली	ओबीसी	
16	लूणी	सालावास रेलवे स्टेशन	97	351/2	0.3318	0.3318	ढ़लाराम पुत्र लिछमणराम माली	ओबीसी	

17	लूणी	सालावास रेलवे स्टेशन	292	351/1	0.4371	0.2187	तारा पुत्री रघुनाथराम माली आदि	ओबीसी	
18	लूणी	सालावास रेलवे स्टेशन	62	349	0.8094	0.074	गीता देवी पत्नी ओमप्रकाश	सामान्य	
19	लूणी	सालावास रेलवे स्टेशन	300	349/2	0.8094	0.3703	सीता देवी पत्नी जयप्रकाश अग्रवाल	सामान्य	
20	लूणी	सालावास रेलवे स्टेशन	62	349/3	0.8094	0.3016	गीता देवी पत्नी ओमप्रकाश अग्रवाल	सामान्य	
21	लूणी	सालावास रेलवे स्टेशन	252	349/4	0.8013	0.1834	लादूराम अग्रवाल पुत्र रामकिशोर अग्रवाल	सामान्य	
22	लूणी	सालावास रेलवे स्टेशन	168	349/5	0.8094	0.1146	भगवती देवी पत्नी लादूराम अग्रवाल	सामान्य	
23	लूणी	सालावास रेलवे स्टेशन	64	348	2.5981	0.0046	कुनाराम पुत्र छोटाराम माली आदि	ओबीसी	
24	लूणी	सालावास रेलवे स्टेशन	148	345/2	1.2141	0.0132	फुसी देवी पत्नी जगदीश जाट	ओबीसी	
25	लूणी	सालावास रेलवे स्टेशन	292	361/2	0.7122	0.3131	तारा पुत्री रघुनाथराम माली आदि	ओबीसी	
26	लूणी	सालावास रेलवे स्टेशन	259	361/5	0.5726	0.5726	लुम्बाराम पुत्र कलाराम माली	ओबीसी	
27	लूणी	सालावास रेलवे स्टेशन	177	361/1	1.1250	0.0327	भीखाराम पुत्र रामूराम उर्फ रामलाल माली	ओबीसी	
28	लूणी	सालावास रेलवे स्टेशन	150	361/3	0.5726	0.5726	बाबूलाल पुत्र कलाराम माली	ओबीसी	
29	लूणी	सालावास रेलवे स्टेशन	206	361/4	0.5564	0.4585	मीठालाल पुत्र कलाराम माली	ओबीसी	
30	लूणी	सालावास रेलवे स्टेशन	206	361/6	0.0162	0.0108	मीठालाल पुत्र कलाराम माली	ओबीसी	
31	लूणी	सालावास रेलवे स्टेशन	288	362/3	0.0243	0.0117	रास्ता, संतोष पत्नी ओमप्रकाश पटेल	ओबीसी	
32	लूणी	सालावास रेलवे स्टेशन	288	362/2	1.3678	0.1857	संतोष पत्नी ओमप्रकाश पटेल	ओबीसी	
33	लूणी	सालावास रेलवे स्टेशन	26	353	1.9506	0.3670	छैलाराम पुत्र जुगाराम माली	ओबीसी	
34	लूणी	सालावास रेलवे स्टेशन	26	360	2.7276	2.4799	छैलाराम पुत्र जुगाराम माली	ओबीसी	
35	लूणी	सालावास रेलवे स्टेशन	97	359	1.0846	0.5549	ढ़लाराम पुत्र लिछमणराम माली	ओबीसी	
36	लूणी	सालावास रेलवे स्टेशन	130	359/1	1.0840	1.0840	कुलदीप सांखला पुत्र प्रकाश माली आदि	ओबीसी	
37	लूणी	सालावास रेलवे स्टेशन	60	357	1.0765	0.5397	श्यामलाल पुत्र दुर्गाराम जाट आदि	ओबीसी	
38	लूणी	सालावास रेलवे स्टेशन	26	360/1	0.0243	0.0243	रास्ता, छैलाराम पुत्र जुगाराम माली	ओबीसी	

39	लूणी	सालावास रेलवे स्टेशन	246	366/4	0.8931	0.7383	रेखा पत्नी जेठाराम प्रजापत	ओबीसी	
40	लूणी	सालावास रेलवे स्टेशन	79	366/3	0.8523	0.3965	जगदीश पुत्र गिरधारीलाल प्रजापत	ओबीसी	
41	लूणी	सालावास रेलवे स्टेशन	146	366/5	2.5900	2.5900	प्रेमलता पत्नी रणजीत कुमार प्रजापत	ओबीसी	
42	लूणी	सालावास रेलवे स्टेशन	1	366/6	0.0405	0.0263	रास्ता ग्राम पंचायत, सालावास स्थानीय निकाय	—	
43	लूणी	सालावास रेलवे स्टेशन	306	366	0.8931	0.0776	सुमन पत्नी रमेश प्रजापत	ओबीसी	
44	लूणी	सालावास रेलवे स्टेशन	147	366/2	5.2285	1.2475	फुली पत्नी मोहनराम थोरी/जाट	ओबीसी	
45	लूणी	सालावास रेलवे स्टेशन	94	355/1	0.8094	0.1967	डुंगर सिंह पुत्र सूरजमल माली	ओबीसी	
46	लूणी	सालावास रेलवे स्टेशन	285	367	1.0522	0.4742	जानी पत्नी भीयाराम जाट आदि	ओबीसी	
47	लूणी	सालावास रेलवे स्टेशन	77	367/2	0.6232	0.6232	चिमू देवी पत्नी घमण्डाराम जाट आदि	ओबीसी	
48	लूणी	सालावास रेलवे स्टेशन	180	368	2.8004	0.8201	भूण्डाराम पुत्र नैनाराम जाट	ओबीसी	
49	लूणी	सालावास रेलवे स्टेशन	81	369	1.724	0.0214	श्यामलाल पुत्र लक्ष्मण उर्फ लिछमणराम जाट आदि	ओबीसी	
50	लूणी	सालावास रेलवे स्टेशन	80	369/1	0.4532	0.096	सोहनलाल पुत्र मांगीलाल आदि	ओबीसी	
51	लूणी	सालावास रेलवे स्टेशन	81	369/2	0.0243	0.0118	रास्ता श्यामलाल पुत्र लक्ष्मण उर्फ लिछमणराम जाट आदि	ओबीसी	
52	लूणी	सालावास	1407	421	22.6138	0.0471	जोधपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए)	—	
					78.9071	**19.8474**			

ग्रॉव का प्रोफाइल

1. ग्राम सालावास की प्रोफाइल

(i) राजस्व गांव का नाम	सालावास	(ii) पंचायत का नाम	सालावास
(iii) स्थान (Location) जीओटेक	Latitude (N)	Longitude (E)	
(iv) तहसील का नाम	लूणी	(v) जिला का नाम	जोधपुर

(vi) गांव की चौहद्दी	उत्तर : जोधपुर	दक्षिण : रेलवे स्टेशन हनुवंत	पूरब : मुख्य रेलवे लाइन	पश्चिम : सालावास

(vii) गांव से तहसील कार्यालय की दूरी (किमी में)	22 कि.मी	(viii) गांव से जिला मुख्यालय की दूरी (किमी में)	22 कि. मी
(ix) गांव से नजदीकी रेलवे स्टेशन की दूरी (किमी में) स्टेशन का नाम–सालावास	दूरी.– 3 कि.मी	(x) गांव से नजदीक बस स्टेशन की दूरी (किमी में)	दूरी – 0 कि.मी.
(xi) कुल आंगनबाड़ी केन्द्रों की संख्या	3	(xii) गांव से नजदीक हाट/बाजार की दूरी (किमी में)	
(xiii) गांव से जिला अस्पताल की दूरी (किमी में)	दूरी – 0 कि.मी.	(xiv) कुल जनवितरण प्रणाली दुकानों की संख्या	2
(xv) गांव में किराना दुकान की संख्या	15	(xvi) कुल वार्ड व सदस्यों की संख्या – महिला ......7.... पुरूष......8.......	15

धार्मिक स्थल जानकारी	कुल मंदिर/देव स्थान –12 (छोटे बड़े)	गुरूद्वारा–0	चर्च–0	मस्जिद 0	

शिक्षण संस्थान सम्बन्धी जानकारी							
प्राथमिक विद्यालय	1	उच्च प्रा. विद्यालय	1	उच्च मा. विद्यालय	2	कॉलेज प्राईवेट	1

2. भूमि का उपयोग, आजीविका एवं आय के संसाधन

क्र.सं.	भूमि का प्रकार	विवरण
1.	गांव में कितनी फसल की पैदावार होती है?	बजरा, ज्वार, मूंग, मौठ, तिल, गवांर, गेंहू
2.	गांव में कौन कौनसी फसल की पैदावार होती है?	बजरा, ज्वार, मूंग, मौठ, तिल, गवांर, गेंहू
3.	गांव में लोगों की आय के अन्य स्रोत क्या हैं?	खेती एवं मजदूरी
4.	क्या गांव में सरकारी नौकरी करने वाले व्यक्ति हैं?	सरकारी–25 प्राईवेट सर्विस/मजदूरी – 50 प्रतिशत (आयल डिपो)
5.	क्या गांव में व्यवसाय करने वाले व्यक्ति हैं?	हॉ
6.	क्या प्रभावित परिवारों में सरकारी नौकरी करने वाले व्यक्ति हैं?	5
7.	सिंचाई के साधन क्या हैं?	ट्यूबवैल, कुआं
8.	गांव में जल की उपलब्धता की स्थिति के बारे बतायें।	
(क)	पेयजल एवं गृहकार्य – 1. हाँ 2. नहीं [1]	1. पर्याप्त 2. अपर्याप्त [1]
(ख)	जानवरों के लिए – 1. हाँ 2. नहीं [1]	1. पर्याप्त 2. अपर्याप्त [1]
(ग)	कृषि कार्य के लिए – 1. हाँ 2. नहीं [2]	1. पर्याप्त 2. अपर्याप्त [-]

3. पशुओं का विवरण

क्र.सं.	पशुओं का नाम	कुल संख्या	क्र.सं.	पशुओं का नाम	कुल संख्या
1	गाय	450	6	घोड़ा	4
2	भैंस	360	7	हाथी	-
3	ऊँट	8	8	भेड़	250
4	गधा	-	9	बैल	25
5	बकरी	800	10	अन्य	-
गांव में कुल पशुओं की संख्या –1987					

टी.ओ.आर के अनुसार सूची विवरण

क्रम सं.	विवरण	संलग्न
1	विस्थापित होने वाले परिवारों की सूची	कोई परिवार विस्थापित नहीं।
2	प्रभावित होने वाले क्षेत्र में स्थित आधारभूत संरचनाओं की सूची	ग्राम पंचायत रास्ते (**प्रपत्र–1** संलग्न है।)
3	प्रभावित होने वाले क्षेत्र में निजी भूमियों की सूची	**प्रपत्र–1** संलग्न है।
4	प्रभावित होने वाले क्षेत्र में व्यवसायिक गतिविधियों की सूची	कोई व्यवसायिक गतिविधि नहीं।
5	प्रभावित होने वाले क्षेत्र में भूमिहीन व्यक्तियों की सूची	कोई व्यक्ति नहीं।
6	प्रभावित होने वाले क्षेत्र में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति एवं विशेष योग्यजनों की सूची	**प्रपत्र–1** संलग्न है।
7	प्रभावित होने वाले क्षेत्र में भूमिहीन खेतीहर मजदूरों की सूची	1 (खसरा 333 व 334 में) मुकेश जाट
8	प्रभावित होने वाले क्षेत्र में रोजगार योग्य युवाओं की सूची	10
9	प्रभावित होने वाले क्षेत्र एवं प्रभावित होने वाले परिवारों का सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक परिदृश्य	**प्रपत्र–1** संलग्न है।

पी.आर.ए. अभ्यास

गांव का इतिहास :

ग्राम– सालावास | ग्राम पंचायत – सालावास

ब्लॉक – लूणी | जिला– जोधपुर

ग्राम सालावास ब्लॉक लूणी का एक गांव हैं जो कि जोधपुर जिला में आता हैं। पी.आर.ए. के दौरान प्रभावित 49 खससरों के खातेदार/ हिस्सेदार प्रभावित परिवारों से चर्चा की गई हैं। गांव में सभी समुदाय के लोग रहते हैं लेकिन प्रभावित परिवारों अधिकांश मेघवाल, जैन, नाई, प्रजापत, जाट, माली, अग्रवाल समाज के लोग हैं। अधिकतम मकान पक्के ही बने हुए हैं एवं कुछ घर अर्द्ध पक्का बने हुए है।

गांव के लोग मुख्यतः कृषि कार्य पर आधारित हैं, लोग ट्रेक्टर से खेती करते हैं। फसल में बाजरा, ज्वार, मौठ, रायड़ा, गेहूँ, इत्यादि की फसल पैदा करते हैं। यहाँ की मिट्टी दोमट एवं उपजाऊ किश्म की है जिसमें पैदावार सामान्य होती है।

ग्राम सालावास गांव तहसील लूणी व जिला जोधपुर का गांव है। तहसील मुख्यालय से गांव की दूरी लगभग 22 कि.मी है। गांव में बिजली, पेयजल हेतु नल की व्यवस्था है जिससे पानी की आपूर्ति अच्छी प्रकार से हो रही है।

ग्रामवासियों के अनुसार गांव मे हनुमान जी, शंकर भगवान, ठाकुर जी, रामदेवजी, वीर तेजाजी महाराज, का मंदिर है। सभी लोग गांव में धार्मिक आस्था वाले हैं।

गांव की बसावट कुछ नई एवं पुरानी है। समय के अनुसार कुछ घरों की बनावट बदल भी रही हैं लोग नये तरीके से नक्शा बनाकर भी निर्माण कार्य कराने लगे हैं। गांवों में भी विकास की गतिविधियां शनैः–शनैः जारी है।

परचून सामान के लिए गांव में दुकाने भी हैं। जहां पर रोजमर्रा का सामान मिल जाता है लेकिन अधिक सामान की ज्यादा मात्रा में आवश्यकता होने पर जोधपुर से ही सामान लाना पड़ता है। आने–जाने के लिए स्वयं के साधन, प्राईवेट, सरकारी बस से आवा जाही करते हैं।

गांव के निवासियों के अनुसार गांव मे सुविधाओं के रुप में आंगनवाड़ी केन्द्र, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय है। गांव के सभी बालक–बालिकाऍ शिक्षा के लिए जाते हैं।

- गांव के सभी घरों/परिवारों में मोटर साईकिल एवं चार पहिया वाहन भी उपलब्ध है।
- समाचार एवं मनोरंजन हेतु गांव मे परिवारों के पास टेलीविजन है।
- शादी/ विवाह –लोगों के अनुसार 30 वर्ष पहले कम उम्र में शादी करते थे। आज सही उम्र 18 एवं 21 में शादी में करना पसन्द करते हैं।
- गांव में बीमार होने पर डॉक्टर से ईलाज करवाते है। ईलाज नहीं होने पर बीमार को जोधपुर लेकर जाते हैं।

गांव के सभी परिवार कृषि पर ही आश्रित है एवं इसके अतिरिक्त कुछ परिवार जो छोटे किसान है वे कृषि कार्य के बाद दैनिक मजदूरी भी करते हैं। इस गॉव में खेती में ज्वार, बाजरा, मूंग, मौठ, गेंहूँ, तिल, गंवार, रायड़ा/सरसों एवं आदि की पैदावार करते हैं।

गांव रेलवे स्टेशन सालावास में आयल डिपों होने के कारण 50 प्रतिशत से अधिक लोग दैनिक मजदूरी यही पर करते हैं। कुछ जमीनी फसल वर्षा पर निर्भर है वहीं कुछ जमीन ट्यूबवैल से सिंचित की जाती है। गांव की सामान्य जानकारी एवं इतिहास पर गणमान्य लोगों से चर्चा की जिसमें निम्न लोग उपस्थित थे।

1. मोहनराम जी
2. भूण्डाराम जी
3. बाबूलाल जी
4. ढ़लाराम जी
5. शंकरलाल जी चौधरी
6. प्रेमाराम जी
7. बुधाराम जी

<u>त्यौहार</u>– होली, दीपावली नवरात्रा, रक्षाबन्धन, संक्रान्ति सभी त्यौहार मनाते है। त्यौहारों पर लोग पकवान बनाते हैं जैसे कि दाल बाटी, चूरमा, पुड़ी, हलवा, खीर व्यक्ति एवं परिवार की सम्पन्नता के आधार पर लोग घरों में अलग अलग भोजन बनाते हैं।

<u>स्वास्थ्य व पोषण देखभालः–</u>

आज से करीब 40 वर्ष पूर्व ग्राम के लोग जापा गांव में कराते थे व धीरे–धीरे समय अनुसार काफी कुछ बदलाव आ रहे हैं। ग्राम सालावास में जिला स्तरीय अस्पाताल बनाया गया है जहॉ से चिकित्सा सुविधा लोगों को मिल रही है। गॉव में धीरे धीरे जागरूकता आने से लोग स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए अस्पताल जाने लगे तथा गांव के लोग जापा अस्पताल में कराने लगे हैं। गॉव में जिला अस्पताल होने के कारण आसपास के गॉवों के लोग भी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए सालावास में ही आते हैं। विशेष परिस्थितियों में कराने एवं इलाज कराने हेतु जोधपुर जाना पड़ता है । आज गांव में चिकित्सा सुविधा अच्छी है छोटी मोटी बीमारी में इलाज यही से ले लेते हैं। गांव सालावास में 2 तथा रेलवे स्टेशन सालावास में 1 आंगनवाड़ी केन्द्र है। इस प्रकार गांव में आंगनवाड़ी केन्द्र से लोगों तक सेवाऐं पहॅुचाने में काफी आसानी है। पहले की तुलना में लोगों की जानकारी अवश्य बढ़ी है। सालावास गॉव में लोग जापा कराने हेतु अस्पताल ही जाने लगे हैं। कुछ लोग तो प्राईवेट में भी ईलाज, जापा कराने के लिए जाते हैं।

मुआवजा राशि के सन्दर्भ में प्रभावित लोगों के विचार/रायः

मल्टी–मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के विकास एवं रेलवे लाइन से लिंक लाइन निर्माण को लेकर गांव के लोगों से हुई चर्चानुसार सभी ने अपने पक्ष रखें हैं। लोगों का मानना है मल्टी–मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के विकास एवं रेलवे लाइन से लिंक लाइन निर्माण हेतु भूमि अवाप्ति से लोगों को जो क्षति/नुकसान हो रहा है वह भी कम नहीं है। लोगों का यह कहना है कि अगर मुआवजा राशि अच्छी मिल जाये तो इससे होने वाले दर्द को कम किया जा सकता है। वहीं मुआवजा राशि सही व्यक्ति को नही मिलेगी तो मुआवजा राशि को लेकर सामाजिक पारिवारिक विवाद भी उत्पन्न हो सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में भूमि बंटवारे को

लेकर जो सामाजिक एवं पारिवारिक व्यवस्था है उसमें जमीन जायदाद के हिस्से मौखिक रुप से कर दिये जाते हैं और लोग उसी के अनुसार उस स्थान/भूमि पर काबिज हो जाते हैं। जब कभी किसी योजना/परियोजना के लिए भूमि अवाप्ति होती है तो जिस व्यक्ति के हिस्से की जमीन जा रही है वह मुआवजा राशि उसको मिलनी चाहिये लेकिन दस्तावेजों में वह जमीन सामलात की होती है ऐसी स्थिति में सभी खातेदार/हिस्सेदार लोग उस मुआवजा राशि से अपना अपना हिस्सा मांगने लगते हैं जबकि घर में हुए मौखिक बंटवारे के अनुसार जमीन पर काबिज व्यक्ति ही उसका असली हकदार होता है। अ बवह राशि सही एवं वास्तविक व्यक्ति को मिले इसके लिए विषेष परिस्थितियों में सरकार एक कमेटी गठित कर इस प्रकार के मामलात का निस्तारण कराया जाना व्यक्ति एवं परियोजना दोनों के हित में होता है।

समय सारणी

क्र. संख्या	मुद्दे	40 वर्ष पूर्व	20 वर्ष पूर्व	10 वर्ष पूर्व	वर्तमान स्थिति
1.	पेयजल	• जोहड़ से ही पानी पीते थे। • कुछ नये कुए भी खोदे गये।	• कुओं से पीने लगे • 1998 में हैण्डपम्प लगा था।	• कुएँ से पानी पीना। • एक किसान द्वारा ट्यूबवैल	• ट्यूबवैल • सरकार द्वारा पेयजल की टंकी लगा दी है
2.	स्वच्छता	• स्नान भी कभी कभी नहीं करते थे। • कपड़े सिर्फ पानी से ही धोते थे। • हाथ धोने के लिए पानी या मिट्टी का उपयोग करते थे।	• स्नान भी कभी कभी नहीं करते थे। • कपड़े सिर्फ पानी से ही धोते थे। • हाथ धोने के लिए मिट्टी व चूल्हें की बानी/राख का उपयोग करने लगे। • खान–पान की स्वच्छता में तुलनात्मक बदलाव आया।	• लगभग गांव के लोग स्नान करने लगे। क्योंकि लोग कमाने/ मजदूरी के लिए बाहर जाने लगे। • कपड़े साबुन से धोने लगे हैं। • हाथ धोने के लिए मिट्टी का उपयोग तें कमी आई। • खान–पान की स्वच्छता भी काफी बदलाव आया।	• लगभग गांव के लोग स्नान करने लगे। • कपड़े सर्फ व साबुन से धोने लगे हैं। • हाथ धोने के लिए मिट्टी का उपयोग करते हैं तो कुछ साबुन का उपयोग करने लगे हैं। • खान–पान की स्वच्छता भी काफी हद तक बदलाव आया।
3.	भोजन	• ज्वार, बाजरा, ज्यादा उपयोग करते थे। • सायंकाल में सभी घरों में राब ही बनाते थे जिसमें समय भी कम लगता था।	• भोजन में ज्यादा बदलाव नहीं आया और ज्वार, बाजरा, मक्का, ही उपयोग करते थे। • सायंकाल में सभी घरों में राब ही बनाते थे।	• लोगों का खेती की तरफ से रुझान कम हुआ। • भोजन में ज्यादा बदलाव आया क्योंकि लोग कमाने के लिए बाहर जाने लगे तो बाजार में उपलब्ध चीजों की ओर रुझान बढ़ा। • सायंकाल में परिवारों में रोटी बनाने लगे।	• लोग कमाने के लिए बाहर जाने लगे तो बाजार में उपलब्ध चीजों की ओर रुझान बढ़ा। • लोगों की आय बढ़ने लगी तो बाजार में बनी खाद्य–वस्तुए घर तक लाने लगे है। • सायंकाल में परिवारों में रोटी बनाने लगे इसके अतिरिक्त खाद्य–पकवानों की ओर रुझान बढ़ा है।
4.	बीमारी (स्वास्थ्य)	• सामान्य बीमारी में घरेलू इलाज ही करते थे। कुछ परिवार इलाज नहीं कराते थे • देवी देवताओं पर ज्यादा निर्भर थे। • बीमारियों मे झाड़फूंक पर ज्यादा विश्वास था।	• सामान्य बीमारी में घरेलू इलाज ही करते थे। • देवी देवताओं पर ज्यादा निर्भर थे। • बीमारियों मे झाड़फूंक पर ज्यादा विश्वास था। • आर्थिक समस्या होना।	• सामान्य बीमारी में घरेलू इलाज ही करते थे। • देवी देवताओं की आस्था एवं विश्वास। • बीमारियों मे झाड़फूंक पर ज्यादा ध्यान था। • जापा हेतु कुछ महिलाओं का अस्पताल में जाना। • मेडिकल पर जाकर सामान्य दवाएँ लाना।	• सामान्य बीमारी में घरेलू इलाज ही करते थे। • देवी देवताओं की आस्था एवं विश्वास। • बीमारियों मे झाड़फूंक को करवाना। • मेडिकल पर जाकर सामान्य दवाएँ लाना। • डाक्टर के पास जाना। • जापा हेतु लगभग सभी महिलाओं को अस्पताल में जाना।

5.	मकान	• मकानों की बनावट – अधिकतम कच्चे मकान बनाये जाते थे कारण आय के साधन नहीं होना।	समय में बदलाव के अनुसार कुछ एक लोगों आधे कच्चे पक्के मकान बनाये। कारण आय का कम होना है। लेकिन कुछ लोगों ने पक्के मकान बनाने के बारे में महसूस किया।	समय में और बदलाव आया एवं उसके अनुसार कुछ एक लोगों और आधे कच्चे पक्के मकान बनाये। वहीं कुछ पक्के मकान भी बनाने लगे।	गांव के विस्थापन के कारण अभी लगभग सभी घर पक्के बनाये जा रहे है । प्रति वर्ष कुछ लोग स्वतः ही पक्के मकान बनाने लगे हैं। जागरुकता भी बढ़ी है।
6.	शिक्षा	• गांवों में अधिकतम लोग अनपढ़ थे। • गांव में 40 वर्ष पूर्व एक–दो व्यक्ति ही पढ़ने गये। • महिला शिक्षा को ठीक नहीं मानते थे। • लोगों का महिला शिक्षा के बारे में मत भी नहीं था।	• गांव का 30 वर्ष पहले 2 व्यक्तियो ने पहली बार कक्षा 10 तक पढ़ाई की। • गांव में स्कूल है लेकिन पढ़ने का रुझान कम ही रहा। • महिला शिक्षा को ठीक नहीं मानते थे।	• गांव में स्कूल था लेकिन बच्चों का पढ़ने का भी रुझान कम ही रहा। • महिला शिक्षा के बारे में सोचने लगे।	• गांव में स्कूल खुले हैं तो बच्चे स्कूल जाने लगे। • लेकिन स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या नहीं के बराबर है। • महिला शिक्षा के बारे में सोचने लगे एवं लड़कियां एवं गांव के करीब करीब लड़के विद्यालय जा रहे हैं। • शिक्षा की स्थिति में कोई ज्यादा बदलाव नहीं देखा गया। क्योंकि कालेज शिक्षा वाले लड़के कम ही बताये गये। • बदलाव देखा गया जो कि सभी लड़के एवं लड़कियां कक्षा 1 से 12 में अध्ययन कर रहे हैं।

मौसमी चित्रण

क्रम संख्या	विषय /मुद्दे	जनवरी पौष–माघ	फरवरी माघ–फाल्गुन	मार्च फाल्गुन – चैत्र	अप्रेल चैत्र – वैशाख	मई वैशाख–ज्येष्ठ	जून ज्येष्ठ – आषाढ़	जुलाई आषाढ़–श्रावण	अगस्त श्रावण – भाद्रपद	सितम्बर भाद्रपद – आसोज	अक्टूबर आसोज–कार्तिक	नवम्बर कार्तिक – मार्ग शीर्ष	दिसम्बर मार्गशीर्ष – पौष
	बीमारिया	निमोनिया, सर्दी–जुका, बुखार	सर्दी–जुकाम,	सर्दी–जुकाम, बुखार, श्वांस	–	लू, बुखार, उल्टी	लू, बुखार, दस्त	उल्टी–दस्त, हैजा, आंखो की बीमारी, बुखार	उल्टी–दस्त, हैजा, बुखार, आंखो की बीमारी	सर्दी–जुकाम, बुखार, श्वांस	–	–	निमोनिया, सर्दी–जुकाम, बुखार, श्वांस, माता
	शादी / विवाह	–	15 के बाद आरम्भ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ सावा हो तो	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं (देव उठनी एकादशी के बाद)	हाँ	15 बाद नहीं के
	–	–	–	–	नहीं	नहीं	15 जून के बाद जुताई कार्य करना	फसल लगाना	खेती में निराई–गुडाई का कार्य होना।		फसल काटना	फसल काटना	–
	आर्थिक भार	बीमारी, त्यौहार	शादी,खेती,	शादी, खेती, कटाई, मजदूरी	–	बीमारी	बीमारी ,	बीमारी, बीज,खाद ,खेती मजदूरी	बीमारी,	बीमारी	–	बीमारी, कृषि विवाह	बीमारी, कृषि विवाह
	पलायन	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	त्यौहार	संक्रान्ति		होली, शीतलाष्टमी	गणगौर				रक्षा बन्धन	नवरात्रा	दीपावली		

Matrix & Ranking

Issues	Community				
	Women	Men/Farmer	Youth	Older	Children
Employment	●●●	●●●●	●●●●●	●●	●●
Education	●●	●●●●	●●●●●	●●	●●●●●
Welfare activity	●●●●●	●●	●●	●●●●●	●●●●
Health	●●●●●	●●●●	●●●	●●●●●	●●●●●
Sanitation/water	●●●●●	●●●●	●●●●	●●●●●	●●●●●
Irrigation	●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●	●●

महत्त्वपूर्ण नहीं	कम महत्त्वपूर्ण	महत्त्वपूर्ण	अधिक महत्त्वपूर्ण
●●	●●●	●●●●	●●●●●

प्रपत्र–2

प्रभावित क्षेत्र में संभावित युवाओं के रोजगार की सूची

ग्रामः.सालावास. ग्राम पंचायत. सालावास तहसील. लूणी जिला. जोधपुर

क्र. सं.	युवा का नाम	पिता का नाम	आयु	शैक्षिक योग्यता	जाति वर्ग	क्या रोजगार चाहते है 1. हाँ 2. नहीं	अगर हाँ तो क्या बतायें	आधार नम्बर	प्रभावित परिवार का खसरा विवरण
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Office Orders

राजस्थान सरकार
उद्योग एवं वाणिज्य (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांकः प.4(30)उद्योग/1/2022 जयपुर, दिनांक 08 FEB 2023

डॉ. उपेन्द्र के. सिंह,
मुख्य कार्यकारी एवं सदस्य सचिव,
सेन्टर फॉर डवपलमेंट कम्यूनिकेशन एण्ड स्टडीज,
133, देवीनगर, नन्नू मार्ग, न्यू सांगानेर रोड, जयपुर
फो. नं. – 0141–2294988, 9414077287
cdecsjpr@gmail.com

विषयः– ग्राम सालावास, तहसील लूणी, जिला जोधपुर में कन्टेनर कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लि० (कॉनकोर) द्वारा प्रस्तावित मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक पार्क के विकास हेतु कुल 19.8474 हैक्टेयर भूमि के प्रस्तावित अधिग्रहण के लिए सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन करने तथा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन प्रतिवेदन एवं सामाजिक समाघात प्रबन्धन योजना तैयार करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि ग्राम सालावास, तहसील लूणी, जिला जोधपुर में कन्टेनर कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लि० (कॉनकोर) द्वारा प्रस्तावित मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक पार्क के विकास हेतु कुल 19.8474 हैक्टेयर भूमि का अधिग्रहण प्रस्तावित है, जिसमें प्रभावित होने वाले परिवारों की अनुमानित संख्या अपर जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना अनुसार लगभग 50 है। भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 एवं राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम, 2016 के प्रावधानानुसार उपरोक्त ग्राम के प्रभावित होने वाले क्षेत्र में सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन करने एवं रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु आप द्वारा ई–मेल/पत्र दिनांक 25.01.2023 से सहमति प्रदान की गई है।

अतः ग्राम सालावास, तहसील लूणी, जिला जोधपुर में कन्टेनर कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लि० (कॉनकोर) द्वारा प्रस्तावित मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक पार्क के विकास हेतु कुल 19.8474 हैक्टेयर भूमि, जिसका विवरण संलग्न है, का उक्त अधिनियम एवं नियमों के प्रावधानानुसार आपको सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन करने हेतु अधिकृत किया जाता है। उक्त अध्ययन संलग्न टर्म ऑफ रेफरेन्स अनुसार अधिसूचना जारी होने की दिनांक से प्रारम्भ कर 03 माह की अवधि में पूर्ण किया जाना होगा।

उक्त अध्ययन के आधार पर आप सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन रिपोर्ट (Social Impact Assessment Study Report) एवं सामाजिक समाघात प्रबन्धन योजना (Social Impact Management Plan) प्रस्तुत करेंगें।

आप द्वारा प्रेषित ई–मेल/पत्र दिनांक 25.01.2023 के अनुसार फीस राशि कुल रुपये 1,23,000/– (अक्षरे एक लाख तेईस हजार रुपये) (excluding Taxes) का भुगतान 50 प्रतिशत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन रिपोर्ट (Social Impact Assessment Study Report) के ड्राफ्ट प्रस्तुत करने के समय तथा शेष 50 प्रतिशत अंतिम सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के पश्चात् देय होगा। प्रभावित होने वाले परिवारों की संख्या में वृद्धि होने की स्थिति में कोई अतिरिक्त फीस देय नहीं होगी। देय फीस के बिल संयुक्त शासन सचिव, उद्योग एवं वाणिज्य (ग्रुप–1) विभाग को प्रस्तुत किये जायेंगे।

संलग्नः–

1. टर्म्स ऑफ रेफरेन्स
2. अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित भूमि का विवरण

(पूनम प्रसाद सागर)
संयुक्त शासन सचिव

Notification

जीवकोपार्जन के वर्तमान साधनों को ज्ञात करना।

vii. प्रस्तावित अधिग्रहण क्षेत्र में अवस्थित समस्त सार्वजनिक जनसम्पत्तियाँ यथा सड़क मार्ग, सार्वजनिक व निजी मकान, विद्यालय, कार्यालय, स्वास्थ्य इकाईयों, आंगनबाड़ी केन्द्र, पेयजल स्रोत, उद्यान, श्मशान, प्रार्थना के स्थान यथा मंदिर, मस्जिद इत्यादि को ज्ञात करना तथा उनके विस्थापन के प्रभाव का आकलन करना।

viii. इस बात का समुचित निर्धारण करना कि प्रस्तावित क्षेत्र से कम क्षेत्र का अधिग्रहण करना उपयुक्त नहीं है तथा प्रस्तावित स्थान ही प्रस्तावित परियोजना के लिए सर्वथा उपयुक्त है। इसके अतिरिक्त कोई अन्य स्थान अधिग्रहण हेतु उपयुक्त नहीं है। साथ ही पूर्व में अधिग्रहित कोई अन्य भूमि आसपास अनुपयोगी स्थिति में उपलब्ध नहीं है।

ix. इस बात को सुनिश्चित करना कि परियोजना में सामाजिक समीक्षाओं की हल करने हेतु होने वाले व्यय एवं परियोजना पर होने वाले व्यय, दोनों समग्र व्यय से परियोजना से अपेक्षित लाभ अधिक है।

x. ग्राम सभा, भू-स्वामियों की सहमति की आवश्यकता है अथवा नहीं? नहीं

xi. सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन कार्य प्रारम्भ होने की दिनांक अधिसूचना जारी होने की दिनांक से होगी।

DETAILS OF LAND AT PROPOSED MMLP AT SALAWAS

19	लूणी	सालावास रेलवे स्टेशन	300	349/2	0.8094		सीता देवी पत्नी जयप्रकाश	
20	लूणी	सालावास रेलवे स्टेशन	62	349/3	0.8094	1.0440	सीता देवी पत्नी ओमप्रकाश	
21	लूणी	सालावास रेलवे स्टेशन	252	349/4	0.8013		लादूराम पुत्र धर्मकिशोर अदाण	
22	लूणी	सालावास रेलवे स्टेशन	168	349/5	0.8094		भगवती देवी पत्नी लादूराम	
23	लूणी	सालावास रेलवे स्टेशन	64	348	2.5981	0.0046	कुनाराम आदि	
24	लूणी	सालावास रेलवे स्टेशन	146	345/2	1.2141	0.0132	पुष्पा देवी	
25	लूणी	सालावास रेलवे स्टेशन	292	361/2	0.7127		लाल पुत्री कन्हैयाराम आदि	
26	लूणी	सालावास रेलवे स्टेशन	259	361/5	0.5776		तुलसाराम पुत्र [illegible]	